पंचम माला, खंड 31, अंक 21, गुरुवार, 23 अगस्त, 1973/1 भाद्र, 1895 (शक)

Fifth Series, Vol. XXXI, No. 21, Thursday, August 23, 1973/Bhadra 1, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र / Eighth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit.
Fumigated
On 24-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 31 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol. XXXI contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची CONTENTS

अंक 21, गुरुवार 23 अगस्त, 1973/1 भाद्र 1895 (शक)

No. 21, Thursday, August 23, 1973/Bhadra 1, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
401 रोजगार सेवाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए "टास्क फोर्स" का गठन	Task Force to keep a watch on activities of Employment	1
405 टोक्यो से स्वर्गीय श्री रासबिहारी बोस की भस्मी लाना	Bringing of the Ashes of late Shri Rashbehari Bose from Tokyo . .	2
408 हिन्दुस्तान तांबा निगम द्वारा अपनी खेतड़ी परियोजना में "ट्रिपल सुपर फासफेट" का निर्माण	Manufacture of Triple Super Phosphate by Hindustan Copper Corporation at its Khetri Project	5
409 यू० के० के साथ लड़ाकू विमान संबंधी सौदा	Fighter Plane deal with U.K. .	7
411 महाराष्ट्र में समेकित इस्पात संयंत्र	Integrated Steel Plant in Maharashtra	8
412 खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आंध्र क्षेत्र में सब प्रकार के अयस्क खरीदने का वचन भंग	Alleged backing out by MMTC of its commitment to buy all grades of ore from Andhra Area . . .	10
413 सिंचाई, विद्युत और, पन बिजली परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र को इस्पात का आंवटन	Allocation of steel to Maharashtra for Irrigation, Power and Hydel Projects	12
414 अलीपुर, कलकत्ता स्थित आयुद्ध कारखाने के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Allegations levelled against officers of Ordnance Depot Alipore Calcutta	15
416 स्वीडिश विदेशी मिशन द्वारा भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Indian Personnel by Swedish Foreign Mission . .	16
417 उड़ीसा के क्षेत्रीय खनन विभागों द्वारा उड़ीसा का सर्वेक्षण	Survey of Orissa by Regional Mining Departments in Orissa . . .	16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।
The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actua lly asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या
S. Q. No.

पृष्ठ
PAGE

विषय | SUBJECT

प्रश्नों के लिखित उत्तर | WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
402	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्य-क्षेत्र को दुगुना करने की योजना	Plan to double the coverage of Employees State Insurance Corporation .	17
403	छोटा नागपुर क्षेत्र के निवासियों को रोजगार देने वाले कारखानों के लिए उस क्षेत्र के खनिज अयस्कों का आरक्षण	Reservation of Mineral ores of Chhota Nagpur area for factories employing people of that area . . .	18
404	1971 के युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र से आये विस्थापितों का पुनर्वास	Resettlement of displaced persons from Western Sector during 1971 War .	18
406	उत्पादन लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप खान मालिकों को लौह अयस्क के लिए दिये जाने वाले मूल्य में वृद्धि	Revision of price of iron ore payable to mine owners due to rise in cost of production	19
407	भारतीय दूतावासों की कार्य कुशलता बढ़ाने तथा उन पर होने वाले व्यय में कमी करने के लिए कार्यवाही	Measures to increase efficiency of and reduce expenditure on Indian Embassies	19
410	विदेश सेवा में भर्ती का मापदंड	Criteria for recruitment to Foreign Service	20
415	पाकिस्तान में नजरबंद बीमार बंगाली सैनिकों को मुक्त करना	Release of sick Bengalee soldiers detained in Pakistan	21
418	जून, 1973 में जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन	ILO Conference held at Geneva in June 1973	21
419	संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर	Employment growth rate in organised sector	22
420	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एल्युमीनियम की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए उपाय करना	Steps to meet anticipated demand of aluminium by the end of Fifth Five Year Plan	22

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3972	आवंटित इस्पात के दुरुपयोग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Investigations into misuse of Steel allotments . .	23

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3973	वैगन उद्योग की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति का बिगड़ना	Deterioration in physical and financial operations of wagon industry	23
3974	केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों के विदेशों के दौरे	Foreign Tours of Central Ministers and Government Officers . .	24
3975	अमरीका, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, रूस, जापान और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा का पढ़ाया जाना	Teaching of Hindi language in Universities of U.S.A. West Germany Belgium U.S.S.R. Japan and U.K. .	24
3976	उद्योगों में कम्पयूटरों के प्रयोग के कारण मजदूरों की छंटनी	Retrenchment of workers in industries as a result of use of computers . .	24
3977	नगरों में कोयले के वितरण को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Government take over of distribution of coal in cities	25
3978	राज्य सरकारों द्वारा बागानों में कल्याण अधिकारी को नियुक्त करना	Employment of welfare officers in Plantations by State Governments . .	25
3979	केरल में खनिज अन्वेषण निगम द्वारा आरम्भ की गयी योजनायें	Schemes taken up by Mineral Exploration Corporation in Kerala . .	25
3980	केरल का भूवैज्ञानिक नक्शा	Geological Map of Kerala : .	26
3981	सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की राजदूत के पदों पर नियुक्ति	Appointment of retired Government Officers to Ambassadorial Posts .	26
3982	राज्य सरकारों के माध्यम से लघु उद्योगों को अलौह धातुओं के आवंटन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for allocation of nonferrous metals to Small Industries through State Government	26
3983	राज्य सरकारों तथा संघराज्य क्षेत्रों के माध्यम को लघु उद्योगों को कोयले के वैगनों का आवंटन	Allocation of coal wagons to Small scale industries through State Governments and Union Territories . .	27
3984	उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के सोरई मडावरा क्षेत्र में तांबे के लिए खुदाई	Exploration for copper in Sorai Madawara area of Jhansi District, Uttar Pradesh	27
3985	रूरकेला इस्पात संयंत्र में दुर्घटना	Accident in Rourkela Steel Plant .	28
3986	स्क्रैप तथा डिफेक्टिव लोहे का लघु क्षेत्र तथा एस० आर० एम० ए० के यूनिटों में वितरण प्रणाली	Mode of distribution of scraps and defectives among units Scale sector and SRMA	28

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3987	हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर के जल संबंधी सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफिक) के लिए प्रशिक्षण	Training for Hydrographic Survey of India and Pacific Oceans . .	29
3989	देश में लघु इस्पात संयंत्रों का कार्य	Performance of Small Steel Plants in the country	29
3990	प्रजा सहकारी उद्योग, भरतपुर द्वारा अपोलो स्कूटरों के लिए अग्रिम धन मांगे जाने के बारे में जांच	Enquiry against Praja Sahakari Udyog Bharatpur regarding advance deposits for Apollo Scooter . .	30
3991	प्रधान मंत्री के विदेशों के दौरों पर हुआ व्यय	Expenditure on Prime Minister's Visits to foreign countries .	30
3992	पाकिस्तान में तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोडीं गयी सम्पत्तियों के लिये भारतीय नागरिकों को भुगतान किये गये मुआवज़े की राशि	Amount of compensation paid to Indian citizens for their properties over in Pakistan and former East Pakistan .	31
3993	भारत द्वारा समुद्र में मछली क्षेत्र की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal for Extension of limit of Fishery zone in sea by India . . .	31
3994	भारतीय मशीन टूल्स निगम द्वारा क्रेन्कशाफ्ट ग्राइन्डरों का निर्माण	Manufacture of Crankshaft Grinders by Machine Tool Corporation of India .	32
3995	बल्बों के निर्माण हेतु प्लांट बनाने की हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की योजना	HMT's Plan to make plants for manufacturing Bulbs . . .	32
3996	परमाणु बम	Nuclear Bomb	32
3997	उद्योगों में स्वचालित यंत्रों को लगाने की योजना	Plan for introduction of Automation in Industries	33
3998	भारत अर्थ मूअर्ज लिमिटेड का निर्यात बाजार में प्रवेश	Entering of Bharat Earth Movers Ltd. in Export Market	33
3999	बसंत बिहार, नई दिल्ली में दुकानों के नियमों का पालन न किया जाना	Non-obsvervance of Shop Rules in Vasant Vihar, New Delhi . .	33
4000	वर्ष 1973-76के दौरान सामान्यतः बिहार में तथा विशेषकर छोटा नागपुर क्षेत्र में भारी उद्योगों में लगाई जाने वाली पूंजी	Total investment in Heavy Indstries during 1973-76 for Bihar in General and chhota Nagpur area in particular	34
4001	पश्चिम जर्मनी में भारतीयों को रोजगार	Employment of Indians in West Germany	34

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4002	सीमांत क्षेत्र के विद्रोही नागाओं, कुकियों और कबीलों द्वारा मारे गए भारतीय सैनिक	ndian Army personnel killed by Rebel Nagas, Kookies and Tribes of Frontier Area . . .	35
4003	युद्ध बंदियों को थोड़ी-थोड़ी संख्या में स्वदेश भेजा जाना	Piecemeal Repatriation of P.O.Ws	35
4004	नई दिल्ली स्थित हिंदुस्तान कापर कारपोरेशन का कृत्य	Functions of Hindustan Copper Corporation located in New Delhi	35
4005	भारत में स्थित विदेशी मिशनों द्वारा स्थानीय लोगों को नियुक्त करने संबंधी नियम	Rules Governing Appointment of Local. persons by Foreign Missions in India	36
4006	नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन को हुई हानि को पूरा करने के लिये कार्यवाही	Steps to wipe out losses incurred by Neyveli Lignite Corporation . .	37
4007	ग्वालियर रेयन, भवूर की पल्प डिवीज़न में तालाबंदी	Lock out in Pulp Division of Gwalior Rayon Mavoor	38
4008	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा देशीय बाजार की तुलना में निर्यात से अर्जित आय	Earnings of Hindustan Machine Tools from Imports as against their value in domestic Market	38
4009	राज्यों को आयातित स्टेनलैस स्टील का आवंटन	Allotment of Imported Stainless Steel to States	39
4010	खेतड़ी तांबा समूह में सभी एककों को चालू करना	Commissioning of all the Units at Khetri Copper Complex	41
4011	निर्माण उद्योग पर भविष्य निधि अधिनियम तथा उपदान अधिनियम को लागू करना	Application of Provident Fund Act and Gratuity Act to construction Industry	41
4012	पाला खेमुंडी, उड़ीसा स्थित लघु इस्पात कारखाने का बंद होना	Closure of Palakhemundi Mini Steel Factory, Orrissa	42
4014	सशस्त्र सेवा चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक के अधीन रखे गये विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक	Scientists in various Institutes brought under the Director General of Armed Forces Medical Services . . .	42
4015	बर्मा में भारतीय मूलक लोगों की दशा	Condition of people of Indian origin in Burma	43
4016	जवानों और उनके परिवारों के लिए मकान	Accommodation for Jawans and their families	43

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4017	अधिकारियों और जवानों के बीच वेतन तथा भत्तों के मामले में असमानताओं को कम करना	Reduction in Disparities between officers and Jawans	44
4018	समुद्री रक्षा के लिये अंतर्जलीय एकोनोटिक और तापीय मानचित्रों की आवश्यकता	Need for Under Water Acoustic and Thermal Maps of Seas for Naval Defence	44
4019	भारत-अमरीका संबन्ध	Indo-U.S. Relations	44
4020	नाम्बिया का प्रशासन संभालने के लिये प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र दल	Proposed U. N. Team to take over Administration of Namibia . .	45
4021	विदेशों में स्थित राजनयिक मिशनों के व्यय में कमी	Reduction in Expenditure on Diplomatic Missions Abroad . . .	45
4022	जम्मू शहर की रक्षा व्यवस्था	Defence of Jammu City . . .	46
4023	कोकिंग कोल का उत्पादन	Production of Coking Coal . .	46
4024	बिहार में लपंगा कोयला खान के ऐसे मज़दूरों को मजूरी का भुगतान करना जिनका नाम मजदूरों की प्रकाशित सरकारी सूची में नहीं	Payment of Wages to Workers of Lapanga Colliery, Bihar whose names do not appear in the Officially Published list of Workers	46
4025	विदेशों को भारतीय डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराना	Lending of Services of Indian Doctors to foreign countries . . .	47
4026	प्रशिक्षणार्थी विमान चालकों के लिये जीवन बीमा आरंभ करना	Introduction of life Insurance for Trainee Pilots	47
4027	रूरकेला इस्पात संयंत्र में 500 रुपये प्रति मास तक वेतन पाने वाले पदों के लिये स्थानीय लोगों की भर्ती	Recruitment of Local people against Posts Carrying Pay up to Rs. 500 P.M. in Rourkela Steel Plant . . .	48
4028	राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्तर	Standard of N.C.C.	48
4029	राष्ट्रीय कैडेट कोर को राशन और युद्धोपकरणों की सप्लाई	Ration and Ammunition Supplied to N.C.C.	48
4030	बिहार के गया और नवादा जिलों में कोयले की वितरण प्रणाली का पुनर्विलोकन	Review of Coal Distribution System in Gaya and Nawadah of Bihar . .	49
4031	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा 140 टन तरल धातु डाल कर "कास्टिंग" बनाया जाना	Production of a casting by Heavy Engineering Corporation requiring pouring of 140 Tonnes of Liquid Metal .	49

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4032	परियोजनाओं की स्थापना में विलम्ब को कम करने में इस्पात बैंक की सहायता	Steel Bank help in reducing delays in setting up projects	49
4033	गत तीन महीनों में पूर्वी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन में भारी कमी	Steep fall in production of Steel during the last three months in Eastern region	50
4034	वर्ष 1971 से अब तक हुआ इस्पात का उत्पादन आयात और वितरण	Production, Import and distribution of Steel since 1971	50
4035	कोरबा एल्यूमिनियम और बोकारो इस्पात संयंत्रों के लिये रूस से विशेष इस्पात	Special Steel from USSR for Korba Aluminium and Bokaro Steel Plants .	51
4036	सेना इंजीनियरी सेवा में विभागीय तथा बाहरी उम्मीदवारों के लिये कोटे की भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representations against Retrospective Application of Quota for Departmental and open market candidates in MES	51
4037	सेना इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी एक (भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता) नियम, 1949 के उपबंध	Provisions of Military Engineering Service Class I (Recruitment, Promotion and Seniority) Rules, 1949 . .	52
4038	निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for construction Workers	52
4039	बिहार में रांची रोड स्थित मैसर्स आसाम सिलीमनाइट फैक्टरी का बंद हो जाना	Closing of M/s. Assam Sillimenite Factory at Ranchi Road Bihar . .	53
4040	ट्रक के चैसिस के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Truck Chassis . .	53
4041	जस्ते, ताम्बे के निक्षेपों तथा तेल के कुओं के लिए मध्य प्रदेश के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted by Geological Survey of M.P. for zinc, Cotton and Oil Wells	54
4042	कुमुमुंडा क्षेत्र कोरबा (मध्य प्रदेश) से कोयले का उत्पादन	Production of Coal from Kusumanda Area of Korba (Madhya Pradesh) .	54
4043	सरगुजा जिला (मध्य प्रदेश) में सरकारी क्षेत्र में कम ताप वाला कोयला तैयार करने के संयंत्र (लो टेम्परेचर कोल कार्बोनाइजेशन प्लांट) की स्थापना	Setting up of a low Temperature coal Carbonisation Plant in Public Sector in Sarguja District (M.P.) . .	54

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4044	नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में घाटे की स्थिति को ठीक करने के लिये कदम	Steps to off set the loss in Neyveli Lignite Corporation	55
4045	मिश्रित इस्पात तथा विशेष इस्पात के उपादन में वृद्धि	Increased production of Alloy Steel and special Steel	56
4046	पारस्परिक सहयोग के लिये भारत तथा अफगानिस्तान के बीच प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान	Exchange of Delegation between India and Afghanistan for Mutual Co-operation	56
4047	मद्रास शहर में कर्मचारी वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का कथित गलत-संकलन	Allegedly Defective Compilation of Consumer price Index for Working Class in Madras City . . .	57
4048	कुछ बड़े देशों द्वारा किये गये परमाणु परीक्षण	Nuclear Tests carried out by some big countries	57
4049	जुलाई, 1973 में इटली से एक प्रतिनिधि मंडल का दौरा	Visit by a Delegation from Italy during July, 1973	58
4050	एस० ए० आई० एल० के ढांचे को सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग पर लागू करना	Application of Pattern of SAIL to Public Sector Heavy Industry . .	58
4051	इन्वैस्टीगेटर ग्रेड-दो की भर्ती संबंधी प्रक्रिया	Procedure of Recruitment of Investigators Grade II	58
4052	कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु इकानामिक इनवैस्टीगेटर्स ग्रेड-एक तथा दो को प्रशिक्षण	Training of Economic Investigators Grade I and II to improve their efficiency.	60
4053	रक्षा मंत्री की ब्रिटेन यात्रा	Defence Minister's visit to U.K. . .	60
4055	कोयला संसाधनों का उपयोग करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों के परिरक्षण पर जोर	Stress on Exploiting Coal Resources and conservation of Petroleum products .	60
4056	लौह अयस्क खनन उद्योग में कम माल उठाये जाने के कारण संकट की स्थिति	Crisis due to low off take in Iron Ore Mining Industry	61
4057	सशस्त्र सेनाओं के लिये विमानों की आवश्यकता	Requirement of Aircrafts for Armed Forces	61
4058	व्यापार के विस्तार के लिये नार्वे के साथ संयुक्त आयोग	Joint Commission with Norway for Expansion of Trade . .	61

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4059	मजदूर संघ अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों का भारत द्वारा अनुसमर्थन	Ratification of ILO Convention on Trade Union Rights by India . .	62
4060	पांचवी योजना अवधि में श्रमिकों के लिये विश्राम गृह तथा अवकाश शिविरों की स्थापना	Setting up of Workers Rest Houses and Holiday Camps during Fifth Plan Period . . .	62
4061	भारतीय सेना की सप्लाई, भंडाकरण तथा वितरण संबंधी नीतियां	Supply, Stocking and Provisioning Policies of Indian Army . . .	62
4062	ग्यारह देशों के व्यापार संघीय संगठनों द्वारा अल्जीयर्स में होने वाले गुटों से अलग रहने वाले देशों की शिखर बैठक में प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया दस्तावेज़	Document prepared by Eleven Countries Trade Union Organisations for presentation at Non-Aligned Summit Meeting at Algiers . . .	63
4063	1971 के मध्यावधि चुनाव के उपरांत की व्यवस्था में विदेश मंत्री की शक्तियां और कृत्य	Powers and Functions of External Affairs Minister under Post —1971 Mid-Term Poll Dispensation. . .	64
4064	फिरोजाबाद ग्लास फैक्टरी और लघु उद्योगों को कोयले की सप्लाई न मिलना	Non-supply of coal to Ferozabad Factory and Small Scale Industries	64
4065	विभिन्न उद्योगों में दी जाने वाली न्यूनतम मजूरी में असमानता	Disparity in Minimum Wages in different industries.	65
4067	वर्ष 1973 के दौरान श्रमिक विवाद और अशांति	Increase in Labour Troubles and Unrest during 1973	66
4068	1966 में स्थापित किये गए कृषि श्रमिक सेल का समाप्त किया जाना	Abolition of Agricultural Labour Cell set up in 1966	66
4069	हिन्द महासागर में अमरीकी, ब्रिटिश और इरानी अतिक्रमण के कारण भारत की सुरक्षा और समुद्री मार्ग से व्यापार को उत्पन्न खतरा	Threat posed to India's Security and Sea Borne Trade due to US British, and Iranian Intrusion in Indian Ocean	67
4070	मेंगनीज़ उद्योग में रोज़गार की क्षमता	Employment Generating Potential in Manganese Industry . . .	67
4071	चीन द्वारा नेपाल-तिब्बत सीमा पर सड़क निर्माण	Construction of Road on Nepal-Tibet Border by China	67
4072	मध्य प्रदेश में "भिलाई स्टील स्लेग रैकेट"	Bhilai Steel Slag Racket in Madhya Pradesh .	68

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4073	गत तीन वर्षों में बड़े स्तर के, मध्यम स्तर के तथा लघु स्तर के उद्योगों को इस्पात का राज्यवार आवंटन	State wise Allotment of Steel to Large Scale, Medium Scale and Small Scale Industries during the last three years.	68
4074	श्रमजीवी वर्ग के लिये उभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संकलन की विधि	Method of compilation of Consumer Price Index for working Class . .	69
4075	हैवी इलैक्ट्रिकल भोपाल द्वारा मोटर विभिन्न दरों पर गुजरात तथा मध्य प्रदेश को बेचा जाना	Sale of Motors Manufactured by Heavy Electricals, Bhopal to Gujarat and Madhya Pradesh at different rates .	70
4076	रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान और संयुक्त सेवा संस्थान द्वारा रक्षा समस्याओं का अध्ययन	Study of Defence problems by Institutes of Defence Studies and Analysis and United Service Institute . . .	71
4077	आंध्र प्रदेश को कोयला की अनिश्चित और अनियमित सप्लाई के कारण प्रमुख उद्योगों के उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Eratic and Irregular Supply of coal to Andhra Pradesh on Production in Major Industries . .	71
4078	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मैंगनीज़ अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही	Steps to raise Manganese Ore output during Fifth Five Year Plan .	72
4079	हैवी इलैक्ट्रीकल, भोपाल में लोहे की कतरनों का घोटाला	Scrap Iron Scandal in Heavy Electricals, Bhopal	72
4080	भिलाई इस्पात कारखाने को अप्रैल, 1973 से जून, 1973 तक हुआ घाटा	Loss suffered by Bhilai Steel Plant during April 1973 to June, 1973 . .	73
4081	शाहडोल आदिवासी क्षेत्रों में कोयला खानों में स्थानीय आदिवासियों के लिये रोज़गार	Employment of Local Adivasis in Coal Mines in Shahdol Adivasi Areas	73
4082	आर० वी० एच० एम० जूट फैक्ट्री, कटिहार बिहार की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	EPF dues with RVHM Jute Factory Katihar in Bihar	72
4083	दानापुर छावनी का वार्ड संख्या 6	Ward No. 6 of Danapur Cantonment .	74
4084	न्यासों को कोयला खाने वापस करना	Return of Coal Mines to Trusts.	75
4085	हजारी बाग की स्वांग कोयला-खान की महिला श्रमिकों को नौकरी से हटाना	Removal from Service of Women workers of Swag Colliery of Hazaribagh .	75
4086	पत्तनों का विकास	Development of Ports	75

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4087	पाकिस्तान द्वारा अब तक हिरासत में रखे गए भारतीय व्यापारिक बेड़े के कुछ नाविक	Indian Merchant Navy Men Still held by Pakistan	76
4088	सरकारी क्षेत्र में अलौह धातुकर्मीय डिजाईन तथा सलाहकार उपक्रम का विकास	Development of Non-Ferrous Metallurgical Design and Consultancy Undertaking in Public Sector .	76
4090	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी में अतिरिक्त क्षमता के लिये 400 करोड़ रुपए की राशि का योगदान	Contribution of Rs. 400 crores for additional Capacity in Tisco during Fifth Five Year Plan . . .	77
4091	नौसेना में निशस्त्र तथा पुराने सुपर कान्सटलेशन विमानों का प्रयोग	Obsolete and out Dated Unarmed Super Constellations used in Navy .	78
4092	सैनिक अधिकारियों के निवास स्थानों पर जवानों/नाविकों/एयरमैनों की नियुक्ति	Posting of Jawans/Seamen/Airmen to Residences of Service officers . .	78
4093	व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना	Vocational Training Schemes	79
4094	चौथी योजना में आरंभ की गई तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी होने वाली सुकिन्डा निकिल परियोजना	Sukinda Nickel Project to be taken up in Fourth and completed in Fifth Five Year Plan	79
4095	2 उड़ीसा नौसेना यूनिट, एन० सी० सी० के मुख्यालय को भद्रक से संबलपुर ले जाया जाना	Shifting of Headquarter of 2 Orissa Naval Units from Bhadrak to Sambalpur	80
4096	राष्ट्रीय छात्र सेना के कार्यकरण के मूल्यांकन हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति	Appointment of a High Power Committee to Review the Working of NCC	80
4097	सीमेंट उत्पादन में काम आने वाली मशीनों का निर्माण	Manufacture of Machines used in Cement Production	81
4098	दिल्ली में पी० जी० टी० और टी० जी० टी० के पदों के लिये पंजीकृत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति	S.C. and S.T. Registered in Delhi for Posts of PGT and TGT . . .	81
4099	परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों के ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित करना	Declaring Villages of Param Vir Chakra Winners as Model Villages . .	83

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4100	भूतपूर्व सैनिकों को मनीआर्डरों द्वारा पेंशन का भुगतान	Payment of Pensions to Ex-Servicemen by Money Orders	83
4101	सीमा सड़क डिविजन द्वारा निर्माणाधीन सड़कों के नाम तथा किलोमीटरों में उनकी लम्बाई	Name and Kilometerage of Roads under Construction by Border Roads Division	83
4102	भूतपूर्व स्थल सेना को समीपवर्ती सैनिक वायु सेना तथा नौसेना के प्रशिक्षण स्कूलों के साथ संबंध करना	Association of Ex-servicemen with near-by Military, Airforce and Navy Training Schools	84
4103	सिविल प्रयोजनों के लिये सेना का प्रयोग	Deployment of Army for civil purpose.	84
4104	गांव नांगलराया, नई दिल्ली में किराए पर ली गई भूमि	Hired Land of Village Nangal Raya, New Delhi	86
4105	नई दिल्ली के नंगलराया गांव में 9.83 एकड़ भूमि	9.83 Acres piece of land of Nangal Raya Village, New Delhi . . .	87
4106	गांव नंगलराया नई दिल्ली की भूमि के लिये किराए के मुआवजे के भुगतान में विलंब	Delay in payment of rental compensation for the land of Village Nangal Raya, New Delhi	87
4107	कुमाउं की पहाड़ियों में लिगनाइट, तांबा अभ्रक, चूना तथा अन्य खनिजों के निक्षेप	Deposits of Lignite, Copper, Mica, Limestone, and other Minerals in Kumaon Hills	88
4108	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी द्वारा लाभांश की घोषणा	Declaration of Dividend by ISCO	89
4109	भारतीय सेना में हिन्दी के प्रयोग का आदेश लागू किया जाना	Implementation of Orders for use of Hindi in Indian Army	89
4110	1971 की भारत-रूस संधि	Indo-Soviet Treaty of 1971	89
4111	हैदराबाद में स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by State Bank Employees in Hyderabad	90
4112	नए उत्पादन एकक	New Production Units . . .	90
4113	हड़तालों और तालाबंदियों के परिणामस्वरूप जनदिवसों की हानि	Man days lost due to Strikes and Lock outs	91
4114	तालाबंदियों पर प्रतिबंध	Ban on Lock outs	91
4115	पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भारी उद्योगों की वर्तमान स्थिति	Existing Position of Heavy Industries in North Eastern Areas . . .	91
4116	भूतपूर्व सैनिकों को अतिरिक्त सुविधाएं	Additional Facilities to Ex-Servicemen	93

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4117	सेना के जवानों और अधिकारियों की विधवाओं को पेंशन का भुगतान न किया जाना तथा अन्य सुविधाएं न दिया जाना	Non-payment of Pensions/Facilities to the Widows of Jawans and officers .	94
4118	भारी उद्योग मंत्रालय में नियुक्त अनेक वर्गों के कर्मचारी	Persons belonging to Various Categories Employed in Ministry of Heavy Industry	94
4119	जापान स्थित भारतीय दूतावास के कार्यालय अध्यक्ष का दर्जा बढ़ाया जाने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to raise Status of Head of Indian Mission in Japan . .	95
4120	खेतड़ी परियोजना में कथित कुप्रबंध	Alleged Mismanagement in Khetri Project	95
4121	भारत और रुमानिया के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधी नियुक्त निकाय का गठन	Setting up of Joint Body on Economic and Technical Co-operation between India and Rumania . . .	96
4123	पश्चिम बंगाल में कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में छटनी, तालाबंदी तथा उनके बंद होने से बेरोजगार हुए श्रमिक	Jobs lost by Workers in West Bengal in Retrenchment, closure and Lock out in Factories and Industrial Establishments	96
अविलंबनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	96
नेताजी जांच आयोग को ताइवान सरकार से कोई सहायता न लेने के संबंध में अनुदेश दिये जाने का समाचार		Reported instructions to Netaji Inquiry Commission not to seek any help from Taiwan	96
श्री समर गुह		Shri Samar Guha .	96
श्री स्वर्ण सिंह		Shri Swaran Singh .	96
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		Papers Laid on the Table . . .	100
संसद और राज्य विधानमंडलों के उपनिर्वाचन कराने के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य		Statement by Member re-bye-elections to Parliament and State Legislatures	
श्री श्यामनन्दन मिश्र		Shri Shyamnandan Mishra .	102
श्री नीतिराज सिंह चौधरी		Shri Nitiraj Singh Chaudhary . .	103
नियम 377 के अधीन मामला		Matter under Rule 377 . . .	104
केरल में वैगनों का उपलब्ध न होना		Non-availability of wagons in Kerala	104
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1973-74		Supplementary Demands for Grants (Railways), 1973-74	105

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . .	105
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . .	106
श्री मोहनराज कलिंगारायर	Shri Mohanraj Kalingarayar .	106
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	107
श्री तरूण गोगोई	Shri Tarun Gogoi .	107
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banmali Patnaik	108
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	108
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P.R. Shenoy .	109
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	110
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	110
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	110
श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव	Shri N.P. Yadav . .	111
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhanshah Pradhan . .	112
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey . .	112
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A.K.M. Ishaque	113
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	113
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary .	114
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof Narain Chand Parashar	115
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao.	115
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	115
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	115
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	116
विनियोजन (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1973—**पुरः स्थापित और पारित**	Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1973—**Introduced and passed** . .	119
देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर कथित अत्याचारों के संबंध में चर्चा	Discussion re. Reported atrocities on Harijans in various parts of the country	121
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . . .	121
श्री नवलकिशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	123
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	124
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh .	124
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	128

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad . .	129
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	129
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon . .	130
श्री आर० पी० अलगनम्बी	Shri R.P. Ulaganambi .	131
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga . .	132
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K.S. Chavda	132
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji . .	134
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit.	134

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 23 अगस्त्, 1973/1 भाद्र 1895 (शक)
Thursday, August 23, 1973/Bhadra 1, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Task Force to keep a watch on activities of Employment Services

*401. **Shri Shrikrishna Agarwal:**

Shri G. P. Yadav:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal to set up a 'Task Force' for keeping a watch on the activities of employment services in the country; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुराय रेड्डी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Shrikrishna Agarwal: Why so? Why the Government is not considering over it?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस विषय पर यद्यपि सरकार ने कोई समिति नहीं बनाई है, तथापि योजना आयोग ने रोजगार सेवाओं संबंधी ऐसी 'फोर्स' बनाई है जो पांचवीं योजना के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए बनाई गई अनेक 'फोर्सों' में से एक है। उसकी अन्तरिम रिपोर्ट मिल गई है और अन्तिम रिपोर्ट अभी मिलनी है। इसकी प्राप्ति पर योजना आयोग द्वारा बनाया गया अन्तमंत्रालय कार्यकारी दल इसकी जांच करेगा ताकि पांचवीं योजना में नीति निर्धारण किया जा सके। रोजगार या बेरोजगारी संबंधी योजना के कार्यकरण की निरन्तर देख रेख के लिए कोई समिति नहीं है।

Shri Shrikrishna Agarwal: I want to know why local people do not get employment in Industries set up by the Centre in backward areas? This will lead to difficulties which would go on increasing if no attention is paid towards this. So, will this be attended to in order to ensure employment to local people?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक स्थानीय लोगों को रोजगार देने का संबंध है, मैं समझता हूं कि कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित हैं और स्थानीय लोगों को आवश्यक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांची: देश की विकट आर्थिक स्थिति के कारण इस वर्ष 400 करोड़ रुपये की बचत करने का प्रस्ताव है, अर्थात् दो-तिहाई गैर-योजना व्यय में और एक-तिहाई योजनागत व्यय में। तो, क्या इस किफायत का रोजगार सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा और क्या दोनों प्रकार की इस बचत से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करने में काफी बाधा नहीं पड़ेगी?

श्री रघुनाथ रेड्डी : योजना आयोग का इस ओर पूरा ध्यान है, और सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक प्रयास रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करने की दिशा में होगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि वर्ष 1971-72 और 1972-73 में रोजगार जुटाने के लिए भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए जाने वाले द्रुत कार्यक्रम का क्या हुआ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत द्रुत कार्यक्रम चालू है। इस समय मेरे पास ब्यौरा नहीं है।

श्री समर गुह: क्या पश्चिम बंगाल में कई हजार लोगों की भर्ती सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार की गई है और क्या ये नियुक्तियां अनियमित हैं क्योंकि ये लोक सेवा आयोग या रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से नहीं की गई हैं? मेरी सूचनानुसार सरकार ने विधायकों के माध्यम से ये नियुक्तियां की हैं और प्रत्येक विधायक को 30 का कोटा दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके महत्व से इन्कार नहीं है परन्तु यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। आप इसे ठीक ढंग से रखें।

श्री समर गुह: क्या पश्चिम बंगाल में बनाई गई 'टास्क फोर्स' द्वारा भर्ती नियमों का उल्लंघन करके सीधी भर्ती की गई है?

अध्यक्ष महोदय : खेद है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसकी पृथक सूचना भेजें।

श्री समर गुह : मूल प्रश्न का विषय 'टास्क फोर्स' है। अतः जब नियमों का उल्लंघन हुआ है तो हमे यह पूछने का अधिकार है कि ऐसा क्यों हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर दे दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं सदस्य महोदय की कुछ बातों से कतई सहमत नहीं हूं। मेरे पास इस विशेष मामले संबंधी जानकारी भी नहीं है क्योंकि मूल प्रश्न सामान्य है। यदि पर्याप्त सूचना मिले तो इसका उत्तर जुटाया जा सकता है। साथ ही यह विषय राज्य सरकार और विधान सभा का है।

टोक्यो से स्वर्गीय श्री रासबिहारी बोस की भस्म लाना

*405. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महान भारतीय क्रान्तिकारी नेता रासबिहारी बोस की भस्म लगभग 28 वर्ष से टोक्यो में रखी हुई है;

(ख) यदि हां तो उनकी भस्म की उचित सम्मान के साथ देखभाल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और उनकी भस्म को उचित राष्ट्रीय सम्मान के साथ वापस मातृभूमि में लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) जापानी बौद्ध लोगों के रिवाज के अनुसार स्वर्गीय श्री रासबिहारी बोस की भस्मी का कुछ अंश टोकियों में एक पारिवारिक मकबरे में रखा गया है जिसकी देखभाल श्री रासबिहारी बोस की पुत्री करती हैं और शेष अंश जौजौजी मंदिर टोकियो में रखा गया है।

उनकी भस्मी भारत में लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री समर गुह : यह क्या उत्तर है कि भस्म को भारत में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्या यह सच नहीं है कि श्री रासबिहारी बोस ने ही 1912 में चांदनी चौक में लार्ड हार्डिग पर बम फैंका था और क्या उन्होंने ही कर्तार सिंह, भाई परमानन्द, मास्टर अमीर चन्द, श्री पिंगले, कपले, विनायक राव आदि के साथ अमृतसर, लाहौर, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर क्रान्तिकारी दल नहीं बनाए थे? क्या 1915 में उन्हीं के नेतृत्व में ही देश भर में सिपाही विद्रोह नहीं हुआ था और क्या उन्होंने ही सर्वप्रथम आज़ाद हिन्द फौज का संगठन नहीं किया था बाद में जिसका नेतृत्व नेताजी ने किया था..

अध्यक्ष महोदय : यह तथ्य तो सर्वविदित है। आप पूछना क्या चाहते हैं?

श्री समर गुह : यदि यह ठीक है तो क्या सरकार उन्हें महान क्रान्तिकारी और देशभक्त नहीं मानती और क्या उनकी अन्तिम इच्छा यह नहीं थी कि उनकी भस्मी मातृभूमि में लाकर गंगा के पवित्र जल को समर्पित की जाये? तो, क्या सरकार उनकी भस्मी को राष्ट्रीय सम्मान सहित यहां लाने में पहल करेगी और उस महान क्रान्तिकारी की अन्तिम इच्छा पूरी करेगी?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: निःसंदेह उन्होंने देश की स्वाधीनता में महान योगदान किया। वह महान देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी थे और हम उनका आदर करते हैं। उनकी अन्तिम इच्छा के बारे में हमें हाल ही में ज्ञात हुआ है और हमारे दूतावास ने उनकी पुत्री से टोकियो में यह जानने के लिए सम्पर्क स्थापित किया था कि श्री बोस ने यह इच्छा व्यक्त की थी या नहीं। हमारे दूतावास ने हमें लिखा है कि उनकी पुत्री का कथन है कि उसे याद नहीं है कि उसके पिता ने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त की थी। हमें इतनी ही सूचना मिली है।

जहां तक उनकी भस्म यहां लाने की बात है, हमारा मंत्रालय इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकता। इस मामले पर या तो गृह मंत्रालय या निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जानी है। हमें तो ऐसा निर्णय होने पर उसका पालन करने में सहायता करनी है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव है और यदि भारत सरकार निर्णय ले लेती है तो हम निश्चय ही इसे कार्यान्वित करेंगे। हम अपने आप इस संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या संयुक्त उत्तरदायित्व है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालय पृथक रूप से कार्य करता है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: सरकार किस तरह कार्य करती है?

श्री समर गुह : मैं इस मामले में आप से सहायता अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूं....

अध्यक्ष महोदय : मैं सहायता अथवा मार्गदर्शन करने में असमर्थ हूं। मैं केवल सुन रहा हूं।

श्री समर गुह : क्या कोई मंत्रालय पृथक रूप से कार्य करता है? सरकार संयुक्त रूप से मन्त्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लेती है। मैं दी गयी सूचना से सहमत नहीं हूं। मैं स्वयं टोक्यो गया था और स्वर्गीय श्री रास बिहारी बोस की सुपुत्री से मिला था। मैं यह भी जानता हूं कि यह बात अनेक पुस्तकों में लिखी गयी है कि उनकी अन्तिम इच्छा यह थी कि उनके फूलों को मातृभूमि लाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि यह अधिक अच्छा होगा कि आप यह उत्तर स्वर्गीय श्री रास बिहारी बोस की सुपुत्री को भेज सकते हैं कि उनके वक्तव्य को गलत ढंग से क्यों पेश किया जा रहा है और वह क्या ठीक कह रही हैं अथवा यह ठीक कह रहे हैं।

श्री समर गुह : मैं जानता हूं कि वहां हमारा दूतावास किस प्रकार काम कर रहा है .....

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि आप उनके वक्तव्य को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं।

श्री समर गुह : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब पंडित जवाहर लाल नेहरू जीवित थे तो स्वर्गीय भूपति मजुमदार के, जो स्वयं एक महान् क्रांतिकारी थे और पश्चिम बंगाल के मंत्री भी थे, नेतृत्व में रासबिहारी बोस स्मारक समिति पंडित जवाहर लाल नेहरू से कई बार मिली और पंडित जी ने आश्वासन दिया था कि उनके फूलों को भारत लाया जायेगा और कि चांदनी चौक वाले घर को, जहां उन्होंने लार्ड हार्डिंग पर बम फैंका था, खरीदने के लिये पग उठाये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुरानी फाइलों को देखा गया है और क्या अन्य मंत्रालयों से परामर्श करके उनके फूलों को भारत लाने के लिये प्रबन्ध किये जायेंगे और क्या भारत सरकार द्वारा चांदनी चौक के घर को अधिगृहीत किया जायेगा? क्या आप जानते हैं कि उनके सभी साथियों को जो उनके साथ लाहौर जेल में थे, फांसी दे दी गयी थी? चांदनी चौक वाले घर को रास बिहारी बोस तथा अमीनचन्द, पिंगले एवं उनके अन्य साथियों के लिये स्मारक के रूप में सुरक्षित कर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही के लिये सुझाव है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : श्रीमन् जी, इस समय मेरे पास स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू को दिये गये सुझावों के संबंध में कोई सूचना नहीं है। मैं पुनः यह दोहराता हूं कि जहां तक उनके फूलों को भारत लाने का संबंध है, यह ऐसी बात है कि जिसके हम विरोधी नहीं हैं। किन्तु हमारी मुख्य कठिनाई यह है कि यह मंत्रालय अपने आप निर्णय नहीं ले सकता और यदि भारत सरकार द्वारा निर्णय ले लिया जाता है तो यह मंत्रालय उसे कार्यान्वित करने के लिये हर सम्भव पग उठायेगा।

श्री बसन्त साठे : अभी दिये गये उत्तर को देखते हुए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी चरण पर उसने जापान की सरकार के साथ इस मामले पर बात-चीत की थी और क्या जापान की सरकार ने उनके फूल अथवा कम से कम उनके फूलों के कुछ भाग को लाने के लिये कुछ आपत्ति की थी और यदि ऐसी बात नहीं है, तो उनके फूलों अथवा उनके फूलों के कुछ भाग भारत को लाने में हमारी सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री जी० विश्वनाथन : सरकार तो है ही नहीं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस चरण पर जापान की सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत करने का प्रश्न ही नहीं उठता । भारत सरकार ने पहले तो निर्णय लेना है और जब भारत सरकार के सामने कोई निश्चित प्रस्ताव होता है, केवल तभी हम जापान की सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत कर सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The hon. Minister has himself admitted that Shri Rashbehari Bose was a revolutionary. He might be remembering that the bomb, which was thrown at Lord Harding, is linked with the name of this great revolutionary. Has the Government's attention been drawn to this matter that the house in Chandni Chowk should be requisitioned and connected into a memorial to martyrs by the Government?

Shri Surendra Pal Singh: This suggestion made by the Hon'ble Member would be sent to the Home Ministry.

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० रामगोपाल रेड्डी —उपस्थित नहीं हैं। श्री बी० के० दास चौधरी।

हिन्दुस्तान तांबा निगम द्वारा अपनी खेतड़ी परियोजना में "ट्रिपल सुपर फासफेट" का निर्माण

*408. **श्री बी० के० दासचौधरी:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान तांबा निगम का अपनी खेतड़ी परियोजना में "ट्रिपल सुपर फासफेट" का निर्माण करने का कोई विचार था; और

(ख) क्या यह निर्माण आरम्भ हो गया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। अम्ल-सह-उर्वरक संयंत्र निर्माणाधीन है।

श्री बी० के० दासचौधरी: मंत्री महोदय के वक्तव्य में विशेषकर भाग (क) के उत्तर में यह कहा गया है 'जी हां, श्रीमान् जी', क्या मैं जान सकता हूं कि इस संदर्भ में क्या ट्रिपल सुपर-फासफ़ेट के निर्माण का यह विचार देश में उपलब्ध 'राक फासफ़ेट' और अन्य कच्ची सामग्री पर आधारित है अथवा यह पूर्ण रूप से आयातित राक फास्फ़ेट पर ही निर्भर है?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना का कुल अनुमान क्या होगा और इस के पूरी तरह चालू हो जाने से इस योजना के अन्तर्गत कितनी मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होंगे?

इस्पात और खान मंत्री श्री टी० ए० पाई: इसकी लागत का अनुमान 16.21 करोड़ रुपये का है। इसमें से विदेशी मुद्रा 2.07 करोड़ रुपये तक की व्यय होगी। सलफ्यूरीक एसिड संयंत्र की क्षमता 700 टन प्रति दिन की होगी और फ़ास्फोरिक एसिड के संयंत्र की क्षमता 210 टन प्रति दिन की होगी। फास्फोरिक एसिड संयंत्र के डिज़ाइन को मोरक्को खुआरगीबा राक फास्फेट के आधार पर तैयार किया गया है। वर्तमान डिजाईन को प्रयुक्त किये जा रहे आयातित राक फास्फ़ेट के आधार पर तैयार किया गया है और हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम उदयपुर राक फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं।

इन निक्षेपों को विश्लेषण के लिये भेजा जा रहा है और परीक्षण भी किया जा रहा है। राक फास्फेट की प्रति वर्ष आवश्यकता लगभग 2.80 लाख टन होगी। 1973–74 की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये इस वर्ष 25,000 टन 'राक फास्फेट' आयात करने का विचार है। फरवरी, 1974 तक इस परियोजना के पूरा हो जाने की सम्भावना है, किन्तु इसके पूरा होने में और तीन से चार मास का विलम्ब हो सकता है।

श्री बी० के० दासचौधरी: क्या वह इस सम्मानित सभा के समक्ष स्पष्ट करेंगे कि ऐसी परियोजना को आयातित 'राक फ़ास्फ़ेट' के आधार पर तैयार करने की क्या आवश्यकता थी, जबकि उदयपुर में ही 'राक फास्फेट' आसानी से उपलब्ध है? दूसरे किन विशेष कारणों से मंत्रालय ने 'राक फास्फेट' की सप्लाई के लिये ठेके किये? इतने अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने के कौन से विशेष कारण हैं जबकि वास्तविक निर्माण शुरू ही नही हुआ है? कुल अनुमानित व्यय क्या होगा और इसके पूरा होने के लिये क्या लागत आयेगी? श्रीमान् जी क्या यह न्यायसंगत है?

श्री टी० ए० पाई: स्पष्ट रूप से यह महसूस किया गया है कि उदयपुर में उपलब्ध 'राक फास्फेट' सर्वोत्तम किस्म का है और इसे आयातित "राक फास्फेट" के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। किन्तु कुछ अध्ययनों से पता चला है कि यह समान किस्म का नहीं है और हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। मैं यह बता दूं कि इस संयंत्र के डिजाईन को केवल आयातित 'राक फास्फेट' के आधार पर तैयार करने का निर्णय शायद इन परिस्थितियों में सर्वोत्तम नहीं था।

श्री बी० के० दासचौधरी: श्रीमान् जी, क्या यह आत्मनिर्भरता का प्रारम्भ है?

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली: माननीय सदस्य ने कहा है कि उदयपुर के 'राक फास्फेट' की किस्म अपेक्षित किस्म की नहीं है। रूस में 10 प्रतिशत शुद्धता वाला 'राक फास्फेट' भी प्रयुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मसूरी में यह 21 प्रतिशत शुद्धता वाला उपलब्ध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिये इन स्थानों पर कोई परिष्करण संयंत्र स्थापित किया जायेगा कि मूल्यवान खनिजों का उचित रूप से उपयोग किया जाये और विदेशों से हमें आयात न करना पड़े?

श्री टी० ए० पाई: यदि प्राप्त सूचना से मुझे यह मालूम हुआ कि अपेक्षित किस्म का 'राक फास्फेट' वहां उपलब्ध है तो हम निश्चय ही इसका आयात करने की बजाये यहां के 'राक फास्फेट' का ही उपयोग करेंगे। हम दूसरे संयंत्र को स्थापित करने की बजाये उपलब्ध 'राक फास्फेट' से ही आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa: Is there any possibility of getting rock phosphate in Bundi Chitorgarh and Hindon in Rajasthan in addition to Udaipur? Has any survey been conducted in this regard? Are they going to import it and if so, the quantity thereof? Have they conducted any survey in other parts of Rajasthan in case it is not available in Udaipur in sufficient quantity?

श्री टी० ए० पाई: वहां कुछ निक्षेप हैं, किन्तु वे अपेक्षित किस्म के हैं या नहीं, इस बारे में मैं तब तक नहीं बता सकता, जब तक इस बारे में विस्तृत सर्वेक्षण न कर लिया जाए कि क्या देश 'राक फास्फेट' के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बन सकता है।

श्री जगन्नाथ राव : श्रीमान् जी, यह कहना ठीक नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में 'राक फास्फेट' उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में, खेतड़ी के आसपास ही यह भारी मात्रा में उपलब्ध है। पहले खुदाई की गयी थी और आयातित 'राक फास्फेट' पर आधारित खेतड़ी में सुपर-फास्फेट संयंत्र स्थापित करने के लिये कभी भी विचार नहीं किया गया। मुझे यह मालूम नहीं है कि मन्त्री महोदय यह किस प्रकार कहते हैं कि संयंत्र के लिये इस आयातित राक-फास्फेट का उपयोग किया जायेगा।

श्री टी० ए० पाई : मैं यह कहता हूं कि इस संयंत्र का स्थान-निर्धारण, स्थानीय 'राक फास्फेट' निक्षेपों के आधार पर किया गया था। इसलिये इस संयंत्र का उपयोग किया जा रहा है। नमूनों का विश्लेषण और परीक्षण किया जा रहा है और हमने पाया है कि डिज़ाईन में काफ़ी अधिक परिवर्तत करना पड़ेगा। तब तक हमें आयातित वस्तु पर निर्भर रहना पड़ेगा। मैं इस चरण पर यह कहने में असमर्थ हूं, कि जब हम इस संयंत्र की स्थापना के संबंध में आधा काम कर चुके हैं, तो इस स्थिति में क्या हम इन डिज़ाईनों में परिवर्तन कर सकते हैं।

यू० के० के० साथ लड़ाकू विमान सम्बन्धी सौदा

*409. **श्री मोहम्मद† शरीफ** :

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन से लड़ाकू विमान सम्बन्धी किसी सौदे के बारे में बातचीत हो रही थी और ब्रिटेन उक्त सौदे से मुकर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं श्री मान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद शरीफ : क्या लड़ाकू विमानों के लिये किसी अन्य देश से वार्ता करने का सरकार का विचार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ प्रस्ताव हमारे विचाराधीन हैं। यह बताना जनहित में नहीं होगा कि हम किस विषय पर विचार कर रहे हैं और इस बारे में हम अभी किस स्थिति में हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि भारत सरकार विमानवाही पोत--विक्रांत--के विमानों को बदलने के लिये ब्रिटेन की एक फर्म से विमान सप्लाई करने हेतु वार्ता करना चाहती है क्योंकि ये विमान बहुत पुराने हैं यद्यपि बंगलादेश युद्ध के दौरान इनका कार्य प्रशंसनीय रहा। क्या यह सच है, जैसे कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, कि ब्रिटेन ने हमारे विमानवाही पोत विक्रांत के लिये नए विमान देकर पुराने विमानों को बदलने की आशा दिलाई लेकिन बाद में अपने वचन से पीछे हट गया ? यदि यह सच है, तो क्या इसका अर्थ यह होगा कि कुछ वर्षों में विक्रांत व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयोगी हो जाएगा ? इसकी स्थिति क्या है ? मेरे विचार में प्रश्न इसी संबंध में है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच है कि विमानवाही पोत 'विक्रांत' के विमानों को बदलने की आवश्यकता है, और हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह बात सच नहीं है कि ब्रिटेन की फर्म ने विमान देने की पेशकश की थी और वह इससे पीछे हट गई है। क्योंकि, जैसे कि मैं अपने मूल उत्तर में कह चुका हूं, कोई भी निर्णय नहीं लिया गया; कोई पेशकश नहीं की गई और कोई वार्ता नहीं हुई। आज नौसेना ही नहीं बल्कि वायु सेना के लिये भी विभिन्न प्रकार के विमान लिये जाने पर विचार किया जा रहा है और चूंकि कोई करार नहीं हुआ, इसलिये पीछे हटने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस पर अधिक प्रश्न नहीं होंगे।

महाराष्ट्र में समेकित इस्पात संयंत्र

*411 **श्री शंकरराव सावंत** (क्या **इस्पात और खान**) : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चन्द्रपुर ज़िले में एक समेकित इस्पात संयंत्र चालू करने के बारे में प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या उस स्थान पर लोहा और कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित स्थान का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया है कि चन्द्रपुर ज़िले के सूरजगढ़ क्षेत्र में एक सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखाना लगाने हेतु तकनीकी-आर्थिक शक्यता अध्ययन करवाया जाए । उन्होंने जो नोट तैयार किया है उसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि इस कारखाने के लिये लौह खनिज सूरजगढ़ क्षेत्रों से प्राप्त किया जाए और जबकि धातु कार्मिक कोयले की आवश्यकता झरिया कोयला क्षेत्र से पूरी करनी होगी। मिश्रण योग्य कोयले की आवश्यकता कन्हान कोयला क्षेत्र की कुछ चुनी हुई खानों से पूरी की जा सकती है।

(ग) और (घ) : इस्पात की नई क्षमता के लिये तकनीकी-आर्थिक शक्यता अध्ययन के प्रयोजन के लिये स्थानों का पता लगाने हेतु इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गए एक कार्यकारी दल ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों पर विचार किया था। इस कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि राओघाट-सूरजगढ़ क्षेत्र में लौह अयस्क के भण्डारों पर आधारित एक कारखाना लगाने के लिये तकनीकी अर्थिक शक्यता अध्ययन करवाया जाए। यह अध्ययन दीर्घकालीन इस्पात विकास कार्यक्रम में ही शामिल है जिनका काम पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में हाथ में लिये जाने की संभावना है।

श्री शंकरराव सावन्त : मैं कहता हूं कि कोयला और अयस्क झारिया क्षेत्र में उपलब्ध हैं। आप वहां कारखाना क्यों नहीं खोल सकते ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं माननीय सदस्य की आकांक्षा को समझता हूं । इस क्षेत्र में एक समेकित संयंत्र खोले जाने की स्थिति में यह बताया जा चुका है कि किसी कोयला क्षेत्र

से क्या कोयला मिल सकता है अथवा नहीं। कोयला मध्य प्रदेश में भी उपलब्ध है। दुर्भाग्यवश, हम ने बहुत काम शुरू कर रखे हैं। समस्या अब केवल यही है कि चालू कारखानों द्वारा अधिकाधिक उत्पादन किस प्रकार किया जाए। पहले तो बोकारो और भिलाई के विस्तार कार्यक्रमों को कार्यरूप दिया जाना है। हमें इस बात पर भी विचार करना है कि यदि मितव्ययी हो तो क्या दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों का विस्तार भी किया जाना चाहिये अथवा नहीं। अन्य इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में स्थिति यह है। दक्षिण में तीन परियोजनाएं स्थापित करने सम्बन्धी वचन को भी कार्यरूप दिया जा रहा है। भारत में इस प्रकार के स्थान अनेक हैं जो किसी न किसी कारण से नई परियोजनाएं स्थापित किये जाने के लिये उपयोगी हैं और हम इस प्रकार के सभी क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन तथा तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। आखिर हम अपने इस्पात के उत्पादन को वर्तमान संयंत्रों अथवा टाटा के जमशेदपुर स्थित संयंत्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। लेकिन इस्पात संयंत्र खोलना एक महंगा कार्य है और इसमें अत्याधिक धन लगता है, इसलिये परियोजनाएं परिणाम दिखाने के लिये अपना समय अवश्य लेंगी। इस पर 3500 रुपये प्रति टन की दर से पूंजी लगती है। अन्य देशों की तुलना में साधनों के अभाव में परियोजनाओं के चालू होने में काफी समय लगता है। अतः हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : उत्तर संक्षिप्त होना चाहिये।

श्री टी० ए० पाई: .....कि इन पर विचार किया जाना चाहिये और महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को उचित महत्व दिया जाएगा। इस बीच में साइकाम्ब (Cicomb) को इसी क्षेत्र में पैलेट बनाने का कारखाना खोलने की अनुमति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर यह होगा कि संक्षिप्त उत्तर दिया जाए अन्यथा इससे स्वयं मंत्री के लिये कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी। वह केवल प्रश्नों के उत्तर ही दें, भाषण न दें।

श्री शंकरराव सावन्त: क्या इसे पांचवीं योजना में प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री टी० ए० पाई: मैं यह नहीं कह सकूंगा कि इसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसे उतनी ही प्राथमकता दी जाएगी जितनी अन्य परियोजनाओं को, जो विचाराधीन हैं और सर्वोत्तम संयंत्र और सर्वोत्तम स्थान को यथासम्भव प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री मधु दंडवते: जब अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के नए संयंत्र स्थापित करने हेतु इसी प्रकार की स्थिति विद्यमान है तो क्या वह पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं देंगे ताकि पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु इस्पात कारखानों का खुलना एक कड़ी का काम कर सके ?

अध्यक्ष महोदय :क्या महाराष्ट्र एक पिछड़ा क्षेत्र है ?

श्री बसन्त साठे: विदर्भ एक पिछड़ा क्षेत्र है और चन्द्रपुर की स्थिति इससे भी खराब है।

श्री भागवत झा आजाद : बम्बई सहित सारा महाराष्ट्र पिछड़ा हुआ है।

श्री टी० ए० पाई: यदि इस्पात कारखाने के खुलने मात्र से एक क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो सकता है, तो यह प्रस्ताव निस्सन्देह विचारणीय है। लेकिन हम देखते हैं कि परिवहन, विद्युत् और अन्य सुविधाओं जैसे बुनियादी कार्यों के बिना, जो पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अनिवार्य हैं, इस्पात के उत्पादन में कठिनाइयां आएंगी।

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. minister in his reply to a question has stated that they are conducting other surveys and will consider the setting of a plant after the report is received. I want to know the States where surveys have been conducted the hon. minister has stated that the Government is going to

set up plants in the South. I want to know the place in the South where plant will be set up. Employment to the local people is one of the objective behind setting up plant in a particular area. Is it a fact that this factor is not taken into consideration, as a result of which local people do not get employment, instead, the outside people get employment; if so, will the local people get priority in the matter of employment in the plants to be set up in the near furture?

श्री टी० ए० पाई: (1) मध्य प्रदेश के बेलाडिल्ला क्षेत्र से लौह अयस्क की जरूरत पूरी करने वाले कारखाने.....

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न महाराष्ट्र के बारे में है।

श्री टी० ए० पाई: वह सर्वेक्षण के बारे में भी जानना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय: मुझे भय उस समय हुआ जब वह लम्बा भाषण देने लगे थे। मैं अब इसकी जांच नहीं कर सकता।

why does not the hon. minister confine himself to the question only.

श्री टी० ए० पाई: (2) खेहपत (मध्य प्रदेश) और सूरजगढ़ (महाराष्ट्र) के लौह अयस्क पर आधारित कारखाने; (3) उड़ीसा के बोनाईगढ़/नयागढ़ लौह अयस्क निक्षेपों पर आधारित कारखाने; (4) पश्चिमी तट पर कुन्द्रेमुख लौह अयस्क पर आधारित कारखाने; और (5) गोआ तथा बेल्लारी होसपेट के लौह अयस्क पर आधारित कारखाने के बारे में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। अभी इन योजनाओं का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण हो रहा है। इसे पूरा करने में काफी समय लगेगा।

Mr. Speaker: This question relates to Maharashtra. Its scope is limited.

श्री बसन्त साठे: चूंकि इस्पात कारखाने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से स्थापित किये जाते हैं, तो क्या लौह अयस्क, कोयला, विद्युत् और आवागमन जैसी मूल आवश्यकताओं, पिछड़े क्षेत्र आदि जैसी बातों के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण के लिये पर्याप्त नहीं समझा जाता?

श्री टी० ए० पाई: तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण सदैव इसी उद्देश्य से किये जा रहे हैं जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा, कि ये सब साधन उपलब्ध होने चाहियें और इस्पात उत्पादन के लिये देश के हित की दृष्टि से कौनसा उचित स्थान होना चाहिये। यदि बताया गया स्थान उचित है तो इसे निश्चय ही ध्यान में रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: सीधा-सादा प्रश्न यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने चन्द्रपुर में इस्पात कारखाने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है और क्या मध्य प्रदेश और गोआ नहीं बल्कि उस स्थान पर तथा कोयला तथा लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

अब मैं अगले प्रश्न को लेता हूं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आंध्र क्षेत्र में सब प्रकार के अयस्क खरीदने का वचन भंग

*412. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:**

चौधरी राम प्रकाश:

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने एक्स प्लाट खरीद योजना के अन्तर्गत निर्यात के लिये आंध्र क्षेत्र में सब प्रकार के अयस्क खरीदने का अपना वचन भंग किया है;

(ख) क्या निगम अब केवल विशेष प्रकार के अयस्क तदर्थ आधार पर खरीद रहा है और क्या उद्योग की बार 2 मांग के बावजूद निगम 1972 के करार के अन्तर्गत ठेकों के लिये प्रारूप तैयार नहीं कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो वचन भंग करने और ठेकों के प्रारूप को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खानमंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) यह एक वाणिज्यिक प्रथा है जिसका स्वायत्त उपक्रम पालन करते हैं और सरकार का ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मैंगनीज़ अयस्क का एक्स प्लाट के आधार पर क्रय करने के वचन पर पुनः विचार करने के पीछे मूल नीति बिचौलियों को हटाना था। क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम को इस प्रकार की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम घटिया प्रकार के मैंगनीज़ अयस्क का क्रय नही कर रहा और केवल अच्छे प्रकार के अयस्क का क्रय कर रहा है और इससे छोटे खान मालिकों के लिये कठिनाईयां पैदा हो गई हैं विशेषकर उनके लिये जिनका अयस्क अच्छे प्रकार का नहीं होता ?

श्री टी० ए० पाई : मेरा अनुरोध है कि वाणिज्य मंत्रालय के उपमंत्री को उत्तर देने को अनुमति दी जाए क्योंकि खनिज तथा धातु व्यापार निगम उनके अधीन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले से खनिज तथा धातु व्यापार निगम उच्च, मध्यम तथा घटिया दर्जे के मैंगनिज़ अयस्क का क्रय कर रहा है। अभी कुछ समय पहले तक खान मालिक सीधे खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ व्यापार नहीं करते थे सप्लाई बिचौलियों के द्वारा होती थी जो वास्तव में छोटे खान मालिकों का शोषण करते थे बिचौलियों को हटाने का निर्णय किया गया और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को सीधे ही खान मालिकों से क्रय करना था। कुछ समय से देश में उपलब्ध मैंगनीज़ अयस्क के बारे में विचार होता रहा और इस बारे में कुछ असमानता है। कुछ लोग यह प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या मैंगनीज़ अयस्क क निर्यात करना उचित है।

अध्यक्ष महोदय : जिस मंत्रालय के नाम प्रश्न हो यदि उसके स्थान पर किसी अन्य मंत्रालय को उत्तर देना हो तो लोक सभा कार्यालय को इसकी सूचना दी जानी चाहिये।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या मंत्री महोदय के उत्तर से मैं यह समझूं कि खान तथा धातु व्यापार निगम घटिया प्रकार के अयस्क का क्रय नहीं करता ? क्या जापान 37प्रतिशत मैंगनीज़ अयस्क के लिये 25 प्रतिशत अधिक मूल्य की पेशकश कर रहा है जिसके फलस्वरूप वह केवल अच्छी प्रकार का अयस्क खरीद रहा है, घटिया प्रकार का नहीं ?

श्री ए० सी० जार्ज : वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं जैसे कि माननीय सदस्य ने बताई है। उनका कहना है कि 46 प्रतिशत अथवा इससे अधिक बढ़िया वाले अयस्क के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिये क्योंकि हम तीव्रगति से अनेक इस्पात कारखाने बना रहे हैं जिनके लिये कच्चे माल के रूप में यह एक बुनियादी आवश्यकता है। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि हम ऐसे उच्च प्रकार के अयस्क का निर्यात कर सकते हैं, उस समय तक हम उस बारे में अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। मध्यम दर्जे पर कम प्रतिबंध हो सकता है और घटिया प्रकार के अयस्क के बारे में उदारता हो सकती है लेकिन उत्तम दर्जे के अयस्क के निर्यात के बारे में हमें निश्चित रूप से विचार करना है।

Shri Madhu Limaye: Presently, India is exporting good quality iron dust worth more than Rs. 100 crores and there will be shortage of iron in India in a few years in case iron is continued to be exported. Is the hon. Minister considering the period for which the export of raw material will be continued?

श्री ए० सी० जार्ज : मेरे विचार में माननीय सदस्य लौह अयस्क के बारे में पूछ रहे हैं जबकि यह प्रश्न मैंगेनीज़ अयस्क के बारे में है। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि हमारे पास 2,000 करोड़ टन के लौह अयस्क के निक्षेप हैं और हम लौह अयस्क का निर्यात करने की स्थिति में हैं।

Shri Madhu Limaye: Why don't they formulate a plan for exporting finished material instead of raw material which will fetch as more money.

श्री ए० सी० जार्ज: हमारा प्रयत्न तैयार माल भेजने का है । हम मैंगेनीज़ अयस्क के छरें बनाने जा रहे हैं और लौह युक्त मैंगेनीज़ बनाने जा रहे हैं ।

सिंचाई विद्युत और पन बिजली परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र को इस्पात का आबंटन

*413. **श्री अण्णा साहिब गोटखिण्डे:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1972 से दिसम्बर 1972 तक की अवधि में तिमाही वार, इस्पात प्राथमिकता समिति से प्राथमिकता के आधार पर आबंटन प्राप्त करके ज्वांयेंट प्लांट कमेटी के माध्यम से महाराष्ट्र को सिंचाई, विद्युत तथा पन बिजली परियोजनाओं के लिये कितना इस्पात आवंटित किया गया;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में तिमाही वार कितनी मांग की गई;

(ग) क्या उक्त साधनों के माध्यम से इस्पात की नगण्य सप्लाई होने के कारण महाराष्ट्र में सिंचाई तथा अन्य कार्यों को बहुत धक्का पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति के समाधान के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इस्पात का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति त्रैमासिक आधार पर करती है जो अन्ततः उपयोग जिसके लिये इस्पात मांगा गया हो स्पर्धी मांगों तथा उपलब्धि को ध्यान में रखती है। महाराष्ट्र राज्य में सिंचाई, पानी तथा बिजली की प्रायोजनाओं को जनवरी-मार्च, 1972 से अक्तूबर-दिसम्बर, 1972 की अवधि प्रत्येक तिमाही की मांग तथा इनको किया गया आबंटन सलंग्न सारणी में दिया गया है। इस्पात प्राथमिकता समिति हर तिमाही केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को इस्पात का बड़ी मात्रा में आबंटन करती है और आयोग आगे उन्हें विभिन्न सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं में बांट देता है। आबंटन करते समय केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग प्रायोजनाओं के महत्व, कार्यान्वयन के चरणों काम के सीजन की कठिनाइयों आदि को ध्यान में रखता है।

इस्पात की कई श्रेणियों की मांग उपलब्धि से अधिक है और मांग और सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिये किये गए उपायों में प्रोद्योगिक सुधारों, बेहतर, मालिक-मजदूर संबंधों, संयंत्र और उपकरणों के रख-रखाव में सुधार, आयात को उदार बना कर विशेषतः कमी वाली श्रेणियों के आयात में ढ़ील देकर निर्यात के विनियमन तथा विद्युत भट्टियां लगाकर इस्पात के मुख्य उत्पादकों से इस्पात की उपलब्धि को बढ़ा कर उत्पादन में वृद्धि लाना शामिल हैं। वितरण प्रणाली का भी सतत पुनर्विलोकन किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वितरण प्रणाली में उचित फेर बदल भी किये जाते हैं ।

सारणी

टन

	जनवरी-मार्च, 1972	अप्रैल-जून, 1972	जुलाई-सितम्बर 1972	अक्तूबर-दिसम्बर 1972
मांग				
विद्युत् स्कंध	1,13,900	1,61,900	1,27,200	1,27,120
जल-स्कंध .	16,787	14,733	17,962	19,716
कुल	1,30,687	1,76,633	1,45,162	1,46,836
आवंटन				
विद्युत् स्कंध .	11,973	11,164	14,366	9,598
जल-स्कंध . .	1,111	717	541	760
कुल	13,084	11,881	14,907	10,358

श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे : गत एक वर्ष के दौरान इस्पात प्राप्त करने से यह अनुभव हुआ है कि आर्डर देने तथा उत्पादक द्वारा वास्तविक डिलिवरी के बीच पर्याप्त विलम्ब हो जाया करता है। इसके अतिरिक्त इन्डेन्टों की सप्लाई हमेशा नगण्य होती है। सारणी में दिये गए आंकड़ों से प्रतीत होता है कि इस्पात मंत्रालय ने कुल मांग के केवल 10 प्रतिशत से कम इस्पात का नियतन किया। मेरे प्रश्न का (ग) भाग इस प्रकार है :—

> "क्या उक्त साधनों के माध्यम से इस्पात की नगण्य सप्लाई होने के कारण महाराष्ट्र में सिंचाई तथा अन्य कार्यों को बहुत धक्का पहुंचा है;"

इसका उत्तर नहीं आया है। क्या मुझे उस विशेष प्रश्न का उत्तर मिल सकता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : इस्पात की कम सप्लाई से कारखाने को धक्का पहुंचता है क्योंकि इसे पूरा करने के लिये काफी समय लगता है। लेकिन देश के अंदर जो इस्पात उपलब्ध हो, हम केवल उसी की सप्लाई कर सकते हैं। उतना ही इस्पात उपलब्ध हो सकता है जितने का हम देश के अन्दर उत्पादन करते हैं तथा लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत के जिस इस्पात का हम अन्य देशों से आयात करते है। इसमें से सुरक्षा तथा निर्यात करने वाले उद्योगों को हमें प्राथमिकता देनी पड़ती है अतः हमारे लिये कारखानों का नियंत्रित करना और इन कारखानों की मांगो को युक्तिसंगत बनाना जरूरी है अन्यथा कारखाने की लागत बढ़ती जाएगी। मुझे ज्ञात हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार की मांग की तुलना में जो कुछ सप्लाई हमने की है वह बिलकुल अपर्याप्त है। यह बात अन्य राज्य सरकारों पर भी लागू हो सकती है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे : मैं केवल महाराष्ट्र की नहीं बल्कि सब राज्यों की बात कर रहा हूं। पिछली बार मंत्री महोदय ने कहा था कि राज्य सरकारों को आयात करने की अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। सारणी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अनेक श्रेणियों के इस्पात की उपलब्धता की तुलना में मांग बहुत अधिक है और इस अंतर को दूर करने के

लिये जो भी कदम उठाए गए उनमें अन्य बातों के साथ-साथ आयात को उदार बनाना भी है। क्या महाराष्ट्र सरकार की आयात संबंधी मांगों में कमी की गई है, क्या आयात और सप्लाई की कुछ निश्चित समय सीमा निश्चित है और क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा इस्पात के आयात से इस्पात मिलने में अधिक विलम्ब होता है

श्री टी० ए० पाई : इस्पात की कमी की समस्या राज्य की ही नहीं बल्कि केन्द्रीय परियोजनाओं के सामने भी है जिनकी लागत इस्पात उपलब्ध न होने के कारण बढ़ती जा रही है। मेरे विचार में इन मांगों को पूरा करने के लिये हमें असीमित आयात नहीं करना चाहिये। सीमित आयात द्वारा हम आधिकाधिक प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं। इस परिस्थिति में मेरे विचार में बहुमंजिली इमारतों तथा थियेटरों में इस्पात की खपत को क्यों न नियंत्रित किया जाए। अन्यथा लागत बढ़ती ही जाएगी।

श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे : मैंने बहुमंजिली इमारतों के लिये इस्पात की मांग कभी नहीं की। क्या महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक मात्रा में इस्पात का आयात करने की तदैव अनुमति दी जाएगी ?

श्री टी० ए० पाई : हम इस अनुरोध पर अवश्य विचार करेंगे यदि यह अनुरोध केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और सिंचाई मंत्रालय के द्वारा प्राप्त हो, ताकि हम यह देख सकें कि किसी कारखाने को इस्पात न मिलने से नुकसान तो नहीं हो रहा और यह भी कि हम कहां तक उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं।

श्री निबालकर : मंत्री महोदय ने कहा है कि सुरक्षा तथा निर्यात एककों को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन क्या आने वाले समय में बांधों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण द्वारा हम पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बचा पाएंगे जिसे अन्यथा खाद्यान्न के आयात पर व्यय करना पड़ेगा ? अतः क्या यह बात महत्वपूर्ण नहीं कि हम सिंचाई परियोजनाओं को इससे भी उच्च प्राथमिकता दें ?

श्री टी० ए० पाई : निश्चित प्राथमिकताओं के अनुसार जब हम सीमित मात्रा में उपलब्ध इस्पात का आवंटन करते हैं तो प्राथमिकता के इन क्षेत्रों को इस्पात का राशन दिया जाता है जो उनकी मांग के बराबर नहीं होता। अतः केवल मात्र विकल्प यही है कि हम मांग पर राशन लगाएं और निजी क्षेत्र में भी इस्पात के उपयोग पर नियंत्रण करें और देखें कि कितने समय तक इसे स्थगित किया जा सकता है ताकि सरकारी क्षेत्र की मांगें पूरी हो सकें और जरूरी परियोजनाओं का काम शुरू किया जा सके मेरा सुझाव है कि राज्य सरकारों को भी इन उपायों पर विचार करना चाहिये।

श्री बी० बी० नायक : मुझे आशा है कि नए इस्पात मंत्री को स्वर्गीय श्री मोहन कुमारमंगलम के इस सदन में दिये गए उस वक्तव्य की जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्पात मूल्य के उतार-चढ़ाव पर विचार किया जाएगा। उस वक्तव्य के किसी भी ऐसे अंश पर मैं चर्चा नहीं कर रहा जो इस बारे में प्रसांगिक न हो विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, दुनियां में कहीं भी मांगों पर नियंत्रण नहीं रखा गया। मंत्री महोदय न तो उत्पादन बढ़ा रहे हैं; न ही आयात कर रहे हैं और न ही मूल्यों के बारे में विनियम बना रहे हैं ताकि बाजार भाव में समानता आ सके। मुझे भय है कि इस्पात मंत्री दो किश्तियों में सवार होते-होते बीच में गिर जाएंगे। समस्या के समाधान हेतु उनका क्या करने का विचार है, यदि वे आन्तरिक मूल्य नहीं बढ़ा रहे तथा अधिक मात्रा में इस्पात का आयात नहीं कर रहे ?

श्री टी० ए० पाई : हमें गिर जाने की कोई आशा नहीं। हम निश्चय ही इस समस्या पर विचार करेंगे और मूल्य वृद्धि अथवा अन्य समुचित उपायों द्वारा इस्पात की मांग को कम करने के लिये हम उचित कदम उठाएंगे।

अलीपुर कलकत्ता स्थित आयुद् कारखाने के अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप

414. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलीपुर, कलकत्ता स्थित आयुद्ध कारखाने के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध डिपो में त्रुटिपूर्ण शैडों तथा भवनों का निर्माण करा कर धनराशि के गबन करने, अधिकारियों के निजी उपयोग के लिये फर्नीचर का निर्माण कराने, ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ करने तथा निजी कार्यों में डिपो की स्टाफ कार का दुरुपयोग करने के बारे में लगाए गए आरोपों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो की गई जांच के परिणाम क्या हैं तथा अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) आरोपों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि ऐसी शिकायतें सरकार को कब मिलीं, जांच का आदेश कब दिया गया और मामले से सम्बद्ध अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सरकार को एक अहस्ताक्षरित गुमनाम शिकायत इस सम्बन्ध में अप्रैल-मई में मिली थी। इससे पहले यह मामला सभा में भी उठाया गया था। गुमनाम शिकायत पर हमने कार्यवाही करनी उचित नहीं समझी। किन्तु जब यह मामला सभा में उठाया गया, तो इस मामले पर कलकत्ते में जांच के आदेश दिये गए। जो जांच अधिकारी पहले नियुक्त किया गया, उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसका पद उन अधिकारियों से छोटा है जिनके कार्यों के बारे में वह जांच कर रहा है। अतः यह जांच मास्टर-जनरल आयुध और इंजीनियर-इन-चीफ को सौंप दी गई है ताकि जांच का स्तर बढ़ जाए और तथ्यों की जांच ठीक प्रकार से हो सके। जहां तक अधिकारियों के नामों का सम्बन्ध है, उनके नाम अंतिम जांच निष्कर्ष आने तक नहीं बताए जा सकते।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : चूंकि सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कुछ, आरोप लगाए गए हैं और उनके सम्बन्ध में जांच जारी है, इसलिये उनके नाम बताने में क्या आपत्ति है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह परम्परा है कि जब तक अधिकारियों पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक उन अधिकारियों के नाम नहीं बताए जाते। उनके विरुद्ध रक्षा मंत्रालय में जांच चल रही है और वह जांच सार्वजनिक रूप से नहीं की जा रही है। यह विभागीय जांच है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक अधिकारियों के नाम बताना उचित नहीं है। जांच पूरी होने पर यह बताया जा सकता है कि किस-किस अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप थे और किस-किस के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो गए हैं और किसके विरुद्ध नहीं।

श्री आर० बी० बड़े : क्या मंत्री उत्तर न देने के लिये यह तर्क दे सकता है ? यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या यह जांच गुप्त रूप से की जा रही है ? विभागीय जांच में विभाग के सभी अधिकारियों को जांच के बारे में पता चल जाता है। फिर संसद् से यह जानकारी छिपाने के क्या कारण हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह विभागीय जांच है, गुप्त जांच नहीं। उचित समय पर सम्पूर्ण जानकारी सभा को दे दी जाएगी। सभा से जानकारी छिपाने का यहां प्रश्न ही नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इस विभागीय जांच समिति द्वारा जांच पूरी कर लिये जाने पर उन्हें आरोप-पत्र दिया जाएगा और सेना अधिनियम के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चलाया जाएगा ?

Mr. Speaker: It is but natural. If charges are proved against them, they will be charge-sheeted.

स्वीडिश विदेशी मिशन द्वारा भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति

*416. **श्री आर० एन बर्मन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित स्वीडिश विदेश मिशन के कार्यालय में कोई भारतीय कर्मचारी है; और

(ख) क्या उक्त मिशन द्वारा भारतीय कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिये सरकार की सहमति ली गई थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) स्वीडन का कलकत्ते में एक अवैतनिक कोंसलावास है। इसके अमले में कोई भी भारतीय नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर० एन बर्मन : कलकत्ता स्थित स्वीडन के अवैतनिक वाणिज्य दूतावास के कृत्य क्या हैं ? क्या उनके द्वारा भी ज़िलों में या अन्य राहत संगठन संगठित किये जाते हैं ? यदि हां, तो किन स्थानों पर ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : विदेशी वाणिज्य दूतावासों का कार्य हमारे देश में व्यापार आदि बढ़ाना और स्वदेश के नागरिकों के हितों की देख-रेख करना होता है।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या वे किसी स्थान पर राहत संगठन संगठित करते हैं, यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

उड़ीसा के क्षेत्रीय खनन विभागों द्वारा उड़ीसा का सदक्षण

*417. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के खनन निगम ने क्षेत्रीय खनन विभागों को उनके अधीन क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश किया है;

(ख) अब तक कोरापुट और गंजम ज़िलों में कौन-कौन सी खानों का पता चला है; और

(ग) चालू खानों के नाम क्या हैं और पांचवीं योजना में कौन-कौन सी खानों पर काम शुरू किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राज्य खान निदेशालय और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा उड़ीसा के विभिन्न भागों में खनिज समन्वेषण किया जा रहा है। इनमें से कुछ क्षेत्र उड़ीसा खनन निगम को पट्टा लाइसेंस

पर दिये गए हैं। उड़ीसा खनन निगम ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था से अनुरोध किया है कि वह लौह अयस्क के लिये सुन्दरगढ़ ज़िलों के खांडा क्षेत्र में तथा मैंगनीज़ अयस्क के लिये क्योंझर के दुबन क्षेत्र और सुन्दरगढ़ ज़िले के काड़ेदिही क्षेत्र में अन्वेषण कार्य करे।

(ख) कोरापुट ज़िले में अभी तक प्राप्त खनिज ग्रेफाइट, मैंगनीज़ अयस्क, अभ्रक, चूनाश्म, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, गैरिक, चीनी मृत्तिका, काओलीन, बाक्साइट, लौह अयस्क, स्वर्ण, मोनाजाइट, सेलखड़ी, स्टीटाइट, तांबा और एस्वेस्टास हैं। गंजम ज़िले में प्राप्त खनिजों में मैंगनीज़ अयस्क, गैरिक, चीनी मृत्तिका, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, लौह अयस्क और अभ्रक सम्मिलित हैं।

(ग) कोरापुट ज़िले में निम्नलिखित खानें कार्य कर रही हैं :—

(1) श्री पी० के० देव द्वारा कर झुला में मैंगनीज़ अयस्क।

(2) मैसर्स गांगेय सप्लाई एजेंसी द्वारा मधुपुर में मैंगनीज़ अयस्क।

(3) श्री आर० के० देव द्वारा सनादुबुली में अभ्रक।

(4) मैसर्स इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो एलौय्स द्वारा स्दोस्वल में क्वार्टजाइट। गंजम ज़िले में कोई विद्यमान खान नहीं है।

इस समय यह कहना कठिन है कि स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के पोषण के लिये पांचवीं योजना के दौरान नई खानें खोली जाएंगी। फिर भी कोरापुट और गंजम ज़िलों में खनन पट्टा/पूर्वेक्ष अनुज्ञप्ति के लिये कुछ आवेदन स्वीकार किये गए हैं और आशा है कि पांचवीं योजना में कुछ खानें आरंभ हो जाएंगी।

श्री गिरिधर गोमांगो : विवरण से पता चलता है कि कोरापुट ज़िला पिछड़ा होते हुए भी खनिज सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध है। भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने वहां स्वर्ण निक्षेपों का भी पता लगाया है। क्या पांचवीं योजना में वहां स्वर्ण संबंधी खनन कार्य भी शुरू किया जाएगा जिससे सम्पूर्ण देश और विशेषकर कोरापुट की आर्थिक दशा सुधर जाए ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : कोरापुट ज़िले में स्वर्ण के अतिरिक्त अन्य खनिजों का भी पता चला है। किन्तु यह कहना मुश्किल है कि वहां इतने बड़े स्वर्ण भंडार का पता चला है कि खनन-कार्य शुरू किया जा सके।

श्री गिरिधर गोमांगो : कितनी खानें सरकारी क्षेत्र को सौंपी गई हैं और कितनी गैर-सरकारी क्षेत्र को ?

श्री टी० ए० पाई : कोरापुट ज़िले में चार खाने हैं—श्री पी० के० देव के अधीन करांडोला स्थित मैंगनीज अयस्क की खान, मैसर्स गंगा सप्लाई एजेन्सी के अधीन मैंगनीज अयस्क की खान, श्री आर० के० देव के नियंत्रणाधीन अभ्रक खान और मैसर्स इंडियन मैटल्स एण्ड फैरो अलोय के नियंत्रण क्वार्टज़ और डोलोमाइट खान। किन्तु गंजम ज़िले में इस समय कोई खान नहीं है। हां, कुछ लाइसेंस अवश्य जारी किये गए हैं। वहां पर सरकारी क्षेत्र की एक भी खान नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यक्षेत्र को दुगुना करने की योजना

*402. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने कार्यक्षेत्र को दुगुना करने की योजना बना रहा है;

(ख) इस संबंध में संभवतः कब तक अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया जाएगा तथा उस पर कितना व्यय होना है; और

(ग) इस समय यह योजना कुल कितने लोगों पर लागू है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सीमाक्षेत्र के विस्तरण के प्रश्न पर सन्दर्श योजना सम्बन्धी समिति द्वारा विचार किया गया है। इस समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत विस्तरण का एक 5-वर्षीय क्रमिक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये जिससे छोटे-छोटे कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, खानों और बागान सहित प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त वर्ग योजना की परिधि में आ जाएं। इस समय अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों में सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त, प्रस्तावित क्रमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने वाले कुल अतिरिक्त प्रतिष्ठान 1977-78 तक 38 लाख होंगे। समिति की रिपोर्ट पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 8-8-1973 को हुई उसकी बैठक में विचार किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय परिव्यय और विस्तरण कार्यक्रम को क्रमिक बनाने सम्बन्धी ब्यौरे तैयार करने हेतु मामले में अगली कार्यवाही, केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिशों पर निर्णय ले लिये जाने के बाद की जाएगी।

(ग) 31-7-1973 की स्थिति के अनुसार 41,53,500 बीमाशुदा कर्मचारी।

छोटा नागपुर क्षेत्र के निवासियों को रोजगार देने वाले कारखानों के लियें उस क्षेत्र के खनिज श्रयस्कों का आरक्षण

*403. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटा नागपुर क्षेत्र के खनिज श्रयस्कों को उन कारखानों के लिये आरक्षित करने का है जिनसे इस क्षेत्र के कम-से-कम 60 प्रतिशत लोगों को रोज़गार मिलेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) ऐसे कोई प्रस्ताव, जिनका प्रश्न में उल्लेख किया गया है, भारत सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1971 के युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र से आये विस्थापितों का पुनर्वास

*404. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 के युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र से विस्थापित हुए 50,000 से अधिक विस्थापित व्यक्तियों का अभी पुनर्वास करना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी : (क) और (ख) पश्चिमी क्षेत्र में विस्थापित हुए कुल 8.36 लाख व्यक्तियों में से 7.85 लाख व्यक्ति पहले ही लौट गए हैं और फिर से बस गए हैं। जो शेष हैं उनमें पंजाब में लगभग 17,000 व्यक्ति और जम्मू और काश्मीर में लगभग 34,000 व्यक्ति हैं।

पंजाब में विस्थापित व्यक्ति अपने गांवों को लौट गए हैं जहां उनकी भूमि पर मुफ्त ट्रैक्टर चलाए गए/चलाए जा रहे हैं तथा बसने के लिए उन्हें वहां केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

जम्मू और काश्मीर में लगभग 18,000 व्यक्ति छम्ब क्षेत्र के हैं जो पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया है और वे शिविरों में राहत सहायता पा रहे हैं जबकि उनके स्थायी पुनर्वासन के लिये योजनायें बनाई जा रही हैं। शेष 16,000 व्यक्तियों (ये भी शिविरों में हैं) में से, 6,000 व्यक्ति पहले ही वापस अपने गांवों को चले गये हैं, वहां उनकी भूमि पर मुफ्त ट्रैक्टर चलाये जा रहे हैं । अन्य के भी शीघ्र लौट जाने की आशा है ।

उत्पादन लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप खान मालिकों को लौह अयस्क के लिये दिये जाने वाले मूल्य में वृद्धि

*406. **श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान मालिकों ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम से अनुरोध किया है कि उत्पादन लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिये जाने वाले लौह अयस्क के मूल्यों में वृद्धि की जाये और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि खनिज तथा धातु व्यापार निगम स्वायत्त उपक्रम है, इसलिये सरकार के लिये कहना कठिन है कि इस प्रश्न पर, जो पूरी तरह एक वाणिज्यिक प्रश्न है, उपक्रम क्या निर्णय लेगी।

Measures to increase efficiency of and reduce expenditure in Indian Embassies

*407. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any measures have been taken to increase the efficiency of Indian Embassies and to reduce the expenditure incurred thereon ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The broad outlines of the measures taken to increase the efficiency and reduce the expenditure of Indian Embassies are given in the statement placed on the Table of the House.

STATEMENT

Broad Outlines of measures taken to increase efficiency and to reduce expenditure of Indian Embassies Abroad

A. EFFICIENCY

(i) Efficiency in Missions abroad is ensured by careful and purposeful training and selection of personnel posted to Missions abroad.

(ii) There is a continuous dialogue between the Missions and Headquarters on important issues. Policy directives are issued both at the time of posting of officers and during their tenure abroad. These are supplemented through periodical conferences at Headquarters.

(iii) Constant review of the working of Missions is conducted at Headquarters. Communication facilities in the field of telex and teleprinter links provide effective means of contact between Missions and Headquarters.

(iv) Staffing patterns with accent of officer-oriented pattern of work; efficiency and expenditious disposal of work; and work patterns with emphasis on reducing avoidable work and overlapping of functions are under continuous review.

(v) Promotions are made with accent on merit to provide an incentive for efficiency.

B. REDUCTION IN EXPENDITURE

(i) Proposals for creation of posts are thoroughly examined on the basis of work study with due regard to the need for economy and necessity.

(ii) Directives are issued from time to time requiring Missions to economise expenditure on contingencies e.g. P. & T. charges, purchase and maintenance of cars and furniture, office expenses etc.

(iii) Economy cuts are also imposed on travelling allowance, foreign allowances, hotel ceilings, etc.

(iv) The Foreign Service Inspectorate is an important setup to enable Government to achieve the twin objectives of efficiency and economy in Missions abroad. The Foreign Service Inspectors besides advising Heads of Missions on effective functioning of Missions, make recommendations on staffing and work patterns, adequacy of allowances etc. on the basis of on-the-spot studies of local conditions and living experience of officials.

विदेश सेवा में भर्ती का मापदण्ड

*410. **श्री जी० वाई कृष्णन :**

श्री एम० एस० पुरत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश सेवाओं में लोगों को भर्ती करने के लिये सरकार ने क्या मापदण्ड अपनाया है;

(ख) क्या विदेश सेवा में प्रत्येक राज्य का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार आवश्यक कदम उठाने का है;

(ग) क्या आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ कोई रियायत की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या रियायत की जाती है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीय विदेश सेवा शाखा 'क' और 'ख' में भर्ती संघ-लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली गई संयुक्त प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है; ये परीक्षायें विभिन्न वर्गों के लिये सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा नियमों/विनियमों के अनुसार ली जाती हैं। संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान विदेश सेवा सहित विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिये सफल प्रत्याशियों का चयन योग्यता क्रम के अनुसार करता है। यह चयन प्रत्याशी द्वारा दिये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर होता है यदि वे अन्यथा इसके लिये उपयुक्त हों।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेश सेवा के विभिन्न वर्गों में भरती के लिये ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों के लिये 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिये 7½% रिक्त स्थान आरक्षित किये गये हैं। इसके अलावा कुछ रियायतें जैसे परीक्षा के लिये कम शुल्क और विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले प्रत्याशियों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिये, इस बात का भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वे इन परीक्षाओं में कितनी बार बैठ सकते हैं बशर्ते कि वे छूट दी गई आयु-सीमा में आते हों।

पाकिस्तान में नजरबन्द बीमार बंगाली सैनिकों को मुक्त करना

*415. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी अधिकारियों ने पाकिस्तान में नजरबन्द बीमार बंगाली सैनिकों को हाल ही में छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो छोड़े गये बंगाली बीमार सैनिकों की संख्या कितनी है और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 321, उनकी अगवानी और यात्रा की सुविधा के रूप में सरकार ने सहायता की है।

जून, 1973 में जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन

*418. **श्री पी० ए० सांमनाथन** :

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्री ने जून, 1973 में जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था;

(ख) इस सम्मेलन में क्या निर्माण किये गये; और

(ग) क्या भारत ने इस सम्मेलन में कोई प्रस्ताव पेश किया था।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क): जेनेवा में जून, 1973 में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 58वें अधिवेशन में केन्द्रीय श्रम मंत्री ने एक अतिथि मंत्री के रूप में भाग लिया।

(ख) संगठन के 1974-75 सम्बन्धी दो वर्ष के बजट के अतिरिक्त, सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रत्येक विषय पर एक सिफारिश को स्वीकार किया।

(1) रोजगार में लगाने के लिये न्यूनतम उम्र और

(2) जहाजी माल उठाने (गोदियां) की नई प्रणालियों के सामाजिक प्रभाव।

सवेतन शैक्षणिक छुट्टी और व्यावसायिक कैन्सर की रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी निष्कर्षों को भी सम्मेलन ने स्वीकार किया ताकि 59वें अधिवेशन (जून, 1974) में उन पर लिखतों को स्वीकार किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर

*419. **डा० कर्ण सिह**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री रोजगार वृद्धि के अध्ययन सम्बन्धी सर्वेक्षण के बारे में 26 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 700 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर के स्थिर रहने के क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): रोजगार में वृद्धि आर्थिक विकास की प्रक्रिया और वृद्धि की दर से जुड़ी है। पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान वृद्धि की दर अपर्याप्त रही है। जैसा कि पांचवीं योजना के उपागम में उल्लेख है योजना के पहले दशक, 1951-60 में केवल 3.8% की और दूसरे दशक में केवल 3.7% की वृद्धि की दर की प्रवृत्ति प्राप्त हुई। घरेलू उत्पादन की वृद्धि की दर के सम्बन्ध में चौथी योजना की अवधि में अर्थ व्यवस्था के वास्तविक निष्पादन में पर्याप्त कमी दिखाई पड़ती है। चौथी कृषि जिसकी स्थिति चौथी योजना के पहले दो वर्षों में अच्छी थी तीसरे वर्ष के दौरान इसकी प्रगति में रुकावट आई। प्रतिकूल जलवायु सम्बन्धी कारणों की वजह से 1972-73 में उत्पादन में और कमी होने की संभावना है। चौथी योजना में परिकल्पित 8 से 10% वार्षिक दर की अपेक्षा औद्योगिक उत्पादन बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा है। 1966 में तीव ह्रास हुआ और 1967 में स्थिति खास अच्छी नहीं थी। पिछले वर्ष की अपेक्षा 6.4% की वृद्धि से 1968 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की स्थिति में सुधार हुआ 1969 में 7.1% की वृद्धि से यही प्रवृत्ति बनी रही थी। तथापि 1970 में वृद्धि की दर गिरकर 4.8% और 1971 में 3% हो गई। 1972 में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन फिर भी यह दर अपेक्षित 8% से काफी कम थी। ऐसा प्रतीत होता है कि औद्योगिक उत्पादन मूलत: दो वर्गों के कारणों से पिछड़ा रहा है: (1) वे कारण जिन्होंने सामर्थ्य के उपयोग का निषेध किया और (2) व कारण जिन्होंने सामर्थ्य के विकास का निषेध किया। औद्योगिक क्षेत्र का एक बड़ा खंड सामर्थ्य के अपूर्ण-उपयोग से पीड़ित रहा है। विभिन्न उद्योगों में परिवर्तित तीव्रता वाले निम्नलिखित मुख्य आकस्मिक कारण कारगर रहे हैं: (क) अपर्याप्त मांग; (दो) कच्चे माल, अवयवों, भंडारों और फालतू पुर्जों की सप्लाई में कमी और अनियमितता, (तीन) बिजली की कमी और अस्थिर सप्लाई, (चार) परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां, (पांच) अशांत औद्योगिक सम्बन्ध और (छ:) अन्य प्रबन्ध सम्बन्धी समस्यायें। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, निवेशों विशेषकर उर्वरकों की कमियां और मौसम की प्रतिकूल दशायें ही इस क्षेत्र में वृद्धि का मुख्य कारण प्रतीत होता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक एल्यूमिनियम की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये उपाय करना

*420. **श्री सी० जनार्दनन**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक एल्यूमिनियम की मांग का अनुमान क्या है;

(ख) इस समय एल्यूमिनियम उद्योग में उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में एल्यूमिनियम की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) पांचवीं योजना के अंत तक ऐल्यूमिनियम की घरेलू मांग 390,000 टन होने का अनुमान है।

(ख) ऐल्यूमिनियम उत्पादन की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 195,170 टन प्रतिवर्ष है।

(ग) बढ़ती हुई मांग की दीर्घकालीन आधार पर पूर्ति की दृष्टि से चौथी/पांचवीं योजना के दौरान 235,000 टन तक की अतिरिक्त क्षमता कार्यान्वित करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं।

आंवटित इस्पात के दुरुपयोग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3972. **श्री मोहम्मद इस्माइल**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री इस्पात के दुरुपयोग के लिये जिम्मेदार फर्मों तथा ठेकेदारों पर मुकदमा चलाये जाने के बारे में 3 मई, 1963 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8948 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवंटित इस्पात के दुरुपयोग के लिये जिम्मेदार ठहराई गई फर्मों के विरुद्ध इस बीच चलाये गए मुकदमों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) उन ठेकेदारों के मामलों की, जिन्होंने अनधिकृत ढंग से बेचा था, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले और उनको काली सूची में डालने अथवा उन पर मुकदमा चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग). प्रत्येक फर्म के विरुद्ध आगे की गई कार्यवाहीं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5470/73]

बैगन उद्योग की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति का बिगड़ना

3973. **श्री जी० वाई० कृष्णन**: क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैगन उद्योग को गत कुछ वर्षों से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और क्या इसकी भौतिकी तथा वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो देश में बैगन उद्योग की बिगड़ रही स्थिति के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) देश में बैगन उद्योग की स्थिति बिगड़ने के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) मंदी के दौरान बैगन क्रयादेशों में कमी का होना:

(2) क्रया देशों को देने में देर का होना;

(3) श्रमिक कठिनाई का होना;

(4) कच्चे माल और पुर्जों का पर्याप्त रूप से उपलब्ध न होना; और

(5) कुछ मामलों में उपक्रमों का खराब प्रबन्ध।

बैगन उद्योग को फिर से चालू करने के लिये एक विशद योजना कार्यान्वित हो रही है जिसमें लाभकारी कीमतों पर समय से आर्डर प्राप्त करना, सामान और हिस्सों को प्राप्त करने में सहायता देना और भाग लेने वाले उद्योग पर आधारित संगठन के जरिये सहायता को संस्थात्मक बनाना भी शामिल है।

Foreign Tours of Central Ministers and Government Officers

3974. **Shri Hukam Chand Kachawi:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7629 on the 19th April, 1973 regarding the Foreign Tours of Central Ministers and Government Officers and state:

(a) whether the requisite information has since been collected by Government from all the Departments/Ministries; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b) The requisite information has already been comunicated to the Department of Parliamentary Affairs to be placed on the Table of the House.

Teaching of Hindi Language in Universities of U.S.A., West Germany, Belgium, U.S.S.R., Japan and U.K.

3975. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2420 on the 8th March, 1973 regarding Teaching of Hindi Language in the Universities of U.S.A., West Germany, Belgium, U.S.S.R., Japan and U.K. and state:

(a) whether the required information has since been collected; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Hindi Language is being taught in 93 foreign Universities. Sofia University in Bulgaria is considering the teaching of Hindi on a reciprocal basis in terms of the Indo-Bulgarian Cultural Exchange Programme. The break up of the number of Universities is U.S.A. 33; Federal Republic of Germany 17; Belgium 1; U.S.S.R. 3; Japan 2; U.K. 2; and other countries 35.

Retrenchment of workers in industries as a result of use of computers

3976. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the number of persons retrenched in various industries the last two years as a result of the use of computers?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): According to the Report of the Committee on Automation, there

were 140 computers installed in different industries as on August 1971 and there was no retrenchment as a result thereof. Information for subsequent years is not available.

Government take over of distribution of Coal in Cities

3977. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government propose to take over the distribution of coal in big cities immediately; and

(b) if so, the broad outlines of the proposal and the agency through which the distribution of coal would be made?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राज्य सरकारों द्वारा बागानों में कल्याण अधिकारी को नियुक्त करना

3978. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने बागानों में कल्याण अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता के लिये बागान श्रमिक अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को इस बात के लिये राजी करने हेतु कार्यवाही की है कि वे अधिनियम के इस उपबन्ध को लागू करें; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 की धारा 18 के अन्तर्गत, राज्य सरकारों के मार्ग-दर्शन के लिये आदर्श नियमों का मसौदा बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

केरल में खनिज अन्वेषण निगम द्वारा आरम्भ की गई योजनायें

3979. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 14 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4324 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज अन्वेषण निगम ने केरल राज्य में खनिज साधनों का पता लगाने सम्बन्धी किसी योजना को अपने हाथ में लेने का इस बीच निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और यदि नहीं, तो निगम द्वारा केरल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों में योजनायें आरम्भ करने से हिचकिचाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) खनिज समन्वेषण निगम केरल राज्य में बाक्साइट के समन्वेषण का विचार कर रहा है और योजना के ब्यौरों की जांच के पश्चात् ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

केरल का भू-वैज्ञानिक नक्शा

3980. **श्री वमालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री केरल के भू-वैज्ञानिक नक्शों के बारे में 1 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1404 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के भूगर्भीय सर्वेक्षण में पाये गये साधनों को वाणिज्यिक स्तर पर निकालने के मामले में क्या प्रगति हुई है?

इस्पात और कान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : केरल राज्य के विभिन्न भागों मे सिलिकासैंड, चूनाखोल, चीनी मिट्टी और ताप सह मिट्टी निकालने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी दलों को लगभग 40 खनन पट्टे दिये गये हैं ।

Appointment of Retired Government officers to Ambassadorial Posts

3981. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the practice to appoint retired Government officers to ambassadorial posts in important countries is on the increase;

(b) whether in most of the countries, Government officers are working on ambassadorial posts at present;

(c) the number of public men working on ambassadorial posts at present and the percentage thereof; and

(d) whether Government are giving priority to Government officers in the matter of such appointments?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Government have not set practice about the appointment of Heads of Missions abroad. They try to find the most qualified person for each appointment.

(b) Yes, Sir.

(c) At present there are 88 Heads of Missions. Out of them 64 are serving Government officers, 12 are public men and 12 are retired Government officers. The percentage of public men comes to 14 per cent.

(d) Government are not giving any special priority to any specific category of persons. They try to choose the best qualified person for each appointment of Head of Mission abroad.

राज्य सरकारों के माध्यम से लघु उद्योगों को अलौह धातुओं के आबंटन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

3982. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को तांबा, पित्तल तथा जस्ते जैसे अलौह धातुओं के आबंटन के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं जिससे कि वे उन धातुओं का लघु उद्योगों तथा अन्य उपभोक्ताओं को आगे आवंटन कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उनको पता है कि हरियाणा में जगाधरी और यमुनानगर शहरों के औद्योगिक कस्बों में छोटे उद्योगपति इन कीमती धातुओं को जिनके लिये उनको राज्य उद्योग विभाग द्वारा कोटे मिले हुये हैं; अत्यधिक मूल्य पर काले बाजार में बेच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या उपचारी उपाय करने तथा संबंधित राज्य सरकारों को ऐसे कदाचारों को रोकने तथा ऐसी पार्टियों को काली सूची में डालने के लिये कहने का है और क्या सरकार मामले की जांच के लिये कोई केन्द्रीय एजेन्सी स्थापित करेगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

राज्य सरकारों तथा संघराज्य क्षेत्रों के माध्यम से लघु उद्योगों को कोयले के वैगनों का आवंटन

3983. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मासिक अथवा तिमाही आधार पर कोयले के बैगनों के आबंटन के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जिससे कि वे इनका आगे लघु उद्योगों तथा अन्य उपभोक्ताओं को आबंटन कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या हैं; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या राज्यों में लघु उद्योगपतियों और अन्य उपभोक्ताओं को उनके प्रयोग करने की क्षमता से अधिक बैगन अलाट किये जाते हैं; और

(घ) क्या उनको यह भी पता है कि हरियाणा में यमुना नगर और जगाधरी शहरों में लघु उद्योगपतियों द्वारा कोयले के बैगनों को दुगने मूल्य पर काले बाजार में बेचा जा रहा है; और यदि हां, तो उनका विचार ऐसी समाज-विरोधी प्रथाओं के विरुद्ध क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) रेल द्वारा कोयले की ढुलाई को बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को लघु उद्योगों, ईंट-भट्टों और अन्य छोटे उपभोक्ताओं की मांग को समेकित करने तथा सरकारी ऐजेन्सियों, सहकारी समितियों और मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा वितरण हेतु यथा संभव ब्लाक रेकों में कोयले की ढुलाई के प्रबन्ध का सुझाव दिया गया है; यह योजना अभी विचाराधीन है।

(ग) लघु उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं को राज्य सरकारों द्वारा पूर्ति की जाती है, केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी उद्योग अथवा उपभोक्ता को आवश्यकता से अधिक कोयला वैगन आबंटित किये गये हैं।

(घ) ऐसा कोई मामला केन्द्रीय सरकार अथवा हरियाणा सरकार के उद्योग निदेशालय की जानकारी में नहीं आया है।

Exploration for copper in Sorai Madawara area of Jhansi district, Uttar Pradesh

3984. **Dr. Govind Das Richhariya:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the efforts are being made for the last two years to explore copper in Sorai Madawara area of Jhansi District in Uttar Pradesh and if so, the progress made in the said work so far;

(b) whether some other metals like nickel have also been found there and if so, the names thereof; and

(c) the action being taken by Government to conduct extensive Geological Survey in Bundelkhand area and particularly in Jhansi District?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) The Directorate of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh is carrying out investigation by drilling etc. in Sonrai area for copper with the assistance of United Nations Development programme. As per latest information, more than 4,000 m. of drilling has been carried out by the Directorate. The programme of collaboration is to be continued for another year.

(b) Investigations carried out by the Directorate of Geology and Mining, Government of Uttar Pardesh in Madaura area did not indicate any Nickel deposit of economic value.

(c) The Geological Survey of India is carrying out systematic geological mapping and preliminary mineral assessment in Bundelkhand area which includes Jhansi District also. It is hoped that during 1973-74, an area of 700 sq. km. would be covered.

रूरकेला इस्पात संयंत्र में दुर्घटना

3985. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र में 28 जुलाई, 1973 को एक दुर्घटना के फलस्वरूप प्लेट मिल में आग लग गई थी;

(ख) क्या उक्त घटना के कारण संयंत्र को अनुमानतः एक करोड़ रुपये से अधिक की हानि अथवा क्षति हुई है; और

(ग) हानि को पूरा करने तथा इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 20 जुलाई, 1973 को 12 बजे के लगभग प्लेट मिल के सरकुलर ट्रिमिंग शियर क्षेत्र तथा नीचे केवल गैलरी में आग देखी गई थी। यह आग 2 घण्टों में बुझा दी गई थी। आग से अधिकांश केबलों का एक भाग जल गया था।

(ख) जी, नहीं। प्रारम्भिक जांच से यह अनुमान लगाया गया है कि केबलों को बदलने और उनको जोड़ने पर 1,15,000 रुपये खर्च होंगे। लगभग 2,000 रुपये टन प्लेटों के उत्पादन की हानि हुई है जिसका मूल्य लगभग 24 लाख रुपये है ।

(ग) एक समिति दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

स्क्रैप तता डिफैक्टिव लौहे का लघु क्षेत्र तथा एस० आर० एम० ए० के यूनिट में वितरण प्रणाली

3986. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की स्थापना से देश के औद्योगीकरण की राष्ट्रीय नीति उनके मंत्रालय पर भी लागू होती है ;

(ख) क्या सरकार ने स्टील रिरोलिंग मिल्स एसोसिएशन आफ इण्डिया, कलकत्ता के केवल 96 यूनिटों के लिए एक-तिहाई स्क्रैप तथा डिफैक्टिव सामान आरक्षित कर रखा है और शेष दो तिहाई लघु क्षेत्र के

700 यूनिटों के बीच वितरित किया जाता है जिसके फलस्वरूप स्टील रिरोलिंग मिल्स एसोसिएशन के प्रत्येक यूनिट को लघु क्षेत्र के यूनिट की तुलना में साढ़े तीन गुणा अधिक सामान मिलता है जबकि दोनों क्षेत्रों में यूनिटों की मशीनरी एक सी है ; और

(ग) यदि हां, तो स्टील रिरोलिंग मिल्स एसोसिएशन के एकाधिकार तथा सामान के आवंटन में भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) देश में इस्पात उद्योग के विकास पर विचार करते समय वितरण तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास में लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) यह सच है कि मुख्य इस्पात कारखानों से निकलने वाले पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप की वितरण नीति के अनुसार एक-तिहाई स्क्रेप स्टील रिरोलिंग मिल्स एसोसियेशन की सूची में दर्ज इकाइयों में वितरित किया जाता है तथा शेष दो-तिहाई स्क्रेप विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों की सूची में दर्ज इकाइयों में वितरित किया जाता है

(ग) भारत सरकार गत कई वर्षों से राज्य सरकारों को सलाह देती रही है कि कच्चे माल की अत्याधिक कमी को देखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले ही काफी क्षमता उपलब्ध है इस क्षेत्र में और इकाइयों की स्थापना को और बढ़ावा न दें । इस बात के तथा कच्चे माल की स्थिति की पूरी जानकारी होने के बावजूद जो इकाइयां लगाई गई हैं वे सरकार से उसी किस्म के बरतावे की अपेक्षा नहीं कर सकती जो इस क्षेत्र में पहले से लगी हुई इकाइयों के साथ किया जा रहा है ।

हिन्द महासागर और प्रशान्त महासागर के जल सम्बन्धी सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफिक) के लिए प्रशिक्षण

3987. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर का जल सम्बन्धी सर्वेक्षण करने वाले किसी दल को प्रशिक्षण देने के लिए कोई स्कूल बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र का जल सम्बन्धी सर्वेक्षण करने का प्रयास किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस राज्य में तथा उसे कितनी सफलता मिली ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) प्रशांत महासागर के जल सम्बन्धी सर्वेक्षण में भारत सरकार सम्मिलित नहीं है । भारतीय जल क्षेत्र का जल सम्बन्धी सर्वेक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है । एक नेवल हाइड्रोग्राफिक स्कूल है जो इस समय अस्थायी तौर पर कोचीन में स्थित है । इसकी स्थायी स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Performance of Small Steel Plants in the Country

3989. **Shri Phool Chand Verma :**

Shri D. P. Jadeja :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of small steel plants (electric furnace units) of five tonnes, ten tonnes fifteen tonnes and twenty tonnes capacity in the country, State-wise;

(b) the annual Production of steel in each category during the last three years, State-wise;

(c) the percentage of the contribution made by small steel plants in the steel production of the country during the last three years; and

(d) the difficulties facted by the small steel plants, ordinarily, during this period and the steps taken by Government for giving assistance in accordance with the policy of increasing production and the results thereof and the future scheme in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Enquiry against Praja Sahakari Udyog Bharatpur regarding advance deposits for Apollo Scooter

3990. **Shri Narendra Singh Bisht:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8981 on the 3rd May, 1973 regarding the Enquiry against Praja Sahakari Udyog, Bharatpur and state the present position of the case?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad): No further developments have been reported by the State Government of Rajasthan.

Expenditure on Prime Minister's Visits to Foreign Countries

3991. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Eeternal Affairs** be pleased to state the expenditure incurred on the Prime Minister's visits to the foreign countries during 1971-72 and 1972-73, separately?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): The figures of expenditure are given below:

I. Year 1971-72

1. Expenditure in Indian currency		*Rs. 22,97,000.00
2. Expenditure in Foreign exchange		Rs. 1,05,000.00
	Total	Rs. 24,02,000.00

II. Year 1972-73

1. Expenditure in Indian currency		*Rs. 14,06,000.00
2. Expenditure in Foreign exchange		Rs. 1,07,000.00
	Total:	Rs. 15,13,000.00

Note: 1. *Expenditure in Indian currency represents (i) cost of air passages including expenditure on chartered flights from AIR INDIA/Indian Airlines for the Prime Minister and the official Party;

(ii) expenditure on Gifts and Presents to foreign dignitaries from the Prime Minister.

2. The figures of expenditure given here do not include expenditure on payment of Travelling Allowance to the officers who accompanied the Prime Minister on these visits.

पाकिस्तान में तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गयी सम्पत्तियों के लिये भारतीय नागरिकों को भुगतान किये गये मुआवजे की राशि

3992. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन भारतीय तथा बंगलादेश के नागरिकों की सम्पत्तियों को भारत सरकार तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिया था क्या उन सम्पत्तियों की समस्या पर भारत सरकार तथा बंगलादेश सरकार ने संयुक्त रूप से विचार करना आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो दोनों सरकारों द्वारा ऐसी समस्याओं पर कब विचार किये जाने की आशा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री : श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, (क) जी नहीं ।

(ख) बंगला देश सरकार इस समय पुनर्निर्माण की तात्कालिक समस्याओं में व्यस्त है तथा अन्य महत्वपूर्ण समस्याएं भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच हल की जानी हैं । सम्पत्ति के प्रश्न को किसी अन्य अधिक उपयुक्त समय पर उठाया जा सकता है ।

भारत द्वारा समुद्र में मछली क्षेत्र की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

3993. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मछली क्षेत्र के बारे में भारतीय समुद्री क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में विचार कर रही है जैसा कि पाकिस्तान ने किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सीमा किस स्थान पर बढ़ाई जायेगी ; और

(ग) सीमा कितनी बढ़ाई जायेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) अपने तट के पास के समुद्र में मत्स्य संसाधन संबंधी वैध हितों की और इसके लिए उपलब्ध साधनों की रक्षा का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है । भारत सरकार के मतानुसार हर तटीय देश को अपने प्रादेशिक समुद्र के बाहर के जलक्षेत्र में सिर्फ़ अपने लिए मत्स्य क्षेत्र स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए ।

1974 में संतियागो, चिली में संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून पूर्णाधिकार सम्मेलन होने वाला है उसमें मत्स्य पालन के प्रश्न पर विचार किया जाएगा और इसके लिए तैयारी संयुक्त राष्ट्र समुद्र तल समिति में की जा रही है । भारत ने श्रीलंका, कनाडा, कीनिया, मैडागास्कर और सेनेगल के साथ मिलकर इस तरह के मत्स्य क्षेत्र स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव 19 जुलाई, 1973 को समुद्र तल समिति को दिया था । सभी महाद्वीपों के बहुत से देशों से इस प्रस्ताव को काफी समर्थन मिला है ।

मत्स्य क्षेत्र के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र में विस्तार करने के प्रश्न पर भारत सरकार पिछले पैराग्राफों में उल्लिखित अपने मत और परिस्थितियों में संदर्भ में विचार करेगी ।

भारतीय मशीन टूल्स निगम द्वारा क्रैंकशाफ्ट ग्राइन्डरों का निर्माण

3994. **श्री पीलू मोदी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मशीन टूल्स निगम अथवा भारत की कोई सरकारी अथवा गैरसरकारी कम्पनी 84" और इससे अधिक आकार के क्रैंकशाफ्ट ग्राइन्डर बनाती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1971-72 की आयात नीति के अंतर्गत ऐसे आयातों की अनुमति होने के उपरान्त भी ऐसी मशीनों के आयात की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 680 मि० मी० (27 इंच) के तल से ऊपर घूमने की दूरी वाले और केन्द्रों से 2600 मि० मी० (120.3 इंच) की दूरी वाले क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडर्स केवल मे० मशीन टूल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर द्वारा बनाये जा रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। वर्ष 1971-72 में 630 मि० मी० (25 इंच) की तल से ऊपर घूमने की दूरी और केन्द्रों से 2184 मि० मी० (86 इंच) की दूरी वाले क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडरों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

बल्बों के निर्माण हेतु प्लांट बनाने की हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की योजना

3995. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने बल्ब के निर्माण हेतु प्लांट बनाने की योजना बनाई है और उसने यह योजना सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और क्या इसका अनुमोदन कर दिया गया है ; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितना धन नियत किया गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) मै० हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलोर ने हंगरी के मै० यूनाईटेड इनकेन्डिसेंट लेम्प एण्ड इलैक्ट्रिकल कम्पनी लिमिटेड (जो टुंगसरम कही जाती है) के सहयोग से लैम्प और लैम्पों के पुर्जों तथा जी एल एस लाइनों का निर्माण करने के बारे में हाल ही में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव में व्यापक आधार पर तकनीकी और औद्योगिकी सहायता सम्मिलित है।

परमाणु बम

3996. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के किन देशों के पास परमाणु बम हैं ;

(ख) विश्व के किन देशों के पास परमाणु बम बनाने संबंधी तकनीकी जानकारी है; और

(ग) परमाणु बम वाले देशों तथा परमाणु बम बनाने संबंधी तकनीकी जानकारी रखने वाले देशों में भारत की स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अमरीका, रुस, ब्रिटेन, फ्रान्स तथा चीन के पास परमाणु बम हैं।

(ख) इस बात का प्राधिकृत रूप में पता नहीं है कि किन देशों को परमाणु बमों को बनाने की जानकारी है।

(ग) अनेक अवसरों पर संसद में परमाणु शस्त्रास्त्रों के निर्माण के संबंध में सरकार की नीति बताई गई है। हमारी नीति परमाणु ऊर्जा का केवल शान्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयोग करना है। इस नीति के संदर्भ में भारत की स्थिति परमाणु वाले राष्ट्रों के साथ तुलना का प्रश्न नहीं उठता है।

उद्योगों में स्वचालित यंत्रों को लगाने की योजना

3997 **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उद्योगों में स्वचालित यंत्र लगाने संबंधी कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों में इस योजना को चालु करने का विचार है, और

(ग) इसके लक्ष्यार्थ क्या हैं और श्रमिकों के मन से छंटनी के भय को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) : भारत सरकार ने एक स्वचालन समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2 जून, 1972 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेजी गई हैं। सरकार द्वारा इस रिपोर्ट की जाँच की जा रही है।

भारत अर्थ मूअर्ज लिमिटेड का निर्यात बाजार में प्रवेश

3998. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूअर्ज लिमिटेड छोटे पैमाने पर निर्यात बाजार में आ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य-पूर्व के देशों में विपणन बाजार की खोज करने के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसे कितनी सफलता मिली है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में 1970-71 के दौरान अपने उत्पादों के निर्यात के लिए मामूली शुरुआत की है। इस कंपनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त निर्यातों का मूल्य निम्नांकित है :—

(रूपये लाखों में)

1970-71	16.61
1971-72	14.97
1972-73	22.86

(ख) और (ग). कंपनी एशिया के देशों में अपने उत्पादों के लिए बाजार स्थापित करने के प्रयत्न कर रही है जिस में मध्य-पूर्व देश भी सम्मिलित हैं। तथापि, इनके परिणाम प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा।

वसंत विहार, नई दिल्ली में दुकानों के नियमों का पालन न किया जाना

3999. श्री शक्ति कुमार सरकार :

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि वसंत विहार, नई दिल्ली की रिहायशी कालोनी में कुछ दुकानदार कार्य घंटे तथा साप्ताहिक अवकाश संबंधी नियम का पालन नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख). नई दिल्ली की वसंत विहार कालोनी में लगभग 30 दुकानें हैं जिनमें से 14 दुकानों अर्थात रेस्तरांओं, पान की दुकानों, बेकरियों आदि को, दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन, खुलने और बंद होने के समयों और निर्धारित साप्ताहिक छुट्टी के दिन संबंधी उपबन्ध से छूट प्राप्त है।

एक विशेष दुकान के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उक्त प्रबन्धक का शाम के 7 बजे दुकान बंद करने के निर्धारित समय के बाद दुकान खुली रखने के कारण 12-3-73, 15-3-73, 10-5-73 और 13-8-73 को चालान किया गया था। 1973 में आज की तारीख तक उल्लंघन संबंधी और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन को पकड़ने के लिए समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं। 1 मार्च, 1973 से 15 अगस्त, 1973 तक की अवधि के दौरान वसंत विहार क्षेत्र के मालिकों के विरुद्ध दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघनों के कारण 31 अभियोजन दायर किए गए हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

1. धारा 15 (खोलने और बंद करने के समय)———— 26
2. धारा 35 (अभिलेखों को पेश न करना)———— 1
3. धारा 33 (अभिलेख न रखना)———— 2
4. धारा 34 (नियुक्ति पत्र जारी न करना)———— 2

वर्ष 1973–76 के दौरान व सामान्यतः बिहार में तथा विशेषकर छोटानागपुर क्षेत्र में भारी उद्योगों में लगाई जाने वाली पूंजी

4000. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का वर्ष 1973-76 के दौरान सामान्यतः बिहार में तथा विशेषकर छोटा नागपुर क्षेत्र में भारी उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगाने का विचार है ; और

(ख) इस संबंध में बिहार के लिये विचाराधीन कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पांचवीं तथा छठी योजना अवधि में बिहार राज्य के छोटा नागपुर, रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में हैवी मशीन बिल्डिंग क्षमता बढ़ाने का विचार है। अतिरिक्त मांग का पूर्णरूप से निर्धारण कर लेने के पश्चात् इसके निवेश पर निर्णय किया जाएगा।

पश्चिम जर्मनी में भारतीयों को रोजगार

4001. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम जर्मनी में कुल कितने भारतीय नागरिक हैं ;

(ख) वहां कितने व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं; और

(ग) क्या पश्चिम जर्मनी और अधिक भारतीयों को रोजगार देने के लिए तैयार है और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जर्मन संघीय गणराज्य के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत पंजीकृत भारतीय राष्ट्रीकों की कुल संख्या 9,747 है।

(ख) संघीय गणराज्य में 30 जून, 1972 तक नियोजित भारतीय राष्ट्रीकों की संख्या 5,018 है।

(ग) जर्मन संघीय गणराज्य नियमत: ऐसे देशों के नागरिकों के नियोजन को प्रोत्साहित नहीं करता जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल नहीं हैं जब तक कि यह नियोजन किसी द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत न हो जैसा कि तुर्की, यूगोस्लाविया और स्पेन के साथ है।

सीमान्त क्षेत्र के विद्रोही नागाओं, कुकिओं और कबीलों द्वारा मारे गये भारतीय सैनिक

4002. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 के दौरान सीमान्त क्षेत्र के विद्रोही नागाओं, कुकियों और कबीलों द्वारा कितने भारतीय सैनिक मारे गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : आठ ।

युद्ध बन्दियों का थोड़ी-थोड़ी संख्या में स्वदेश भेजा जाना

4003. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को थोड़ी-थोड़ी संख्या में स्वदेश भेजने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को अभी तक या तो मानवीय तथा सहानुभूति के आधार पर अथवा सद्भावना के रूप में स्वदेश भेजा गया है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी क्षेत्र और समुद्र में पाकिस्तानी जहाजों मे पकड़े गये सभी पाकिस्तानी मर्चेन्ट सीमेन तथा यात्रियों को भी स्वदेश भेज दिया गया है ? भारत-बंगलादेश के हाल ही के घोषणापत्र में, उन को छोड़कर जो युद्ध अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए बंगलादेश को चाहिए, पाकिस्तान में रोके गये बंगालियों और बंगलादेश में पाकिस्तानियों को स्वदेश वापसी, जिन्होंने पाकिस्तान को लौटने की इच्छा व्यक्त की है, तथा सभी पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों और संरक्षणात्मक हिरासत में नागरिकों की स्वदेश वापसी का प्रस्ताव किया गया है।

नई दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान कांपर कारपोरेशन का कृत्य

4004. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब दिल्ली में स्थित हिन्दुस्तान कांपर कारपोरेशन के कृत्य क्या हैं तथा उनमें विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनका मासिक वेतन बिल कितने का बनता है :

(ख) दिल्ली स्थित उक्त कांपर कारपोरेशन के कार्यालयों के लिए किराए में लिए गए भवनों का किराया कितना है और यह किराया किसको दिया जाता है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान कांपर कारपोरेशन को इस समय पूरे कर्मचारियों की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इतनी अधिक संख्या में कर्मचारियों को भरती करने और प्रति महिने इतना अधिक व्यय करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड कार्यालय का वर्तमान कार्यकलाप इस प्रकार है :–

(i) खेतड़ी ताम्र परियोजना में उत्पन्न किए जाने वाले ट्रिपल सुपर फास्फेट के लिए विपणन सुधार कार्यों और जीवन कार्यक्रम का आयोजन, निर्देशन और कार्यान्वयन।

(ii) इंडियन कौपर कम्प्लैक्स, घटशिला में उत्पादित निकल सल्फेट और वेल्लित पदार्थों की बिक्री।

(iii) खेतड़ी ताम्र परियोजना के लिए स्थानीय खरीद कार्य।

(iv) संस्वीकृति आयात लाइसेंस आदि तुरन्त जारी कराने के लिए सरकारी विभागों से संपर्क रखना।

दिल्ली स्थित कार्यालय में 1-8-73 को कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार से है:—

श्रेणी I	14
श्रेणी II	4
लिपिकों और चपरासियों सहित अन्य श्रेणियां	28

उनके बारे में मासिक वेतन बिल 41,300 रुपए का है।

(ख) कार्यालय भवनों का कुल मासिक किराया 14,430 रुपए है। किराया सात अलग-अलग मालिकों को दिया जाता है।

(ग) और (घ). कंपनी के दिल्ली स्थित कार्यालय में कार्य कर रहे अधिकारियों की वर्तमान संख्या इस समय किए जा रहे काम की तुलना में कुछ अधिक है। इन कर्मचारियों में वे लोग भी सम्मिलित है जिनको 1973 के कलेंडर वर्ष के दौरान आयातित ट्रिपल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हुए व्यापक वीजन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु भर्ती किया गया है। किन्तु अपरिहार्य कारणवश अब तक ट्रिपल सुपर फास्फेट की आयातित आपूर्ति की व्यवस्था करना संभव नहीं हो सका है। इस समय कंपनी का दिल्ली स्थित कार्यालय देश में ही उत्पन्न ट्रिपल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हुए विपणन-सुधार कार्य कर रहा है। कार्यालय भवन भी खेतड़ी संयंत्र से, जिसके 1974 में चालू हो जाने की संभावना है, लगभग 2,00,000 टन के ट्रिपल सुपर फास्फेट की बिक्री के प्रबंध हेतु उर्वरक विपणन प्रभाग के चरम आकार को ध्यान में रखकर किराए पर लिए गए हैं।

कर्मचारियों और किराए के स्थान की आवश्यकता पर पुनः विचार का भी प्रस्ताव है।

भारत में स्थित विदेशी मिशनों द्वारा स्थानीय लोगों को नियुक्त करने सम्बन्धी नियम

4005. श्री बी० के० दासचौधरी :

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई विदेशी मिशन अथवा कोई अन्य विदेशी एजेंसी, राहत संगठन आदि सरकार की अनुमति के बिना स्थानीय लोगों को नियुक्त अथवा भरती कर सकती है;

(ख) भारत में कार्य कर रहे विदेशी मिशन, संगठन अथवा राहत एसोसिएशन इस संबंध में किन नियमों अथवा विनियमों का पालन करते हैं; और

(ग) क्या इन नियमों का उल्लंघन करने के कारण किसी ऐसे मिशन अथवा संगठन के अध्यक्ष को दंड देने अथवा उसको अमान्य व्यक्ति घोषित करने के लिये कोई व्यवस्था है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत स्थित विदेशी मिशनों को भारतीय राष्ट्रिकों को नौकरी देने में सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है । लेकिन जब कभी कोई विदेशी मिशन सरकार से किसी भारतीय राष्ट्रिक की पूर्व सेवाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए लिखा पढ़ी करता है, तो यह कार्य हम कर देते हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को हुई हानि को पूरा करने के लिये कार्यवाही

4006. **श्री मोहम्मद शरीफ :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को हुई हानि के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 617 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को गत वर्षों में हुई हानि को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : नैवेली लिग्नाइट निगम मुख्यत: इसलिए हानि उठा रहा है क्योंकि एक तो विभिन्न उपभोक्ता इकाईयों को उनकी अधिकतम क्षमता तक संचालित करने के लिए कम उत्पादन और उसके फलस्वरूप लिग्नाइट की कमी है तथा दूसरे उर्वरक संयंत्र में संचालन और प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां भी हैं । विगत वर्षों में निगम को हुई हानि को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) नैवेली लिग्नाइट खान की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 36 लाख टन प्रतिवर्ष है। पहले चरण में लिग्नाइट के उत्पादन को 1975-76 तक 45 लाख टन तक बढ़ाने की योजना है जिसके लिए 11.62 करोड़ रुपए के सहायक उपस्करों, जिनमें प्रतिस्थापन उपस्कर शामिल हैं, खरीदे जा रहे हैं ।

(ii) अनुमान है कि उपभोक्ता इकाइयों अर्थात् ताप-बिजली घर, ब्रिकेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र को चलाने तथा प्रोसेस वाष्प संयंत्र को चलाने के लिए लगभग 60 से 65 लाख टन तक लिग्नाइट की आवश्यकता होगी । तद्नुसार विशिष्ट खनन उपस्करों के लिए 36 करोड़ रुपए के निवेश से लिग्नाइट की उत्पादन क्षमता 45 लाख टन से बढ़ाकर 65 लाख टन प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव पर भी सरकार सक्रिय विचार कर रही है । उक्त उत्पादन स्तर पर परियोजना के व्यवहार्य होने की संभावना है ।

(iii) संचालन की वर्तमान स्थितियों में उर्वरक संयंत्र की अधिकतम वसूली क्षमता, उसकी 1,52,000 टन प्रतिवर्ष की निर्धारित क्षमता की अपेक्षा 90,000 से 1,00,000 टन आंकी गई है । हाल ही में भारतीय उर्वरक निगम ने यूरिया के उत्पादन को 1,52,000 टन प्रतिवर्ष करने की दृष्टि से, उर्वरक संयंत्र में गैस उत्पादन हेतु लिग्नाइट के बदले ईंधन तेल के प्रतिस्थापन के लिए नैवेली लिग्नाइट निगम को प्रोद्योगिक-आर्थिक अध्ययन किया है । उपर्युक्त रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

(iv) निगम के वित्तीय संसाधनों में सुधार की दृष्टि से पूंजी-ढांचे के पुनर्गठन का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ।

ग्वालियर रेयन, मवूर की पल्प डिवीजन में तालाबन्दी

4007. **श्री मोहम्मद शरीफ :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोझीकोड के निकट मवूर स्थित विड़ला की ग्वालियर रेयन ने 24 जुलाई, 1973 को कारखाने के पल्प डिवीजन में तालाबन्दी घोषित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस तालाबंदी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कारखाने को खुलवाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) (क) से (ग) : यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, कारखाने के लुगदी प्रभाग में श्रमिकों की अंतरिम सहायता की मांग पर उनके द्वारा की गई अभिकथित श्रम अशांति/धीरे काम करो कार्यवाई के बाद प्रबन्ध-तंत्र ने 24 जुलाई, 1973 को तालाबंदी की घोषणा कर दी । यह सूचना मिली है कि श्रमिकों ने भी 23 जुलाई, 1973 की शाम को प्रबन्धतंत्र द्वारा छः श्रमिको को दिए गये निलंबित्त आदेशों को रद्द कराने के लिए कारखाने के अधीक्षक का घिराव किया । राज्य औद्योगिक सम्बन्धतंत्र इस मामले के प्रति सचेष्ट है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा देशीय बाजार की तुलना में निर्यात से अर्जित आय

4008. **श्री जी० बाई० कृष्णन् :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने गत दो वर्षों के दौरान देशीय बाजार की तुलना में निर्यात से कितनी वास्तविक आय अर्जित की है ।

(ख) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिए एक नियन्त्रक (होल्डिंग) कंपनी बनाने के लिए कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्देश्वर प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा वर्ष 1971-72 और 1972-73 की अवधि में निर्यात से हुई आय की वास्तविक राशि निम्न प्रकार है :—

1971-72	मशीनी औजार	93.64 लाख रुपये
	घड़ियां	92,374 रुपये
1972-73	मशीनी औजार	108.37 लाख रुपये
	घड़ियां	96,963 रुपये

मशीनी औजारों और कलाई घड़ियों के देशी बाजार मूल्यों की अपेक्षा इन वस्तुओं के निर्यात से क्रमशः लगभग 70-75% और 40 से 45% तक की उपलब्धी हुई ।

(ख) और (ग) प्रबंध, उत्पादिता संबंधी पहल शक्ति और जिम्मेदारी को अधिक परिक्षिप्त करने की दृष्टि से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबंध-ढांचे को पुनर्गठित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । प्रस्तावित पुर्ननिर्माण की रीतियों का पता लगाया जा रहा है ।

राज्यों को आयातित स्टेनलैस स्टील का आबंटन

4009. श्री जी० बाई० कृष्णन्:

श्री सी० के० जाफर शरीफ:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी मात्रा में स्टेनलैस स्टील का आयात किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को इनका कुल कितना आबंटन किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): 1969-70 से 1972-73 (अप्रैल 1972 से अगस्त 1972) की अवधि में बेदाग इस्पात के आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं । चूंकि आयात प्रत्येक इकाई से आयात के लिए प्राप्त हुए आवेदनों के आधार पर मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंसों/रिलीज आर्डरों पर किया जाता है, इसलिए राज्यवार आबंटन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

मात्रा (टन)
मूल्य (हजार रुपय)
(अगस्त 1972 तक)

क्रम संख्या	विवरण	1969-70		1970-71		1971-72		1972-73	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ब्लूम, बिलेट, स्लैब, शीट बार, बेदाग इस्पात के रफली फोजर्ड टुकडे			50	803	22	192	1	5
2.	बेदाग मिश्र इस्पात के तार छड़			79	933	102	1006	158	1655
3.	बेदाग मिश्र इस्पात के छड़, गोल छड़ (तार छड़ शामिल नही हैं)			603	5193	1426	10822	1424	8654
4.	1.26 मि० मी० तथा इससे अधिक मोटी बेदाग इस्पात की चादर 18 बी० जी० तथा इससे मोटी (परन्तु 3 मि० मी० से कम)	2431	10481	5733	22252	4094	29827	1166	11220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	0.9 मि० मी० से 0.56 मि० मी० मोटी बेदाग इस्पात की चादरें (21 बी० जी० से 25 बी० जी० तक)	89	606	136	943	623	6976	56	317
6.	3 मि० मी० से कम मोटी अन्य गेजों की बेदाग इस्पात की चादरें	6765	33541	8839	64795	7954	51499	2030	13541
7.	बेदाग इस्पात के हूप तथा स्ट्रिप (मिश्र इस्पात स्केल्प शामिल नहीं है)			472	3939	1580	8289	286	2566
	जोड़ (1 से 7)	9285	44628	15912	98858	15801	10861	5121	37958

अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

2. 1970-71 और 1971-72 में बर्तन बनाने के लिए 0.711 मि० मी० मोटाई की बेदाग इस्पात की चादरों के तदर्थ आधार पर किए गए आयात का वितरण इस प्रकार है :—

(मात्रा टन)

राज्य का नाम	1970-71	1971-72
आन्ध्र प्रदेश	51	42.5
असम	21	6
बिहार	42	19
गुजरात	64.25	36
हरयाणा	123	68
केरल	235	64
जम्मू तथा कश्मीर	24.75	16
तमिलनाडु	24.75	72
मध्य प्रदेश	119	12
महाराष्ट्र	643	312
मैसूर	171	101
नागालैंड	10	4
उड़ीसा	19	9
पंजाब	41.23	29

(मात्रा टन)

राज्य का नाम	1970-71	1971-72
राजस्थान	30.50	21
उत्तर प्रदेश	103	37
पश्चिमी बंगाल	41.75	19
देहली	109	140
हिमाचल प्रदेश	36.75	23
पांडीचेरी	18	10
त्रिपुरा	10	4
मणिपुर	10	4
गोआ, दमन दियु	10	6
मेघालय	10	5
चंडीगढ़		2

खेतड़ी तांबा समूह में सभी एककों को चालू करना

4010. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा समूह के सभी एकक वर्ष 1974 तक चालू हो जाएंगे ;

(ख) 31000 टन तांबे का अधिकतम उत्पादन कब तक प्राप्त हो जाएगा ; और

(ग) वर्ष 1972 और वर्ष 1973 की प्रथम तिमाही में खेतड़ी खानों में कुल कितना उत्पादन हुआ है और क्या यह उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के बराबर है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) खेतड़ी ताम्र परियोजना की समस्त एककों के 1974 में चालू हो जाने की संभावना है।

(ख) खेतड़ी ताम्र परियोजना से 1978–79 तक प्रावस्था क्रम से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किए जाने की संभावना है।

(ग) खेतड़ी ताम्र परियोजना के अंतर्गत 1972 में और 1973 की प्रथम तिमाही में तांबे का उत्पादन शून्य था क्योंकि परियोजना अभी तक निर्माणाधीन है। अतः निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन होने का प्रश्न ही नही उठता है।

निर्माण उद्योग पर भविष्य निधि अधिनियम तथा उपदान अधिनियम को लागू करना

4011. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण उद्योग की भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों से अलग क्यों रखा गया है ;

(ख) निर्माण कर्मचारियों को इस क्षति के मुआवजे के रूप में क्या वैकल्पिक लाभ दिये गये हैं जबकि निर्माण श्रमिकों की सेवाएं अस्थाई और असुरक्षित हैं ; और

(ग) क्या निर्माण उद्योग संस्थान उपदान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आते हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० बेंकटास्वामी) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 को भवन और निर्माण उद्योग पर विस्तृत करने के प्रश्न पर विचार किया गया है परन्तु श्रमिकों के बड़े अनुपात के कार्य के मौसमी स्वरूप और उनके एक नियोजक से प्रायः दूसरे के पास जाने के कारण अधिनियम को इस उद्योग पर विस्तृत नहीं किया जा सका। इन श्रमिकों को किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कोई वैकल्पिक लाभ नहीं दिया गया है।

(ग) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 1(3) के अन्तर्गत, किसी ऐसे कानून के अर्थ के अन्तर्गत प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान, जोकि किसी राज्य में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के संबंध में उस समय लागू हैं, जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, या पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन नियोजित थे, अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

पाला खेंमुंडी, उड़ीसा स्थित लघु इस्पात कारखाने का बन्द होना

4012. **श्री गिरिधर गोमांगो**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गंजम जिले के पाला खेंमुंडी स्थित लघु इस्पात कारखाना (छोटे पैमाने पर चलने वाला) गत तीन वर्षों से बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार का विचार पांचवीं योजना के दौरान इस कारखाने के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सशस्त्र सेवा चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक के अधीन रखे गये विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक

4014. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक के अधीन रखे गये विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों के बारे में 2 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1630 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के चिकित्सा विज्ञान के निदेशालय ने इस व्यवस्था का इस आधार पर प्रबल विरोध किया है कि सशस्त्र सेनाओं के वैज्ञानिकों को ऐसे अनुसंधान कार्य का दायित्व नहीं लेना चाहिए जिनको असैनिक वैज्ञानिक विशिष्ट उद्योगों में करने में सक्षम है ;

(ख) क्या वैज्ञानिकों ने अपना यह मत दिया है कि यदि "इन्मास" को समान कार्य करने वाले किसी अन्य संगठन के साथ लगाया जाये तो यह संगठन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र होना चाहिए; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा कोई विशेष सुझाव नहीं दिया गया है कि "इन्मास" को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के साथ सम्बद्ध कर देना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बर्मा में भारतीय मूलक लोगों की दशा

4015. श्री समर गुह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जुलाई, 1973 के "स्टेट्समैन" में 'इंडियन्स इन बर्मा' शीर्षक से छपे लेख की ओर दिलाया गया है जो बर्मा में भारतीय मूलक लोगों की दशा के बारे में है;

(ख) क्या उसमें दिए गए तथ्य तथा जानकारी पूर्णतया या अधिकांशतया सच है ?

(ग) क्या यह मामला बर्मा सरकार के साथ उठाया गया है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ;

(घ) क्या विदेश मंत्री ने अपनी रंगून यात्रा के दौरान यह मामला बर्मा सरकार के साथ उठाया था; और

(ङ) भारतीय मूलक लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने संबंधित लेख देखा है।

(ख) लेख में कई तथ्य संबंधी गलत विवरण हैं। उदाहरणस्वरूप बिना दस्तावेज वालों की संख्या लगभग 100,000 है न कि 4000,000 और उन्हें देश-प्रत्यावर्तन की सुविधायें देने से इंकार नहीं किया गया। लेख के इस कथन का भी कोई आधार नहीं है कि 80,000 लोग प्रत्यावर्तन के लिए तैयार हैं।

(क) से (ङ) बर्मा के भारतीयों से संबंधित प्रश्न जैसे नागरिकता की मंजूरी, छोड़ी गई परिसंपत्ति का मुआविजा आदि दोनों सरकारों के विचार तथा बातचीत के विषय रहे हैं और विदेश मंत्री की बर्मा यात्रा के समय भी इन प्रश्नों पर विचार-विमर्श हुआ । 1964 से सरकार भारतीय मूल के इन लोगों को प्रत्यावर्तन की सुविधायें देती रही है जो यहां लौटकर भारत में बसना चाहते हैं और जिन्होंने विदेशी राष्ट्रिकता का विकल्प नहीं दिया है या प्राप्त नहीं की है।

जवानों और उनके परिवारों के लिये मकान

4016. श्री सी० जनार्दनन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवानों और उनके परिवारों के लिए मकानों की व्यवस्था करने में और आगे कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस संबंध में अब तक कितना व्यय हुआ है ;

(ग) पांचवीं योजना की अवधि में सशस्त्र सैनिकों के लिए मकानों के निर्माण हेतु क्या योजनाएं ह ; और

(घ) इसमें अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सेना कार्मिकों के लिए बनाए गए क्वार्टरों की संख्या निम्नांकित है :

	1970-71	1971-72	1972-73
अफसर	1,043	598	622
अन्य	6,646	6,150	6,387

(ख) 1966-67 से 1972-73 तक सेना कार्मिकों के लिए पारिवारिक आवास की व्यवस्था करने के लिए लगभग 112 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

(ग) और (घ) पांच वर्षीय रक्षा योजना (1970-71 से 1974-75) में आवास के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। तथापि, सम्पत्ति निर्माण कार्यों के लिए कुल व्यवस्था में से 86 करोड़ रुपये सेना कार्मिको के लिए पारिवारिक आवास पर खर्च करने का विचार है । तथापि, तीनों सेनाओं के कार्मिकों के लिए पारिवारिक आवास की व्यवस्था के लिए होने वाला वास्तविक खर्च उस प्रयोजन के लिए हर वर्ष उपलब्ध धन पर निर्भर करता है।

अधिकारियों और जवानों के बीच वेतन तथा भत्तों के मामले में असमानताओं को कम करना

4017. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकारियों और जवानों के बीच वेतन तथा भत्तों के मामलों में विद्यमान असमानताओं को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस संबंध में कितना अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मोटे तौर पर, अफसरों तथा जवानों को मिलने वाले वेतन तथा भत्तों के मामले में विद्यमान असमानताएं अफसर पद से नीचे के कार्मिकों के वेतन-मानों के बढ़ा दिए जाने और उच्चतम पदों के अफसरों के मामले में वर्तमान वेतन-मानों को जारी रखने के परिणाम स्वरूप घट जायेगी जैसे कि तृतीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है। इसके द्वारा उनके वेतनों का अनुपात बहुत गिर जाएगा और असमानताएं काफी कम रह जाएंगी। वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

(ख) अतिरिक्त खर्च वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कर लिये जाने पर निर्भर करेगा।

समुद्री रक्षा के लिये अन्तर्जलीय एकोनोटिक और तापीय मानचित्रों की आवश्यकता

4018. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौसैनिक रक्षा की प्रभावी योजना के लिए भारत को घेरे हुए समुद्रों की अन्तर्जलीय एकोनोटिक और तापीय मानचित्र बनाने की आवश्यकता महसूस की है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मानचित्रों को बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार भारत को घेरे हुए समुद्र के लिए अन्तर्जलीय अकाउस्टिक तथा तापीय मानचित्र की आवश्यकता से परिचित है।

(ख) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान तथा अन्य अनेकों एजेंसियों इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इस संबंध में भारतीय नौसैना महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वर्तमान सुविधाओं को आधुनिक बनाने तथा उनका विस्तार करने के लिए योजनाएं हैं।

भारत-अमरीका सम्बन्ध

4019. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में हाल ही में क्रिस्चियन वर्ल्ड सेमीनार के सदस्यों को बताया था कि भारत और अमरीका कुछ भ्रांतियों को दूर करने तथा परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो भ्रांतियां दूर करने के प्रयासों में कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) इस संबंध में किसने पहल की थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) विश्व ईसाई सैमिनार के प्रतिनिधियों से अपनी भेंट में प्रधान मंत्री ने बताया कि भारत तथा अमरीका आपसी गलतफहमी—यदि कोई हो—उसे दूर करने तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए क्या-क्या प्रयत्न कर रहे हैं।

(ख) भारत-अमरीकी संबंधों के भविष्य के बारे में दोनों पक्ष एक दूसरे के विचारों को अब और अच्छी तरह समझ रहे हैं ।

(ग) दोनों ही पक्ष संबंधों में सुधार चाहते हैं ।

नाम्बिया का प्रशासन सम्भालने के लिये प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र दल

4020. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा नाम्बिया के प्रशासन को विश्व निकाय को सौंपने के बारे में दक्षिण अफ्रीका को समझाने के सब प्रयास विफल रहें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का इस बारे में संयुक्त राष्ट्र में यह प्रश्न उठाने का विचार है कि नाम्बिया का प्रशासन संम्भालने के लिये वहां संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का एक दल भेजा जाना चाहिये ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र नाम्बिया परिषद और उपनिवेशवाद को समाप्त करने से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र परिषद में इस प्रश्न पर जो विचार-विमर्श हुआ है उसमें भारत ने सक्रिय भाग लिया है और इस मामले में अफ्रीकी एशियाई और अन्य देशों के साथ घनिष्ट विचार-विमर्श और सहयोग से कार्य करता है ।

भारत का दृष्टिकोण यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायलय के परामर्श पर कार्य करना चाहिए जो नाम्बिया में दक्षिण अफ्रीका की उपस्थिति को गैरकानूनी मानता है ।

सुरक्षा परिषद की 1971 में हुई बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया था कि सुरक्षा परिषद एक औपचारिक घोषणा द्वारा नाम्बिया के प्रशासन को संयुक्त राष्ट्र प्रादेश शासन परिषद के अधीन घोषित कर दे जो नाम्बिया के लिए बनी परिषद के माध्यम से प्रशासन करे । भारत के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि यदि दक्षिण अफ्रीका वहां से हटने और नाम्बिया के प्रशासन को हस्तान्तरित करने से इनकार करें तो उसके विरुद्ध आर्थिक और सैनिक प्रतिबन्ध लगाए जाने पर विचार किया जा सकता है और तब परिषद दक्षिण अफ्रीका के हटाए जाने के लिए आवश्यक कार्यावाई कर सकती है ।

विदेशों में स्थित राजनयिक मिशनों के व्यय में कमी

4021. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के व्यय में कमी के सम्बन्ध में में किये गये उपायों के कोई परिणाम निकले हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक दूतावास के व्यय में कुल कितनी कमी हुई ; और

(ग) चालू वर्ष में व्यय में कुल कितनी कमी होने की संम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विवरण सदन की मेज पर रख दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०5471/73]

Defence of Jammu City

4022. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the transfer of Chhamb area across the river Tawi to Pakistan has exposed Jammu city to danger; and

(b) if so, whether Government have taken any concrete steps in regard to its defence ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) No, Sir.

(b) All necessary steps for the defence of Jammu are catered for in our defence plans.

कोकिंग कोल का उत्पादन

4023. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 1973 के लिये कोकिंग कोल के उत्पादन का क्रमशः निर्धारित लक्ष्य क्या था ;

(ख) महीनेवार कितना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हुआ ; और

(ग) उत्पादन में यदि कोई कमी है तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Payment of Wages to Workers of Lapanga Colliery, Bihar whose names do not appear in the Officially Published list of Workers

4024. **Shri Bhola Manjhi :**

Shri Ramavatar Shastri :

Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a list of workers working in Lapanga colliery of Bhurkunda area in Hazaribagh District of Bihar has been published by the Custodian ;

(b) whether the Manager of this Colliery is paying wages to 17 such persons whose names do not appear in the published list;

(c) whether all of them are contractors and not workers ; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

विदेशों को भारतीय डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराना

4025. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्षों में भारत सरकार से अपने देशों में भारतीय डाक्टरों की सेवाएं प्राप्त करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) विदेशों में भारतीय डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराने की शर्तें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अफगानिस्तान, फिजी, घना, गुयाना, ईरान, ईराक, जोर्डन, कीनिया, लिबिया, नाइजीरिया, ओम्मान, यमन लोक जनतंत्रीय गणराज्य, सोमालिया, सियरा लियोन, उगांडा, जाईर, जाम्बिया और जंजीवार ।

(ख) भारतीय डाक्टरों की सेवाएं भारतीय तकनीकी एंव आर्थिक सहयोग कार्यक्रम जैसी तकनीकी सहायता योजनाओं के अंतर्गत अथवा डाक्टर तथा विदेशी सरकार या संस्था के बीच निजी संविदा के आधार पर विदेशी सरकारों को सुलभ कराई जाती हैं । भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का जहां तक संम्बन्ध है, उनका खर्च भारत सरकार पूर्ण रूप से अथवा अंशिक रूप से (यह इस पर निर्भर करता है कि आतिथेय देश कितनी सुविधाएं प्रदान करने को तत्पर रहता है) इन मदों पर वहन करती है, जैसे वेतन, पूर्तिकारी विदेशी भत्ता, किरायां मुक्त आवास, शिशु शिक्षा भत्ता, डाक्टर तथा उसके परिवार के हकदार सदस्यों के आने जाने का खर्च, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, भारत आवासी प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के बच्चों के लिए आवकाश तथा छुट्टी में आने-जाने का प्रबन्ध ; ये सभी सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार किया जाता है । नियुक्ति वाले देश में वेतन पर आय कर नहीं लिया जाता ।

विदेशी सरकार अथवा संस्था के साथ डाक्टर के निजी संविदा के विषय में प्रतिनियुक्त व्यक्तियों पर सारा खर्च संबद्ध विदेश उन शर्तों पर वहन करता है जिनपर परस्पर सहमति हो गई हो ।

दोनों ही मामलों में डाक्टरों की सेवाएं आमतौर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए दी जाती हैं और वे सेन्ट्रल एस्टेबलिशमेंन्ट बोर्ड की स्वीकृति से पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार सेवा के डाक्टरों को अपने पदों पर ग्रहणधिकार रखने का अधिकार प्राप्त है और प्रतिनियुक्ति की अवधि को अवकाश मान लिया जाता है ।

प्रशिक्षणार्थी विमान चालकों के लिये जीवन बीमा आरम्भ करना

4026. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षणार्थी विमान चालकों के लिए जीवन बीमा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और(ख) उड़ान प्रशिक्षण अधीन फलाइन कैडेटों को मुत्यू एवं अपंगता के प्रति सरकार के खर्च पर उपयुक्त बीमा आवरण की व्यवस्था करने के एक प्रस्ताव का पहले अध्ययन किया गया था और वह व्यवहार्य नहीं पाया गया था । दुर्घटना में मारे गये फलाइन कैडेंट के नजदीकी संबंधी को मुआवजा देने के प्रश्न का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया है। ऐसे मामलों में इस बात का कोई परीक्षण किए बिना कि उसके आय के क्या साधन हैं अब तदर्थ

आधार पर 20,000 रुपये का अनुग्रह पूर्वक अनुदान दिया जा रहा है । वायुसेना के रैंकों में से लिए गए फलाइट कैडट के मामले में अन्य अर्मीनल हितों के अतिरिक्त 42,000 रुपए का अनुग्रहपूर्वक अनुदान ग्रहय है । यह प्रबंध पर्याप्त समझा जाता है ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र में 500 रुपये प्रति मास तक वेतन पाने वाले पदों के लिए स्थानीय लोगों की भर्ती

4027. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से दिये गये इन आश्वासनों को कि रुरकेला इस्पात संयंत्र में 500 रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जाये, रूरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों ने पालन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने लोगों को नियुक्त किया गया तथा उनमें कितने स्थानीय तथा कितने अन्य व्यक्ति थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियों के बारे में सरकार द्वारा घोषित भर्ती की नीति के अनुसार राउरकेला इस्पात कारखाने में रुपये 450 775 के वेतनमानों तथा इन से कम वेतनमानों के सभी पदों के लिए भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय की मार्फत की जाती है । स्थानीय अतिरिक्त दण्डनायक राउरकेला इस्पात कारखाने की भर्ती समिति के सहयोगी सदस्य हैं ।

(ख) कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के राज्यवार आंकड़े से अलग नहीं से रखे जाते हैं ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्तर

4028. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैडट कोर के स्तर में तेजी से गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार राष्ट्रीय कैडट कोर के स्तर में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाई कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जें० वी० पटनायक) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने पुणे विश्वविद्यालय के उप कुलपति डा० जी० एस० महाजनी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनायी है जो राष्ट्रीय कैडेट कोर योजना का उसके विशिष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्याकन करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उक्त योजना की विशेषता प्रभावकता तथा लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए परिवर्तनों की सिफारिशें करेगी । 1973 के अन्ततक समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर को राशन और युद्धोपकरणों की सप्लाई

4029. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर को घटिया किस्म के राशन और युद्धोपकरणों की सप्लाई की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में जांच की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार के गया और नवादा जिलों में कोयले की वितरण प्रणाली का पुनर्विलोकन

4030. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद बिहार के गया और नवादा जिलों के उपभोक्ताओं को नियमित और पर्याप्त मात्रा में कोयला प्राप्त नहीं हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वितरण प्रणाली का पुनर्विलोकन करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हाल ही के महीनों में सारे देश में बिजली घरों और इस्पात कारखानों, जिन्हें बैगनों के आबंटन में प्राथमिकता प्राप्त हैं, को कोयला की आवश्यकता में काफी वृद्धि होने के कारण, अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं को, विशेषकर जिन्हें रेल द्वारा कोयला मिलता है, कोयले की कमी का सामना करना पड़ा । सरकार को ऐसी किसी विशेष कठिनाई के बारे में मालूम नहीं है जिसका बिहार के गया और नवादा जिले के उपभोक्ताओं को सामना करना पड़ा हो ।

(ख) कोयला के संचालन में सुधार के लिए रेल विभाग और कोयला उत्पादकों द्वारा अनेक प्रयत्न किए जा रहें हैं और उनसे स्थिति में शनैं शनैं सुधार होने की सम्भावना है । कोयला परिवहन और वितरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए, जिससे विभिन्न उपभोक्ताओं को नियमित रूप से कोयला मिल सके, सरकार ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा 140 टन तरल धातु डाल कर "कास्टिंग," बनाया जाना

4031. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पुरूषोतम काकोडकर :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन 14-टन तरल धातु ढ़ालकर "कास्टिंग" बनाने का रिकार्ड स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो "कास्टिंग" का वजन कितना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने 146 मी० टन तरल धातु ढालकर पहली बार एक कास्टिंग बनाया है ।

(ख) फेटलिंग के पश्चात् कास्टिंग का बजन लगभग 75 मी० टन था जबकि पूर्णत : मशीन बन जाने के पश्चात् शुद्ध बजन 53 मी० टन था ।

परियोजनाओं की स्थापना में विलम्ब को कम करने में इस्पात बैंक की सहायता

4032. **श्री के० लकप्पा :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात बैंक ने परियोजनाओं की स्थापना में विलम्ब कम करने में सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्राथमिकता मांगों को पूरा करने और दुर्लभ इस्पात मदों को उपलब्ध कराने में भी सफल हुआ है ;

(ग) क्या बैंक का देश में स्टाक और वितरण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) विभिन्न प्रायोजना प्राधिकारियों ने इस्पात बैंक से इस्पात लिया है चूंकि इस्पात बैंक उपलब्ध स्टाक में से माल सप्लाई करता है इसलिए प्रायोजनाओं को पूरा करने में देरी में कमी होनी चाहिए ।

(ख) विदेशों में माल की उपलब्धि की कठिनाईयों के होते हुए भी इस्पात बैंक को कुछ हद तक सफलता मिली है ।

(ग) और (घ) इस समय इस्पात बैंक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कलकत्ता और बम्बई में बनाये गये गोदामों से माल दे रहा है । मद्रास विशाखापतनम तथा दिल्ली से भी माल देन का प्रस्ताव है ।

गत तीन महीनों में पूर्वी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन में भारी कमी

4033. श्री के० लकप्पा :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में पूर्वी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन में भारी कमी हुई है ; और

(ख) क्या सब प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं को इस्पात की सप्लाई जारी रहेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) स्टील एथारिटी आफ इंडिया लि० ने यह अनुमान लगाया है कि अप्रैल-जून, 1973 में पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी के कारण 5 मुख्य इस्पात कारखानों में लगभग 2 लाख टन विक्रय इस्पात के उत्पादन की हानि हुई है।

(ख) सभी प्राथमिकता-प्राप्त उपभोक्ताओं को इस्पात की सप्लाई जारी रखने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं ।

वर्ष 1971 से अब तक हुआ इस्पात का उत्पादन आयात और वितरण

4034. श्री रण बहादुर सिंह :
श्री मूलचन्द डागा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से अब तक वर्षवार इस्पात का उत्पादन कितना था और घरेलु और औद्योगिक प्रयोजनों के लिये, प्रतिवर्ष, राज्यवार इसका कितना-कितना वितरण किया गया ; और

(ख) वर्ष 1971 तक प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया गया और प्रतिवर्ष राज्यवार इसका कितना-कितना आवंटन किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्ष 1970–71 में तैयार साधारण इस्पात का उत्पादन 45 लाख टन, वर्ष, 1971–72 में 45 लाख टन तथा वर्ष 1972-73 में 55 लाख टन (अनुमानित) हुआ । इस्पात का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है।

(ख) वर्ष 1970-71 में 5.5 लाख टन, वर्ष 1971-72 में 10.9 लाख टन और 1972-73 (अप्रैल-दिसम्बर) में 7.3 लाख टन साधारण इस्पात का आयात किया गया । आयात किये गये इस्पात का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है ।

कोरबा एल्यूमिनियम और बोकारो इस्पात संयंत्रों के लिये रूस से विशेष इस्पात

4035. श्री रण बहादुर सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार भारत को कोरबा एल्यूमिनियम और बोकारों इस्पात संयंत्रों के निर्माण के लिए आवश्यक विशेष इस्पात देने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के लिए आवश्यक उक्त विशेष इस्पात की मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रस्ताव पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने कोरबा (मध्य प्रदेश) एल्यूमिनियम परियोजना के लिए विद्युत विश्लेषी पात्र बनाने हेतु 1973 के दौरान 3,000 टन विशेष इस्पात की पूर्ति के लिए रूस के साथ मई, 1973 में एक करार किया था । 4200 टन अतिरिक्त इस्पात की पूर्ति के लिए वार्ता जारी है । 7200 टन विशेष इस्पात की कुल लागत, कलकत्ता में लागत, बीमा और किराए को मिलाकर 115 लाख रुपए होने का अनुमान है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र की दूसरी इस्पात-गलन शाला के लिए ढांचों की गढ़ाई हेतु विशेष किस्म के इस्पात की 20,245 टन प्लेटों और ढ़ांचों जिनका देश में उत्पादन नहीं होता है, के आयात की आवश्यकता है । सोवियत संघ इस्पात की उपर्युक्त आवश्यकताओं की मई और सितम्बर, 1973 के दौरान पूर्ति करने हेतु हर संभव प्रयास के लिए सहमत हो गया है । 27 फरवरी, 1973 को बोकारो इस्पात संयंत्र लिमिटेड और रूसी संगठन प्रोमिजरिओइम्पोर्ट के मध्य एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। 20,245 टन विशेष इस्पात की विदेशी-विनिमय लागत 4.55 करोड़ रुपए होने की संभावना है ।

सेना इंजीनियरी सेवा में विभागीय तथा बाहरी उम्मीदवारों के लिये कोटे को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के विरुद्ध अभ्यावेदन

4036. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1951 से वरिष्ठता के लिए विभागीय तथा बाहरी उम्मीदवारों के कोटे को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के विरुद्ध सेना इंजीनियरी सेवा के सहायक कार्यकारी इंजीनियरों ने अभ्यावेदन दिये हैं ;

(ख) 1949 के नियमों में कोटा प्रणाली को 1962 तक लागू नहीं किया गया था और क्या उक्त प्रणाली पदोन्नत किये गये लोगों के कोटे में वृद्धि के लिये संघ लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद लागू नहीं की गई थी ;

(ग) क्या उक्त प्रणाली लागू करने से 1962 के बाहरी उम्मीदवारों को 1951 के उम्मीदवारों से वरिष्ठता प्राप्त हो जायेगी ; और

(घ) क्या उक्त कार्यवाही के कारण 20-25 वर्ष की सेवा वाले विभागीय पदोन्नत व्यक्ति वंचित रह जायेंगे ; और यदि हां, तो विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये सरकार की क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) से (घ) नियमों के लागू होने के पश्चात् वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कुछ वर्षों तक कोटा प्रणाली को अपनाया गया था ; लेकिन विभागीय व्यक्तियों की पदोन्नति का अधिक प्रतिशत देने के विचार से संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से 1959 और 1963 के बीच पदोन्नति के कोटे को बढ़ा दिया गया था । लेकिन आयोग ने 1963 के पश्चात् बढ़े हुए विभागीय कोटे को चालू रखने के लिये अपनी सहमति नहीं दी । नियमों में निर्धारित किये गए वरिष्ठता के नियमों के कारण पहले से पदोन्नत विभागीय अधिकारियों की अपेक्षा सीधी भर्ती वालों को कुछ लाभ होंगे क्योंकि उन्हें विभागीय अधिकारियों से वरिष्ठ समझा जाएगा । इस सीमा तक विभागीय अधिकारियों को केवल सहायक कार्यकारी इंजीनियर के ग्रेड में की गई सेवा को वरिष्ठता से वंचित किया जायेगा ; लेकिन सेना इंजीनियरी सेवा में कोटा प्रणाली के लागू किये जाने से ऐसी स्थिति स्वाभाविक है ।

सेना इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी एक (भर्ती, पदोन्नति, और वरिष्ठता) नियम, 1949 के उपबंध

4037. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना इंजीनियरी सेवा-श्रेणी एक (भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता) नियम 1949 में विभागीय और बाहर से उम्मीदवारों के कोटे की व्यवस्था है ;

(ख) क्या अनुबंध पांच, जिसके अन्तर्गत उक्त कोटे की व्यवस्था है, का नियमों में उल्लेख नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन परिस्थितियों में कोटा प्रणाली लागू करने के बारे में कानूनी तौर से न्यायोचित है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त कोटा नियमों में निर्धारित है और इसका प्रयोग विधितः ठीक है । नियमावली के परिशिष्ट 5 में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि कोटा प्रणाली को कैसे विनियमित करना है । यद्यपि नियमावली में इसका विशेष तौर पर वर्णन नहीं है तो भी परिशिष्ट नियमावली का एक अभिन्न अंग है ।

निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के लिये मजूरी बोर्ड

4038. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) मजूरी बोर्ड के न होते हुए और इन मजदूरों की मजूरी और भत्ते बढ़ाने के बारे में और क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) निर्माण श्रमिकों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) न्यूनतम मजूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों की मजूरी-दरें निश्चित की जाती हैं । अधिनियम में उपयुक्त अन्तरालों के पश्चात् उचित सरकार द्वारा मजूरी दरों के संशोधन की व्यवस्था है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, निर्माण श्रमिकों की मजूरी दरें पिछली बार 25-4-1973 को संशोधित की गई थीं।

बिहार में रांची रोड स्थित मैसर्स आसाम सिलीमनाइट फैक्टरी का बन्द हो जाना

4039. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में रांची रोड स्थित मैसर्स आसाम सिलीमनाइट कारखाना काफी समय से बन्द पड़ा है ;

(ख) क्या उक्त कारखाने में वित्तीय संबंधी कदाचार के गम्भीर मामले हुए हैं ;

(ग) क्या विदेशों से आयात की गई उपयोगी और कीमती मशीनें या तो काले बाजार में बेच दी गई हैं अथवा बम्बई और अन्य भागों में पड़ी हैं ;

(घ) क्या उक्त कारखाने के मज़दूरों ने सरकार द्वारा इस कारखाने को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) और (ङ) सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार के हजारी बाग जिले से रामगढ़ में स्थित (मैसर्स आसाम सिलिमेनाइट लि० का) ऊष्मसह कारखाना 28 जून, 1972 को बन्द कर दिया गया था । कारखाने की विभिन्न इकाइयों का निर्माण/स्थापन कार्य पूर्ण नहीं हुआ था तथा कुछ आवश्यक उपकरण कई वर्षों से कलकत्ता बन्दरगाह पर पड़े हुए थे । बन्दरगाह के प्राधिकारियों ने बन्दरगाह को देय रकमों की अदायगी न करने के कारण इनमें से कुछ उपस्करों को नीलाम कर दिया था कंम्पनी की वित्तीय स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी । सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 ए० ए० के अधीन दिनांक 2 नवम्बर, 1972 को एक अधिसूचना जारी करके ऊष्मसह कारखाने का प्रबन्ध 3 वर्ष के लिए अपने हाथ में लिया था । इस अवधि के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि० को ऊष्मसह कारखाने का प्रबन्ध चलाने के लिए प्रधिकृत किया गया है ।

(घ) जी हां ।

ट्रक के चेसिस के मूल्य में वृद्धि

4040. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रक, विशेष रूप से टाटा मरसडीज बेंज और अशोक लेलेंड के चेसिस के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सरकार का संबंध ट्रकों के बढ़े हुए मल्यों से रहा है इस लिए औद्योगिक मूल्य और लागत व्यूरो से कहा है कि वह वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण लाने वाले सभी एककों के मूल्यों की जांच करे और उनके लिए उचित बिक्री मूल्यों की सिफारिश करे।

Survey Conducted by Geological Survey of M.P. for Zinc, Copper and Oil Wells

4041. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to State:

(a) whether any survey was conducted by the Geological Survey in the areas of Madhya Pradesh, where rich deposits of zinc and copper and a large number of oil wells are available; and

(b) if not, whether his Ministry proposes to conduct a geological survey there?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Preliminary investigations for locating deposits of copper, lead and zinc ores were conducted and are also being carried out by the Geological Survey of India in different areas of Madhya Pradesh. A big deposit of Copper has been located at Malanjkhand, Balaghat District having a reserve of 50 million tonnes with 1.37 per cent copper. So far no deposit of Zinc Ore is located in Madhya Pradesh. Occurrence of oil wells is also not known in areas from Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

Production of Coal from Kusumanda area of Korba (Madhya Pradesh)

4042. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether in regard to Korba (Madhya Pradesh), the N.C.D.C. has informed that the production of coal from Kusumanda area could be 0.8 million tonnes by 1976-77, which together with the production of 2.4 million tonnes from existing mines, were to make a total of 3.2 million tonnes;

(b) whether the programme of increasing coal production as indicated by the N.C.D.C. has been considered to be adequate for the proposed additional generation of electricity in Korba by the Madhya Pradesh Electricity Board; and

(c) whether Government propose to take steps to go ahead with the programme?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (c) Yes, Sir.

Setting up of a Low Temperature Coal Carbonisation Plant in Public Sector in Sarguja District (M.P.)

4043. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether at the instance of the Madhya Pradesh Government, the Central Fuel Research Institute, Jealgora made a study of bukit okaht system and it has become clear from the feasibility report prepared on the utility of Katcona collieries that the L.T.C. coal produced from Katcona collieries is of good quality and it could be utilised not only in the form of smokeless cooking fuel, but could also be useful for other industrial purposes particularly in the manufacture of ferro alloy;

(b) whether setting up a Low Temperature Coal Carbonisation Plant in public sector in Sarguja District is proposed to be examined by the Ministry of Steel and Mines; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन में घाटे की स्थिति को ठीक करने के लिये कदम

4044. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बिलेटिड बिड टू मेक अप लासिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां :

(ख) तथ्यों और उनके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है :

(1) एक विशेषज्ञ समिति ने नैवेली में लिग्नाइट खान की कार्यप्रणाली तथा उत्पादन में कमी की जांच की तथा मार्च, 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। विगत वर्षों में निगम को हुई हानि का मुख्य कारण खनन कार्य से संबद्ध अनेक तकनीकी समस्याओं, जिनमें हार्ड कुड़डालोर सैण्ड स्टोन के अधिक भार की समस्यायें सम्मिलित ह, के फल-स्वरूप, लिग्नाइट उत्पादन का निम्नतर स्तर था । उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से समिति द्वारा अनेक अनुशंसाएं की गई थी।

(2) नैवेली लिग्नाइट खान की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 36 लाख टन प्रति-वर्ष है। पहले चरण में लिग्नाइट के उत्पादन को 1975-76 तक 45 लाख टन तक बढ़ाने की योजना है जिसके लिए 11.62 करोड़ रुपए के सहायक उपस्करों, जिनमें प्रतिस्थापन उपस्कर शामिल हैं, खरीदे जा रहे हैं।

(3) अनुमान है कि उपभोक्ता इकाइयों अर्थात् ताप-बिजली घर, ब्रिकेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र को चलाने तथा प्रोसेस वाष्प संयंत्र को चलाने के लिए लगभग 60 से 65 लाख टन तक लिग्नाइट की आवश्यकता होगी। तदनुसार विशिष्ट खनन उपस्करों के लिए 36 करोड़ रुपए के निवेश से लिग्नाइट की उत्पादन क्षमता 45 लाख टन से बढ़ाकर 65 लाख टन प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव पर भी सरकार सक्रिय विचार कर रही है। उक्त उत्पादन स्तर पर परियोजना के व्यवहार्य होने की संभावना है ।

(4) नैवेली बिजली संयंत्र की उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है परन्तु सीमित मात्रा में लिग्नाइट मिलने के कारण, लगभग 50 प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी हुई है। अनप्रयुक्त क्षमता और दक्षिणी क्षेत्र में, विशेषकर तमिलनाडु में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए, सरकार ने नैवेली बिजली संयंत्र की 50 मेगावाट के दो एककों को तब तक तेल द्वारा चलाए जाने का निर्णय किया है जबतक कि नैवेली लिग्नाइट खान से पर्याप्त मात्रा में लिग्नाइट उपलब्ध नहीं हो जाता। आशा है कि तेल द्वारा चलाई जाने वाली दोनों एकक क्रमशः 1 अप्रैल, 1974 और 1 जून, 1974 से चालू हो जाएंगी ।

(5) संचालन की वर्तमान स्थितियों में उर्वरक संयंत्र की अधिकतम वसूली क्षमता, उसकी 1,52,000 टन प्रतिवर्ष की निर्धारित क्षमता की अपेक्षा 90,000 से 1,00,000 टन आंकी गई है। हाल ही में भारतीय उर्वरक निगम ने यूरिया के उत्पादन को 1,52,000 टन प्रतिवर्ष करने की दृष्टि से, उर्वरक संयंत्र में गैस उत्पादन हेतु लिग्नाइट के बदले ईंधन तेल के प्रतिस्थापन के लिए नैवेली लिग्नाइट निगम को प्रोद्योगिकी-आर्थिक अध्ययन किया है। उपर्युक्त रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(6) निगम को हानि का मुख्य कारण कम उत्पादन है जिससे उत्पाद की प्रति इकाई स्थायी लागत में वृद्धि हो जाती है, और साथ ही उत्पादन लागत की तुलना में उत्पादों के विक्रय मूल्य का कम होना भी इसका एक कारण है। नैवेली बिजली संयंत्र से बिजली का विक्रय मूल्य मार्च, 1972 तक केवल 5.9 पैसे प्रति इकाई था। निगम ने अब तमिल नाडु बिजली बोर्ड के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अन्तर्गत उसे 1-4-73 से 8.29 पैसे प्रति ईकाई मूल्य मिलने लगा है। निगम ने लागतों में सामान्य वृद्धि हो जाने के कारण कार्बनीकृत ईंटों (लेको) के मूल्य में भी वृद्धि कर दी है।

(7) निगम के वित्तीय संसाधनों में सुधार की दृष्टि से पूंजी ढांचे के पुनर्गठन का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

(8) 1000 मेघावाट के नए बिजली घर में विद्युत उत्पादन हेतु 70 लाख टन लिग्नाइट के उत्पादन के लिए खान में दूसरे स्थान से भी खुदाई के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

मिश्रित इस्पात तथा विशेष इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

4045. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिश्रित इस्पात तथा विशेष इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ताकि उनके आयात को कम किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) मिश्रित तथा विशेष इस्पात की वर्तमान मांग लगभग 4 लाख टन प्रतिवर्ष है। इतनी ही मात्रा में इसका उत्पादन भी हो रहा है यद्यपि कुछ श्रेणियों की कुछ कमी अवश्य है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विशेष इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय किये जा रहे हैं। इनमें सेलम में 1,95,000 टन विशेष इस्पात की चादरें तथा स्ट्रिप के उत्पादन की वार्षिक क्षमता के विशेष इस्पात का एक कारखाना लगाना तथा मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड भद्रावती द्वारा तथा विशेष इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करना सम्मिलित हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कुछ इकाइयों की क्षमता में भी कुछ वृद्धि की जानी है।

पारस्परिक सहयोग के लिये भारत तथा अफगानिस्तान के बीच प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान

4046. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान सरकार कतिपय कार्य-क्षेत्रों में भारत की सहायता लेने को उत्सुक हैं; और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ख) क्या इस संबंध में प्रतिनिधि मण्डलों का कोई आदान-प्रदान होने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। सरकार यह विश्वास करती है कि अफ़गानिस्तान भारत के साथ सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक सभी क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करने का इच्छुक है ।

(ख) प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षणार्थियों का आना-जाना आरम्भ हो गया है और वर्तमान भारत-अफगान संयुक्त आर्थिक, व्यापार तथा तकनीकी सहयोग कमीशन और भारत-अफगान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक संख्या में लोग आएं-जाएंगे।

मद्रास शहर में कर्मचारी वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का कथित गलत संकलन

4047. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संघ के संगठनों ने मद्रास शहर में कर्मचारी वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के गलत संकलन की गंभीर आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य सूचकांक के संकलन में गलतियों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) मद्रास के सम्बन्ध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में इस मंत्रालय जिसमें श्रम ब्यूरो शामिल है जोकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन से सम्बंधित है, की कोई आलोचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ बड़े देशों द्वारा किये गये परमाणु परीक्षण

4048. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ बड़े देशों में व्याप्त परमाणु परीक्षण करने की हाल ही की मनोवृत्ति के फलस्वरूप विश्व के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने एक बार फिर उक्त परीक्षण करने आरम्भ कर दिये हैं ;

(ग) क्या भारत ने इन परीक्षणों के बारे में विरोध प्रकट किया है; और

(घ) क्या कुछ देशों ने यह प्रश्न विश्व न्यायालय में भी उठाया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) आणविक अस्त्रों के लगातार परीक्षण से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है, शस्त्रास्त्रों की होड़ बढ़ जाती है, मानवीय पर्यावरण को भारी खतरा पैदा हो जाता है, मानव की वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए ख़तरा पैदा हो जाता है, और आणविक-युद्ध छिड़ने का ख़तरा बढ़ जाता है ;

(ख) जो देश आणविक अस्त्रों के परीक्षण करते जा रहे हैं, वे हैं—अमरीका, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन लोक गणराज्य ।

(ग) भारत सरकार किसी भी जगह, किसी भी पर्यावरण में तथा किसी भी देश द्वारा किए गए आणविक अस्त्रों के परीक्षणों का बराबर विरोध करती रही है। सरकार को यह सैद्धांतिक स्थिति सर्वविदित है तथा इसे कई बार दुहराया भी गया है।

(घ) जी, हां। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और फिजी ने फ्रांस द्वारा प्रशांत महासागर में आणविक अस्त्रों के परीक्षण का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया है ।

जुलाई, 1973 में इटली से एक प्रतिनिधि मंडल का दौरा

4049. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इटली के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए कार्यवाही की है ;

(ख) क्या दोनों देशों ने विश्व में शांति के लिए मिलकर कार्य करना स्वीकार किया है ; और

(ग) क्या इटली से एक प्रतिनिधि मण्डल ने जुलाई, 1973 में भारत का दौरा किया था; और यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधि मण्डल के साथ किन-किन बातों पर समझौता हुआ है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत और इटली के बीच संबंध सदा अच्छे रहे हैं और अब भी सोहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण हैं।

(ख) शान्ति और मित्रता की अपनी नीति के अनुपालन में भारत सभी समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर शांति और सहयोग के लिए प्रयत्न करता जा रहा है।

(ग) जी नहीं ।

एस० ए० आई० एल० के ढांचे को सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग पर लागू करना

4050. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० ए० आई० एल० के ढांचे को देश में सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग पर लागू किया जायेगा ।

(ख) यदि हां तो क्या होलडिंग कंपनी का कोई अन्य विकल्प निकाला जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) इस समय भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग में एस०ए०आई०एल० के ढांचे को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी उपक्रम अथवा उद्योग के क्षेत्र का संगठनात्मक ढांचा अपने वैयक्तिक विकास ढांचे तथा समस्याओं से प्राप्त किया जाता है। भारी उद्योग मंत्रालय ऐसे संगठनात्मक ढांचे को जो निर्धारित समय पर अधिकतम प्रबधकीय तथा कुशल निवेश के लिए आवश्यक है, चालू करेगा ।

इन्वेस्टीगेटर ग्रेड-2 की भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया

4051. **श्री बसन्त साठे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्वेस्टीगेटर ग्रेड-2 की भर्ती के लिए श्रम ब्यूरो की भर्ती समिति पैनल सारे भारत का दौरा करती है जबकि अन्य मंत्रालयों/विभागों में ऐसे ही पदों पर भर्ती केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से विज्ञापन देकर की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो भर्ती की इस प्रक्रिया का क्या औचित्य है, गत तीन वर्षों में उपरोक्त भर्ती समिति (पैनल) ने विभिन्न अवसरों पर कितने स्थानों का दौरा किया, उन दौरों पर कितनी राशि खर्च हुई और ऐसे प्रत्येक केन्द्र से कितने अभ्यार्थियों का चयन किया गया ;

(ग) क्या लम्बे, दौरे करने पर भी असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु, आन्ध्र, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात तथा काश्मीर से चुने गये अभ्यार्थियों की संख्या या तो कुछ भी नहीं है या अपेक्षाकृत अत्यन्त अपर्याप्त है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस ब्यूरो की संचालन/क्षेत्रीय कार्यकुशलता के हित में विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यार्थियों के उचित प्रतिनिधियों का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से इस विभाग की भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया को न्यायोचित बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी हां। तथापि, श्रम ब्यूरो उम्मीदवारों के सभी नाम केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्राप्त करता है।

(ख) सारे भारत के दूर-दूर के स्थानों से साक्षातकार हेतु शिमला आने में पढ़े लिखे बेरोजगार उम्मीदवारों को होने वाली शारीरिक और वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, श्रम ब्यूरों की चयन समिति चुने हुए स्थानों पर उम्मीदवारों से साक्षात्कार करने के लिए जाती है। चयन समिति के दौरों पर हुए व्यय और सम्बन्धित केन्द्रों से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) उम्मीदवारों का चयन रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए नामों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार किसी राज्य में से चुने हुए उम्मीदवारों की संख्या सामान्यतः उस राज्य के उम्मीदवारों की रोजगार कार्यालयों में हुए पंजीकरण और उन पंजीकृत उम्मीदवारों में से उम्मीदवारों की उपयुक्तता और उनके किसी केन्द्र विशेष पर उपलब्ध होने की सीमा पर निर्भर करेगी। ये बातें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होंगी।

(घ) केन्द्रीय रोजगार कार्यलय से विशेष रूप से पहले अनुरोध किया जा रहा है कि वह ऐसे राज्यों के उम्मीदवारों के नाम भेजे जिनको पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

विवरण

गत तीन वर्षों (1970-72) में विभिन्न केन्द्रों से चुने गये उम्मीदवारों (अन्वेषक ग्रेड-2) की संख्या :

केन्द्र का नाम	राज्य का नाम	चुने गये उम्मीदवारों की संख्या
त्रिवेन्द्रम	केरल	15
मद्रास	तमिलनाडु	7
जयपुर	राजस्थान	3
खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	10
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	6
जम्मू	जम्मू और कश्मीर	2
बड़ौदा	गुजरात	1
शिमला	हिमाचल प्रदेश	15
	योग	59

गत तीन वर्षों (1970-72) में चयन समिति के दौरों पर हुआ खर्च .....8930.71 रु०

कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु इकानामिक इनवैस्टीगेटर्स ग्रेड-1 तथा 2 को प्रशिक्षण

4052. **श्री बसन्त साठे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इकानामिक इनवैस्टीगेटर्स ग्रेड-2 तथा 1 में क्षेत्रीय स्तर के तकनीकी कर्मचारियों को योजना आयोग तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और फील्ड स्टाफ को नवीनतम ज्ञान उपलब्ध कराने और उनकी कार्य संचालन क्षमता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या पत्रकारिता में इंडियन लेवर जनरल से सम्बद्ध तकनीकी कर्मचारियों को, उनकी कार्य-कुशलता में सुधार करने के लिए, प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा निकाली जाने वाली अन्य पत्रिकाओं के प्रकाशन स्तर में सुधार करने के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

रक्षा मंत्री की ब्रिटेन यात्रा

4053. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष रक्षा मंत्री की ब्रिटेन यात्रा को कोई सफलता प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार अन्य देशों से भी शस्त्रास्त्र के लिए अनुरोध कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) **रक्षा** मंत्री द्वारा जुलाई, 1973 में ब्रिटेन का दौरा करने का उद्देश्य ब्रिटिश नेताओं के साथ पारस्परिक हित की बातों पर विचार-विमर्श करना था। बातचीत लाभदायक रही ।

(ख) भारत सरकार शस्त्रास्त्रों की सहायता के लिए किसी देश से अनुरोध नहीं कर रही है ।

कोयला संसाधनों का उपयोग करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों के परिरक्षण पर जोर

4055. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय ने योजना आयोग से कहा है कि वह पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला संसाधनों के उपयोग तथा पैट्रोलियम-उत्पादों के परिरक्षण पर जोर दें ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : सरकार की नीति देशी कोयला संसाधनों के समुपयोजन और पैट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण पर जोर देने की रही है। कोयला उद्योग के विकास के लिए इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए पांचवीं योजना के प्रस्ताव, अन्य बातों के साथ-साथ, इसी सिद्धांत पर आधारित है।

लौह अयस्क खनन उद्योग में कम माल उठाये जाने के कारण संकट की स्थिति

4056. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 जुलाई, 1973 के "इकोनोमिक टाइम्स" (बम्बई) में "आयरन और माईनिंग यूनिट्स फेस क्राइसिस" शीर्षक से प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार-उड़ीसा बेहट में बाराजामदा क्षेत्र तथा मैसूर में बेल्लारी-हास्पेट क्षेत्र में लौह अयस्क खनन उद्योगों में कम माल उठाये जाने के कारण संकट की स्थिति पैदा हो गई है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड बाराजामदा तथा बेल्लारी-हास्पेट क्षेत्र से निर्यात के लिए अधिकाधिक मात्रा में लौह खनिज प्राप्त करने के लिए हर कोशिश कर रही है। वर्ष 1972-73 में 105.7 लाख टन के वास्तविक निर्यात की तुलना में चालू वर्ष में खनिज तथा धातु व्यापार निगम में 150 लाख टन खनिज 23 प्रतिशत अधिक लौह खनिज का निर्यात करने की योजना बनाई है।

सशस्त्र सेनाओं के लिये विमानों की आवश्यकता

4057. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात की स्थिति के समय बेहतर सक्रियता तथा शीघ्र तैनाती को सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र सेनाओं को बड़ी संख्या में परिवहन विमानों तथा हैलीकाप्टरों के एक बड़े फ्लीट की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सशस्त्र सेनाओं को पर्याप्त संख्या में परिवहन विमान तथा हैलीकाप्टर उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) सशस्त्र सेनाओं को आवश्यकताओं के अनुसार परिवहन विमान और हैलीकाप्टरों को यथा समय स्वदेशी उत्पादन और जहां आवश्यक हो आयात के माध्यम से सुसज्जित करने के लिए दीर्घकालीन कदम उठाए जा रहे हैं। आयात समय में वायुसेना की नियमित क्षमता सिविल विमान के उपयोग द्वारा और बढ़ा ली जाती है।

व्यापार के विस्तार के लिये नार्वे के साथ संयुक्त आयोग

4058. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार नार्वे और भारत के मध्य व्यापार का विस्तार करने के लिए नार्वे के साथ एक संयुक्त आयोग गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और) (ख) व्यापार संबंध बढ़ाने के उपाय एवं तरीकों पर भारत सरकार और नार्वे सरकार के बीच बातचीत चल रही है।

मजदूर संघ अधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों का भारत द्वारा अनुसमर्थन

4059. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघ अधिकारों के बारे में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों (आई० एल० ओ०) का भारत ने अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन अभिसमयों का अनुसमर्थन अभी किया जाना है ; और

(ग) इन का अनुसमर्थन करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटास्वामी) : (क) और (ख) इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 5 अभिसमयों में से एक भारत पर लागू नहीं होता, एक का अनुसमर्थन कर दिया गया है और शेष तीन का अनुसमर्थन भारत ने अभी तक नहीं किया है। ये तीन हैं: संघ बनाने की स्वतन्त्रता और संघठित करने के हक के संरक्षण सम्बन्धी 1948 का अभिसमय संख्या 87 संघठित करने और सामूहिक रूप से सौदाकारी करने के हक के सिद्धान्तों की प्रयोज्यता सम्बन्धी 1949 का अभिसमय संख्या 98 ; और उपक्रम में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रदान किये जाने वाले संरक्षण और दी जाने वाली सुविधाओं सम्बन्धी 1971 का अभिसमय संख्या, 135.

(ग) अभिसमय संख्या 87, 98 और 135 में समाविष्ट मूल सिद्धान्तों का सिद्धान्त रूप से अनुपालन किया जा रहा है । तथापि कतिपय प्रशासनिक और तकनीकी कठिनाइयों के कारण भारत के लिये इनका अनुसमर्थन कर सकना सम्भव नहीं हो पाया है।

पांचवीं योजना अवधि में श्रमिकों के लिये विश्राम व गृह तथा अवकाश शिविरों की स्थापना

4060. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवी योजना अवधि में श्रमिकों के लिए विश्राम गृह तथा अवकाश शिविरों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटास्वामी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

भारतीय सेना की सप्लाई, भण्डाकरण तथा वितरण सम्बन्धी नीतियां

4061. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फील्ड मार्शल मानेकशा ने कुछ समय पूर्व भारतीय सेना की सप्लाई, भण्डाकरण तथा वितरण सम्बन्धी नीतियों को बहुत ही पुराना बताया था ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय सेना में कालातीत हुई संगठनात्मक तथा सैनिक गतिविधि प्रकियाओं में परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सेना द्वारा कौन सी नई प्रक्रियायें अपनाई गई हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) फील्ड मार्शल मानेकशा का इस प्रकार का कोई भी वक्तव्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है। शायद माननीय सदस्य फील्ड मार्शल की उस टिप्पणी की ओर संकेत कर रहे हैं जो सैनिक समाचार में दिनांक 14 जनवरी, 1973 को प्रकाशित हुई थी

तथा जिसमें यह कहा गया था कि आर्मड कोर, आर्टीलरी तथा इन्फेन्टरी में काफी पुनर्गठन कार्य किया जा रहा है जिससे वह अधिक लागत अनुसार बन सके। परिवर्तन की आवश्यकता बताते हुए फील्ड मार्शल ने कहा था कि "जैसे यह आवश्यक नहीं है कि जो किचनर के समय में अच्छा था वह आज भी अच्छा हो"।

व्यवस्था, स्टाकिंग तथा पूर्ति के सम्बन्ध में प्रक्रिया का लगातार पुनरीक्षण होता रहता है तथा जहां आवश्यक होता है परिवर्तन किए जाते हैं जिससे कि साधनों का और अधिक अच्छा उपयोग किया जा सके। रक्षा मंत्रालय की 1972-73 की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 3 में रक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रबन्ध तकनीक को अपनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं बताए गए हैं।

ग्यारह देशों के व्यापार संघीय संगठनों द्वारा अल्जीयर्स में होने वाली गुटों से अलग रहने वाले देशों की शिखर बैठक में प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया दस्तावेज

4062. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटों से अलग रहने वाले ग्यारह देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के राष्ट्रीय संघीय संगठनों ने अल्जीयर्स में होने वाली गुटों से अलग रहने वाले देशों की शिखर-बैठक में प्रस्तुत करने हेतु एक मसौदा-दस्तावेज तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मसौदा-दस्तावेज की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) मसौदा तैयार करने वाले व्यापार संघीय संगठनों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत सहित, गुट-निरपेक्ष दस देशों के 11 मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने जुलाई, 1973 में बेलग्राद में एक बैठक की और एक घोषणा-प्रारूप तैयार किया।

(ख) प्रारूप की प्रमुख बातें, जिनकी सरकार को जानकारी दी गई है, संक्षेप में निम्नलिखित है :—

(1) गुट-निरपेक्षता की नीति, दुनिया भर की जनता की शांति, स्वतंत्रता, प्रगति और सम्पन्नता संबंधी मूल आकांक्षाओं की सतत अभिव्यक्ति है ;

(2) मजदूर संघ अन्य प्रगतिशील शक्तियों के साथ मिलकर विश्व की वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि मानवीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शस्त्रास्त्र एवं धन निर्णायक तत्व न रहें ;

(3) दुनियां का मजदूर वर्ग सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर आधारित शांति और सह अस्तित्व में रुचि रखता है ;

(4) साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद मनुष्यों और राष्ट्रों के बीच स्वतंत्रता शांति और प्रजातंत्री संबंधों के मार्ग में मुख्य रोड़े हैं ;

(5) इस घोषणा में हिन्द चीन में आक्रमणकारी सैन्य संचालनों की निंदा की गई है और पेरिस-समझौते का कठोरतापूर्वक पालन करने पर जोर दिया गया है।

(6) मध्यपूर्व की स्थिति शांति के लिए खतरनाक है और अरब देशों को, 1967 में इजरायली आक्रमण के दौरान अधिकृत क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए उनके न्यायोचित संघर्ष में पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए।

(7) मजदूर संगठन, अंगोला, मोजाम्बीक, गिनी, बिसाऊ तथा केप वर्डे, जिम्बाबवे, नाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका आदि की जनता के शोषण और स्वतंत्रता न दिए जाने की भी निन्दा करते हैं।

(8) मजदूर संगठन, सभी देशों की विशेषकर विकासशील देशों की आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाने और प्रगति के लिए उनके संघर्ष को प्रोत्साहन एवं समर्थन देते रहेंगे और उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते रहेंगे।

(ग) सरकारी सूचना के अनुसार इस बैठक में श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, एम० पी० (इन्टक के उपाध्यक्ष) और श्री महेश देसाई (एच० एम० एस०) के महासचिव, ने भाग लिया।

1971 के मध्यावधि चुनाव के उपरान्त की व्यवस्था में विदेश मंत्री की शक्तियां और कृत्य

4063. **श्री मधु लिमये :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1971 के मध्यवधि चुनाव के उपरान्त की व्यवस्था में विदेश मंत्री की शक्तियां तथा कृत्य क्या-क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मध्यावधि चुनाव से पहले की तरह अब भी विदेश मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। और उनका दर्जा मंत्रिमंडल के मंत्री का है। नागालैंड राज्य से संबंधित मामले छोड़कर, जो अब गृहमंत्री के विभाग का हिस्सा हो गया है, उनके विभाग के विषय भी वही हैं।

फिरोजाबाद ग्लास फैक्टरी और लघु उद्योगों को कोयले की सप्लाई न मिलना

4064. **श्री मधु लिमये :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली है कि फिरोजाबाद ग्लास फैक्टरी और लघु उद्योगों को कोयला नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या मूल्य वृद्धि और 'सौफ्ट कोक' न मिलने के बारे में उपभोक्ताओं से भी ऐसी ही शिकायतें मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपचारी कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे और कोयला खान प्राधिकरण द्वारा कोयला आपूर्ति का सामान्य कोटा पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) रेल विभाग घरेलू प्रयोग के लिए सोफ्ट कोक और लघु उद्योगों आदि के लिए कोयले पहुंचाने हेतु और अधिक वैगन उपलब्ध करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। कोयला/सोफ्ट कोक

की ब्लाक रेकों में ढुलाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सड़क द्वारा ढुलाई के लिए ट्रकों में दिन-रात लदान करने की खुली छूट है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को कोयले की कीमत में बढ़ोतरी को रोकने के लिए जहां कहीं आवश्यकता हो, तो अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कोयले के परिवहन और वितरण की समस्याओं का निवारण करने हेतु हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

विभिन्न उद्योगों में दी जाने वाली न्यूनतम मजूरी में असमानता

4065. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात, वस्त्र, जूट, सीमेंट और चीनी उद्योगों में दी जाने वाली वर्तमान न्यूनतम मजूरी अलग-अलग क्या है ; और

(ख) इस भारी असमानता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) मजूरी-दरें प्रत्येक उद्योग की भुगतान की क्षमता एवं अन्य संबंधित परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं और इसलिए वे समान नहीं होती।

विवरण

क्रमांक	उद्योग का नाम	वर्तमान विद्यमान न्यूनतम मजूरी दर
1.	इस्पात	मजूरी दरें एक द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत निश्चित् की गईं; जिसमें 1-9-1970 से कुल मिलाकर 240 रुपये की मजूरी की व्यवस्था की गई। साथ में यह व्यवस्था है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उ० मू० सू०) की गति के अनुसार आगे समंजन किया जा सकता है।
2.	कपड़ा (सूती)	विभिन्न केन्द्रों में अक्तूबर 1972 में मजूरियां 200 रुपये से 265 रुपये तक थीं।
3.	जूट	मजूरी-दरें एक द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत् निश्चित की गई, जिसमें 15-4-1972 से 235 रुपये की कुल मजूरी की व्यवस्था की गई। साथ में यह व्यवस्था है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार इसमें आगे समंजन किया जा सकता है।
4.	सीमेंन्ट	सीमेंट उद्योग संबंधी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजूरियां को विनियमित किया जाता है। इस बोर्ड ने 13-2-1968 से 190 रुपये प्रति माह की कुल न्यूनतम मजूरी की सिफारिश की थी। साथ में यह व्यवस्था थी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति

के अनुसार आगे समंजन हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, 1-6-1972 से 25 रुपये प्रति माह की अन्तरीम सहायता देय है।

5. चीनी — चीनी उद्योग संबंधी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजूरियां देय है। इस बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में 1-11-1969 से प्रति माह 137.58 रु० से 61.58 रु० तक की कुल न्यूनतम मजूरी की सिफारिश की थी। साथ में यह व्यवस्था भी की उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की गति के अनुसार आगे समंजन किया जा सकता है।

वर्ष 1973 के दौरान श्रमिक विवाद और अशान्ति

4067. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और 1972 की तुलना में जनवरी 1973 तक बहुत अधिक श्रमिक विवाद हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) उपलब्ध सूचनानुसार, जनवरी-अप्रैल, 1973 की अवधि के दौरान तथा 1972 और 1971 में तदनुरूपी अवधि में औद्योगिक विवादों की संख्या और नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

अवधि	औद्योगिक विवादों की संख्या	नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या
1	2	3
(i) जनवरी-अप्रैल, 1973 (अनंतिम) .	869	4,103,826
(ii) जनवरी-अप्रैल, 1972 (अनंतिम) . . .	1,051	6,028,095
(iii) जनवरी-अप्रैल, 1971	964	5,803,841

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1966 में स्थापित किये गये कृषि श्रमिक सेल का समाप्त किया जाना

4068. श्री झारखण्डे राय : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 1966 में कृषि-श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु स्थापित किया गया कृषि श्रमिक सेल मार्च 1973 में समाप्त कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सेल को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख). 1-3-1971 को उस कृषिकक्ष को तोड़ समाप्त कर दिया गया था, जिसका गठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय में

गठित कृषि-श्रम संबंधी समन्वय समिति को सचिवालय सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करने हेतु किया गया था क्योंकि 1968 में इसके बावजूद समन्वय समिति आगे बढ़ने में समर्थ थी।

हिन्द महासागर में अमरीकी, ब्रिटिश और इरानी अतिक्रमण के कारण भारत की सुरक्षा और समुद्री मार्ग से व्यापार को उत्पन्न खतरा

4069. **श्री झारखण्डे राय :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्द महासागर में अमरीकी नौसैनिक जहाजों के बढ़ते हुए अतिक्रमण तथा महासागर द्वीपों में अमरीकी और ब्रिटेन द्वारा नौसेना और वायु सेना के बहुत से सर्विसिंग स्टेशनों के निर्माण तथा अमरीका की बहुत अधिक सहायता से फारस की खाड़ी में इरान की स्थल सेना और नौसेना को मजबूत किए जाने से भारत की सुरक्षा और विशेषकर समुद्री मार्ग से भारतीय व्यापार को काफी खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन खतरनाक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) क्या हिन्द महासागर में विदेशी शक्तियां की नौसैनिक कार्यवाहियों से हमारी सुरक्षा को कोई गम्भीर खतरा उत्पन्न होता है या नहीं, यह सम्बन्धित देशों के राजनीतिक व्यवहार और उनके हमारे साथ सम्बन्धों पर निर्भर करता है।

(ख) देश की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं और समय-समय पर स्थिति का पुनरीक्षण किया जाता है।

मेंगनीज उद्योग में रोजगार की क्षमता

4070. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 13 जुलाई 1973 के बम्बई के "फिनाशियल एक्सप्रैस" में प्राबलम आफ 'अनएम्पलायमेंट एण्ड मेंगनीज इंडस्ट्री' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर सम्बन्धित मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

Construction of Road on Nepal-Tibet border by China

4071. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 77 on 26th July, 1973 regarding the construction of road on Nepal-Tibet border by China and state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in 'Hindustan' of the 24th May that "Cheen Nepal-Tibet Seema ke Saath sarak Banaiga" (China will construct road along Nepal-Tibet borders) ; and

(b) if so, the reaction of the Government of India thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes, Sir.

(b) Government have no information regarding the proposed construction of a road by the Chinese between Pokhra and Jumla in Nepal. All developments having a bearing on our security are taken into consideration in planning our defence measures.

मध्य प्रदेश में "भिलाई स्लेग रेकैट"

4072. **श्री ज्योतिमर्य बसु:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मध्य प्रदेश में "भिलाई स्टील स्लेग रैकेट" की जांच करने का आदेश दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले से संबंधित तथ्य क्या है तथा इसमें किन पार्टियों का हाथ है ;

(ग) क्या उनका ध्यान कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश विधान सभा में इस रहस्य के उद्घाटन की ओर दिलाया गया है कि इस घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने के आदेश को वापस ले लिया गया है; और

(घ) क्या इस रहस्योद्घाटन में कोई सत्यता है ; और यदि हां, तो किन आधारों पर ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख). जी, हां,। स्थानीय स्टाकयार्ड तथा मैसर्स स्टील ट्रेडिंग कम्पनी, कलकत्ता के गोदाम से बड़ी मात्रा में फेरो-मैंगनीज तथा फैरो सिलिकन बरामद हुआ था जिसका मूल्य लगभग 2 लाख रुपये था। इस मामले की जांच का काम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया था । इस फर्म को कारखाने की खुले मुंह की भट्टी से निकलने वाले कचरे के ढेर से धातुमल के साथ मिला हुआ रद्दी लोहा और इस्पात निकालने का ठेका दिया गया था।

(ग) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने यह जांच कार्य छोड़ा नहीं था।

(घ) जी, नहीं।

गत तीन वर्षों में बड़े स्तर के, मध्यम स्तर के तथा लघु स्तर के उद्योगों को इस्पात का राज्यवार आवंटन

4073. **श्री ज्योतिमर्य बसु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यवार (1) बड़े स्तर के (2) मध्यम स्तर के और (3) लघु स्तर के उद्योगों को वर्षवार कितने-कितने इस्पात का आबंटन किया गया ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य की मांगों को पूर्णतः पूरा कर दिया गया ;

(ग) यदि नहीं, तो कमी की मात्रा कितनी है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों को इस्पात के कोटे के वितरण के क्या आधार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) वर्तमान वितरण नीति में राज्यवार कोटे नहीं दिये जाते हैं। आवंटन त्रैमासिक आधार पर किये जाते हैं । आवंटन करते समय अन्ततः उपयोग जिसके लिए इस्पात की आवश्यकता होती है, इस्पात की उपलब्धि और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखा जाता है।

श्रमजीवी वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संकलन की विधि

4074. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक केन्द्र में श्रमजीवी वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का संकलन किस प्रकार किया जाता है ;

(ख) क्या अनेक श्रमिक संघ संगठनों ने इस तरीके की अलोचना की है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी आलोचना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) एक विवरण, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित करने की पद्धति स्पष्ट करता है, संलग्न है ।

(ख) कभी-कभी कुछ विशिष्ट केन्द्रों के सूचकांक के संबंध में आलोचना प्राप्त होती है, परन्तु यह ठीक ठीक कारणों पर आधारित नहीं होती ।

(ग) इन सूचकांकों के खिलाफ की गई आलोचनाओं की मुख्य बातें निम्न प्रकार की होती हैं :—

(i) वेटिंक डाइग्रामों को प्राप्त करने के लिए, प्रयुक्त किया जाने वाला उपभोग का नमूना पुराना हो गया है ।

(ii) सूचकांक योजना में सम्मिलित मदों के नमूने निम्नस्तर होते हैं।

(iii) सूचकांक के संकलन में लिए गए मूल्य उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाले वास्तविक मूल्य नहीं होते , और सूचकांक संगणना के लिए थोक कीमतें ली जाती हैं।

(iv) किसी विशेष महीने में कीमतों में वृद्धि होती है जबकि सूचकांक गिरते है।

(v) आम अनुभव से एक विशेष शहर दूसरे शहर की अपेक्षा अधिक मंहगा होता है परन्तु सूचकांक इस को ऐसा नहीं दर्शाते । इसे दो केन्द्रों पर सूचकांक स्तर की तुलना करने से तैयार किया जाता है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित ध्यान रखा जाता है कि सूचकांक लक्षित पद्धति के रूप में संकलित किए जाएं। 60 केन्द्रों में एक नई परिवार बजट जांच पूर्ण हो गई है और न्यूनतम वेटिंग पद्धति पर उपभोक्ताओं से परामर्श लेकर नई सीरीज जारी की जानी है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी ध्यान रखा जाता है कि जिन कीमतों का उपयोग किया जाता वे वास्तविक हों। साथ ही, श्रम ब्यूरो, सूचकों से संबंधित प्राप्त अभिवेदनों और प्रश्नों पर तुरन्त ध्यान देकर शकों के निवारण की कोशिश करता है ।

विवरण

दिए गए जनसंख्या वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की निश्चित मात्रा और सेवाओं के मूल्यों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामयिक (समयोपरि) परिवर्तनों का माप करते हैं। सीरीज की आधार अवधि के दौरान की गई विस्तृत परिवार बजट जांचों के आधार पर यह मात्रा निश्चित की जाती है। एक सूचक सीरीज के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। वे हैं (1) परिवार बजट जांचों द्वारा व्यवस्थित उपभोग नमूने पर आधारित वेटिंग डाइग्राम और (2) एक सुचक योजना में सम्मिलित विभिन्न चीजों के मूल्य। इन मूल्यों को आगे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। अर्थात् (क) आधार अवधि मूल्य और (ख) मौजूदा अवधि मूल्य।

एक दिए गए केन्द्र के लिए, उपभोक्ता सूचकांक की सांणना लैस पियर्स के आधार-मारित निम्न-लिखित फार्मूले का प्रयोग करके की जाती है:—

$$I = \frac{\text{डब्ल्यू आई} \quad \frac{\text{पी आई एल}}{\text{पी आई ओ}}}{\text{डब्ल्यू आई}} \times 100$$

जहां डब्ल्यू आई आधार अवधि में औद्योगिक जनसंख्या द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न जिन्सों के भार हैं और वे अन्तर्गत लाई गई जनसंख्या के बीच परिवार बजट जांचों (1958-59) के आधार पर निकाले गये थे, और पी आई ओ और पी आई एल क्रमशः आधार अवधि और चालू अवधि में उन वस्तुओं के मूल्य हैं।

हैवी इलेक्ट्रिकल भोपाल द्वारा मोटर विभिन्न दरों पर गुजरात तथा मध्य प्रदेश को बेचा जाना

4075. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय:**
श्री फूल चन्द वर्मा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल द्वारा 5, 10 तथा 15 हार्स पावर की छोटी मोटरों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या यह मोटरें गुजरात तथा मध्य प्रदेश को विभिन्न दरों पर बेची गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मोटरों का निर्माण बन्द करने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) 5 और 10 अश्व शक्ति की छोटी मोटरें कुछ समय के लिए विविधीकरण के रूप में एच० ई० आई० एल, भोपाल द्वारा बनाई गई थी। इसने 15 अ० श० की मोटरें नहीं बनाई थी।

(ख) जिस अवधि में एच०ई०आई०एल०, भोपाल इन दो उत्पादों का विपणन कर रहा था उस अवधि में मोटरें सभी ग्राहकों को एक ही मूल्य पर बेची गई थीं। इस अवधि में गुजरात ने न तो कोई पूछ-

ताछ की और न उन्हें बिक्री की गई थी। जब उत्पादन अलाभकारी पाया गया तो इसे बन्द कर दिया गया था और संचित स्टाक गुजरात की एक फर्म को थोक में बेच दिया गया था, जिसकी बोली सबसे अधिक थी।

(ग) लाभदायक न होने के कारण निर्माण बन्द कर दिया गया था।

रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान और संयुक्त सेवा संस्थान द्वारा रक्षा समस्याओं का अध्ययन

4076. श्री सरजू पांडे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान और संयुक्त सेवा संस्थान नाम के दो संस्थान इस समय रक्षा समस्याओं के अध्ययन में लगे हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक संस्थान को विशिष्ट कार्य सौंपे हुए हैं ;

(ग) क्या इनके कार्य में और सुधार करने की गुंजाइश है ;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्। दोनों संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्त संस्थाएं हैं।

(ख) सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा न तो रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान को और न भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान को कोई विशिष्ट कार्य सौंपा गया है। तथापि रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान को समय समय पर रक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिसर से संबंधित विभिन्न विषयों पर सूचना देने तथा उनका जायजा लेने का अनुरोध किया जाता रहा है।

(ग) और (घ) ज्ञात हुआ है कि रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान की कार्यकारी परिषद् ने एक मूल्यांकन समिति नियुक्त की है और भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान ने भी इन दोनों संस्थानों के कार्यकलाप, लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विचार करने के लिए एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की है। रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान और भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान निश्चय ही मूल्यांकन समिति और पुनरीक्षण समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर यथा आवश्यक उपयुक्त कार्यवाही करने पर विचार करेंगी।

आंध्र प्रदेश को कोयला की अनिश्चित और अनियमित सप्लाई के कारण प्रमुख उद्योगों के उत्पादन पर प्रभाव

4077. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कोयले की कमी है ;

(ख) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से आंध्र प्रदेश के कोकिंग कोल की अनिश्चित और अनियमित सप्लाई के कारण कागज मिलों, चीनी और सीमेंट कारखानों और तम्बाकू फ्लू कर्टिंग जैसे प्रमुख उद्योगों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव, पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो इस राज्य में कोयले की वर्तमान कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस राज्य को कोयले की पर्याप्त तथा समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) बिजली घरों और इस्पात संयंत्रों की कोयले संबंधी जरूरतों में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण, जिन्हें वैगनों के आवंटन में उच्च प्राथमिकता प्राप्त है, देश भर में अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं को, विशेषकर उनको जिन्हें कोयला रेल द्वारा प्राप्त होता है, हाल ही के महीनों में कोयले की कमी का सामना करना पड़ा है । यद्यपि सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, किन्तु संभव है कि कोयले की कमी और अनियमित पूर्ति के कारण औद्योगिक इकाईयों जिनमें आंध्र प्रदेश की इकाइयां भी सम्मिलित हैं, के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) रेलवे तथा कोयला उत्पादक संगठन कोयले की ढुलाई में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं और इनसे स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होने की आशा है। सरकार ने भी विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयले की परिवहन और वितरण संबंधी समस्याओं की जांच करने के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मेंगनीज अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही

4078. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मेंगनीज अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) उत्पादन में वृद्धि के कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) अनुमान है वर्ष 1978-79 में बढ़िया किस्म के मैंगनीज अयस्क की मांग 7.59 लाख टन होगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 24 करोड़ रुपये का परिव्यय करना होगा, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मद	करोड़ रुपये परिव्यय
1. परिष्करण	7.00
2. शेफ्ट सिंकिंग तथा विकास	2.11
3. संयंत्र तथा उपस्कर	12.81
4. निवास स्थान तथा सिविल स्थान	0.98
5. समन्वेषण	1.40
जोड़	24.29

Scrap Iron Scandal in Heavy Electricals, Bhopal

4079. **Shri R. V. Bade:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the results of the inquiry started by the Central Bureau of Investigation into the scrap iron scandal in the Heavy Electricals, Bhopal ; and

(b) the action taken against the traders involved in the scandal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) The records collected by C.B.I., Jabalpur have since been returned without any comments/observations. In the circumstances, no action was called for.

भिलाई इस्पात कारखाने को अप्रैल, 1973 से जून, 1973 तक हुआ घाटा

4080. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने को वर्ष 1973 के अप्रैल, मई तथा जून के तीन महीनों के दौरान 2.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं। भिलाई इस्पात कारखाने में पहली तिमाही में लगभग 190 लाख रुपये मूल्य के उत्पादन की हानि होने का अनुमान लगाया गया है। इसका मुख्य कारण कारखाने को कोयले की अपर्याप्त मात्रा में उपलब्धि था। कोयले की कम सप्लाई, बिजली में कटौती के कारण, कोकिंग कोयला खानों और कोयला शोधनशालाओं में कम उत्पादन होने के परिणाम-स्वरूप हुई थी।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों तथा दामोदर घाटी निगम से कोकिंग कोयला खानों तथा कोयला शोधनशालाओं को बिजली की सप्लाई में उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से कह दिया गया है। इन सभी अभिकरणों के साथ निरन्तर संपर्क रखा जा रहा है।

Employment of Local Adivasis in Coal Mines in Shahdol Adivasi areas

4081. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a large number of coal mines started working in Shahdol Adivasi areas during the last decade ;

(b) if so, the number of local adivasis who get employment under the various categories in these mines during the last three years ; and

(c) the special efforts being made by his Ministry with a view to providing adequate employment opportunities to the local people in these mines ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

E.P.F. dues with R.V.H.M. Jute factory, Katihar in Bihar

4082. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of labourers working in R.V.H.M. Jute Factory, Katihar in Bihar;

(b) whether a sum of rupees fifteen lakh on the account of the contributions of the labourers and the share of the employees in outstanding against the factory and if so the reasons therefor and the action taken by Government for realising the said amount; and

(c) whether the Company has not given to labours receipt in Form No. 23 of the Provident Fund since 1967; if so, the reasons therefor and the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour & Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): The Provident Fund Authorities have intimated as under:—

(a) As on 17-3-73, 3005 workers were employed.

(b) As on 30-6-73, the amount of arrears of Provident Fund contributions in respect of this establishment was Rs. 14.38 lakhs, out of which Rs. 5.58 lakhs represents employees' share. Legal action by way of prosecution and recovery proceedings under the provisions of Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 has been taken against the establishment. Criminal cases for breach of trust under section 406/409 Indian Penal Code were also filed against the employer but the employer filed a petition for stay of proceedings before the High Court, Patna which has stayed further proceedings against the management.

(c) The information is not readily available.

Ward No. 6 of Danapur Cantonment

4083. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Danapur Cantonment Board has declared Ward No. 6 as reserved seats in place of Ward No. 5;

(b) if so, the reasons for this change;

(c) whether some citizens of Ward No. 6 have submitted a memorandum to the General Officer Commanding-in-Chief, Military Lands and Cantonments, Central Command, Lucknow against this decision of the Cantonment Board; and

(d) if so, the outlines thereof and Government's reaction thereto?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b) No cantonment Board is empowered to declare any seat as reserved. However, in January, 1973, Danapur Cantonment Board had recommended that Ward No. V be a reserved ward. This was on the basis of information furnished by the Harijan Kalyan Sangh, which was later found to be incorrect and, therefore, in February 1973, the Board revised its recommendation in favour of Ward No. VI. A notification proposing an amendment to the Danapur Cantt. (Division into Wards) Rules 1960, and inviting objections and suggestions from the public was issued in the Gazette of India on 19-5-1973.

(c) Yes, Sir.

(d) The main points brought out in the memorandum are that the Board's recommendation regarding reservation of Ward No. VI was based on information relating to Scheduled Caste/Scheduled Tribe population which was obtained privately and hence is not valid; that it contravened the Business Regulations of the Board; and that it is mainly to favour of the sitting elected member from Ward No. V.

The objections will be duly taken into account before the draft rules are finalised and published in the official gazette.

न्यासों को कोयला खाने वापस करना

4084. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रमशः भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और कोल माइन्स एथारिटीज द्वारा कोयला खानों को अपने नियंत्रण में लेने से पूर्व, मुरलीडीह, भटडीम और ईस्ट कमेरढबी कोयला खानों का प्रबंध क्रमशः श्री लक्ष्मीनारायण ट्रस्ट और श्री लक्ष्मीनारायण देव ट्रस्ट के नियंत्रण में था; और

(ख) क्या सरकार इन कोयला खानों को न्यासों को वापस करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो क्यों ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां

(ख) खाने ट्रस्टों को वापिस करने के बारे में सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।

हजारी बाग की स्वांग कोयला-खान की महिला श्रमिकों को नौकरी से हटाना

4085. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा संचालित हजारीबाग जिले की स्वांग कोयला खान में काम कर रही सभी 25 महिला श्रमिकों को कोयला-खान के प्रबंधकों ने नौकरी से हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ये सभी महिला श्रमिक 23 जुलाई, 1973 से बारी-बारी से (रिले) भूख हड़ताल पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

पत्तनों का विकास

4086. **श्री मधु दंडवते :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भूतपूर्व उच्च नौसैनिक अधिकारी ने यह विचार प्रकट किया है कि बम्बई में नावा शेवा पत्तन का विकास करने की बजाए सुरक्षा की दृष्टि से उल्बोल पत्तन का विकास करना बेहतर है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि डोभाल क्रीक पत्तन का विकास किया जाय। सरकार ने प्रस्ताव पर पूरी तरह विचार किया है। डोभाल को पत्तन के रूप में विकसित करना, इसकी परिवहन संभावनाओं पर निर्भर करेगा जो कि इसके नए नगर के रूप में विकसित होने के उपरान्त होगा। डोभाल पत्तन का नौसैनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग उचित सहायता तथा पत्तन में मरम्मत सुविधाओं का विकसित होना उसकी सामरिक महत्व की स्थिति, शैल्टर वाला लंगर, संचार व्यवस्था इत्यादि पर निर्भर करता है। अभी इनमें से अधिकांश सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं हैं। नौसैनिक जलयानों के लिए सहायता तथा मरम्मत की सुविधाओं को विकसित करना काफी मंहगा कार्य है जिसकी वर्तमान कठिन वित्तीय परिस्थितियां अनुमति नहीं देती है।

पाकिस्तान द्वारा अब तक हिरासत में रखे गये भारतीय व्यापारिक बेड़े के कुछ नाविक

4087. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान में हुये गत युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये भारतीय व्यापारिक बेड़े के कुछ नाविक अब भी उसकी हिरासत में हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी रिहाई के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 188 भारतीय व्यापारी नाविकों में से जिनके बारे में विश्वास है कि पाकिस्तान द्वारा बन्दी बनाए गए थे अब तक 167 छोड़े गए हैं। 21 भारतीय व्यापारी नाविकों का पाकिस्तान ने अब तक कोई हिसाब नहीं दिया है। उनका पता ठिकाना मालूम करने तथा उनकी रिहाई के लिए सरकार पाकिस्तान से संपर्क बनाए हुए है।

सरकारी क्षेत्र में अलौह धातुकर्मीय डिजाइन तथा सलाहकार उपक्रम का विकास

4088. **श्री डी० वी० चन्द्र गौड़ा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में अलौह धातुकर्मीय डिजाईन तथा सलाहकार उपक्रम का विकास करने की संभावना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयातित अलौह धातुओं का कम उपयोग करने के लिए सरकार ने व्यावहारिक अनुसंधान प्रधान क्या उपाय करने का विचार किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार का इस समय सरकारी क्षेत्र में अलौह धात्विक डिजाइन और परामर्श उपक्रम स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। लेकिन ऐलूमिनियम के बारे में, भारत ऐलूमिनियम कम्पनी लि० का, कोरबा (मध्य प्रदेश) में अपने ऐलूमिनियम प्रद्रावक के सहयोजन में एक अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। मोटे तौर पर, अनुसंधान और विकास संस्थान के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

(i) ऐलूमिनियम के क्षेत्र में विदेशी अनुभव और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर होना।

(ii) विश्व के प्रमुख ऐलूमिनियम उत्पादकों द्वारा प्राप्त विकास के साथ तालमेल बनाए रखना औह देश के ऐलूलिनियम उद्योग की कार्यप्रणाली को अधिक सक्षम बनाने के लिए समामान्तर तकनीकें ईजाद कहना।

(iii) उपलब्ध देशी संसाधनों के अधिक लाभप्रद उपयोग की दृष्टि से नई और परिष्कृत उत्पादन तकनीकें अपनाने हेतु आश्रय प्रदान करना।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के सहयोग से एक ऐलूमिनियम अनुप्रयोग और उपस्थान केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस केन्द्र के उद्देश्य देश में ऐलूमिनियम के अनुप्रयोग और उपयोगों के समग्रतः विकास के लिए अध्ययन और अनुसंधान करना और उसे प्रोत्साहन देना है, जिसमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित का भी समावेश होगा :--

(क) ऐलूमिनियम उद्योग के लाभ से संबद्ध समस्याओं को समझना तथा उत्पाद विकास के अध्ययनों सहित अनुसंधान और विकास तथा दुर्लभ सामग्री के प्रतिस्थान हेतु परियोजनाएं बनाना।

(ख) ऐलूमिनियम उपयोगों के समग्रतः विकास के लिए प्रयोगशाला स्थापित करना तथा अन्य सुविधाएं जुटाना।

(ग) इस उद्योग की अनुसंधान प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विश्व-विद्यालयों आदि के साथ सम्पर्क स्थापित करना और ऐलूमिनियम के अनुप्रयोग के बारे में इन प्रयोगशालाओं के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाएं बनाना।

जहां तक सीसा और जस्ते का संबंध है, सरकारी क्षेत्र में इन धातुओं के वर्तमान उत्पादक (अर्थात् हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड) ने खनन और प्रद्रावण के लिए आयोजना और विकास एकक स्थापित किए हैं। वे एकक जहां कहीं भी आवश्यक होता है विदेशी परामर्श लेकर डिज़ाइन और परामर्शी कार्य करते हैं। इन एककों को इस प्रकार शक्तिशाली बनाया जा रहा है ताकि कालांतर में विदेशी तकनीकी सहायता के बिना कार्य कर सकें।

तांबे के मामले में सरकारी क्षेत्र की हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड कम्पनी भी आयोजना और विकास एकक की स्थापना का विचार कर रही है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी में अतिरिक्त क्षमता के लिये 400 करोड़ रुपये की राशि का योगदान

4090. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री राम भगत पासवाल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी में अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 400 करोड़ रुपये की राशि का योगदान करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या कम्पनी के विस्तार के लिये इतनी बड़ी राशि देने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पूर्व कम्पनी के प्रबंध पर सरकारी नियंत्रण के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये निर्णय की मोटी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नौसेना में निशस्त्र तथा पुराने सुपर कांन्सटलेशन विमानों का प्रयोग

4091. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना द्वारा समुद्र में जासूसी के लिये प्रयोग किए जा रहे निशस्त्र सुपर कांसटेलेशन विमान अब पुराने हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो हमारी नौसेना में इस बड़ी कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) इसके स्थान पर उपयुक्त विमान प्राप्त करने का मामला विचाराधीन है।

सैनिक अधिकारियों के निवास स्थानों पर जवानों/नाविकों/एयरमैनों की नियुक्ति

4092. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे "पीस स्टेशनों" पर भी सैनिक अधिकारियों के निवास स्थानों पर एक अथवा अनेक जवानों/नाविकों/एयरमैनों की नियुक्ति के कारण जन शक्ति और सार्वजनिक धन की बहुत अधिक हानि हो रही है ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि अधिकारियों के निवास स्थानों पर नियुक्त किए जाने वाले सैनिकों से प्रायः घरेलू कार्य कराया जाता है ;

(ग) क्या उन्हें यह भी पता है कि भाग (क) और (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया उन सैनिक अधिकारियों के लिए भी लागू हैं जिन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया है तथा जिन्हें मुफ्त नौकर/माली/ड्राइवर सहित कई सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भाग (क) से (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए तथा सार्वजनिक धन तथा जन शक्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए तथा पीस स्टेशनों पर अधिकारियों के निवास स्थानों पर इस प्रकार नियुक्त किए गए सैनिकों में आत्म सम्मान सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अनुज्ञप्ति के अनुसार युद्ध स्थापनाओं में कमीशन तथा जूनियर कमीशन अफसरों को अर्दली दिए जाते हैं और उपलब्ध होने पर कुछ सीमा तक शांति स्थापनाओं में भी दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि इस बारे में कोई मनुष्य शक्ति अथवा सरकारी धन की हानि न हो।

(ख) अर्दलियों को रसोइयों तथा व्यैक्तिक नौकरों के रूप में उपयोग करने के लिए अफ़सर प्राधिकृत नहीं हैं। इसके लिए विशेष अनुदेश है कि उनका दुर्पयोग न किया जाये और इनके उल्लंघन के मामलों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) किसी ऐसे मामले की सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

4093. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीशनों के प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं की संख्या जो वर्ष 1967 में 12 थी अब बढ़कर 16 हो गई है ;

(ख) क्या देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थान भी प्रशिक्षण दे रहे हैं : और

(ग) यदि हां, तो क्या खंड विकास स्तर पर इस प्रकार रोजगार कार्यालय खोले जायेंगे कि भारत का समस्त ग्रामीण क्षेत्र उनके अंतर्गत आ सके और ग्रामीण युवक प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) प्रश्न में निर्दिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं की संख्या 1941 से लेकर अब तक की व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं के तैथिक मूल्यांकन की द्योतक है। इस समय निम्नलिखित योजनाएं कार्य कर रही हैं।

1. दस्तकार अनुदेशकों के लिये प्रशिक्षण योजना	(1948)
2. दस्तकार प्रशिक्षण योजना	(1950)
3. औद्योगिक श्रमिकों के लिये संध्याकालीन कक्षाएं	(1958)
4. शिक्षुता प्रशिक्षण योजना	(1963)
5. पर्यवेक्षण प्रशिक्षण योजना	(1963)
6. राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता (औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान)	(1964)
	और
और राष्ट्रीय शिक्षु कौशल प्रतियोगिता	(1968)
7. औद्योगिक श्रमिकों के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण	(1967)
8. उच्च प्रशिक्षण संस्थान . . .	(1968)
9. केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	(1968)
10. फौरमैन प्रशिक्षण संस्थान . . .	(1970)
11. क्रमिक व्यावसायिक परीक्षाएं	(1970)

(ख) जी हां। शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन।

(ग) देश में खंड विकास स्तर पर 246 रोजगार सूचना और सलाहकार ब्यूरो पहले ही कार्य कर रहे हैं।

चौथी योजना में आरम्भ की गई तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी होने वाली सुकिन्डा निकिल परियोजना

4094. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा की सुकिन्डा निकिल परियोजना को चौथी योजना में आरम्भ करने तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना का संभाव्यता प्रतिवेदन आगे और जांच करने तथा निर्णय करने के लिए सार्वजनिक पूंजीनिवेश बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ;

(ग) क्या सार्वजनिक पूंजीनिवेश बोर्ड द्वारा जांच तथा निर्णय किये जाने तक, परियोजना को चौथी योजना के अंतिम वर्ष में आरम्भ करने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) जल प्राप्ति संयंत्रों और उपनगर की स्थापना के लिए स्थल रेखांकन, सड़क विकास आदि के बारे में कुछ आधार भूत संरचना अध्ययन आरंभ करके अग्रिम कार्यवाही की गई है। व्यापक खान डिज़ाइन के लिए ड्रिलिंग कार्य किया गया है। उड़ीसा सरकार कटक जिले के आंसा क्षेत्र (सुकिंडा) में निकल अयस्क के लिए पहले ही खनिज रियायत प्रदान कर चुकी है।

राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, जमसेटपुर में निकल अयस्क पर प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण भी किया जा रहा है ताकि प्रोसेस सयंत्र के कुछ खंडों के मामलों में डिज़ाइन पैरामीटरों को स्थिर रखा जा सके ।

2 उड़ीसा नौसेना यूनिट, एन० सी० सी० के मुख्यालय को भद्रक से संबलपुर ले जाया जाना

4095. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय छात्र सेना के निदेशक नई दिल्ली से अनुरोध किया है कि वह 2 उड़ीसा नौसेना यूनिट, एन० सी० सी० के मुख्यालय को भद्रक से संबलपुर ले जाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थान परिवर्तन की मांग किए जाने के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) नवम्बर, 1971 में उड़ीसा सरकार ने 2 उड़ीसा नैवल यूनिट एन० सी० सी० को भद्रक से संबलपुर स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया था क्योंकि भद्रक में नौसैना प्रशिक्षण के लिए नौका खींचने तथा उसे चलाने के लिए अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । यह निश्चय किया गया है कि संबलपुर में जब भी राज्य सरकार उपयुक्त आवास की व्यवस्था कर देगी तब यूनिट को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा । अभी तक आवश्यक आवास नहीं जुटाया गया है अतः नौसैनिक यूनिट को भद्रक से संबलपुर स्थानान्तरित करने का काम आस्थागित कर दिया गया है ।

Appointment of a High Power Committee to review the working of N.C.C.

4096. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether a high power Committee headed by Dr. G. S. Mahajani has been appointed to review the working of National Cadet Corps ;

(b) if so, the basis for their review ; and

(c) the facts Government want to ascertain through review by this Committee ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Committee has been set up to evaluate the working of the NCC programme since its inception, with specific reference to its aims and objectives and to recommend measures necessary for changes in the aims and objectives, organisation and training of the NCC programme and consequential financial/administrative arrangements. In making its recommendations the Committee is to take into account the activities covered by the National Service Scheme and National Sports Organisation in the sphere of youth development.

Manufacture of Machines used in Cement Production

4097. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the names of big industries in the country manufacturing entire range of machines used in cement production and their production capacity; and

(b) the production capacity of the industries manufacturing cement producing machines in the country during the year 1971 and 1972 respectively ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b) At present, there are eight units in the country with capacity to manufacture complete cement plants. These units are :—

(i) M/s. A.C.C. Ltd., Shahabad.
(ii) M/s. A.V.B. Ltd., Durgapur.
(iii) M/s. K.C.P. Ltd., Madras.
(iv) M/s. Walchandnagar Industries, Bombay.
(v) M/s. Larsen & Toubro Ltd., Bombay.
(vi) M/s. Indian Sugar & General Engineering Corporation, Yamunagar.
(vii) M/s. Utkal Machinery Ltd., Rourkela.
(viii) M/s. McNally Bird Engineering Co., Calcutta.

At present, the total installed capacity of all these units taken together is 18 complete cement plants of 600 Tonnes per day.

दिल्ली में पी० जी० टी० और टी० जी० टी० के पदों के लिये पंजीकृत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति

4098. **श्री अम्बे:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में जून, 1973 के अन्त में टी० जी० टी० और पी० जी० टी० पदों के लिए, अलग-अलग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ;

(ख) गत तीन वर्षों के वर्षवार आंकड़ों की अपेक्षा यह संख्या कम है या अधिक; और

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा गत तीन वर्षों में वर्गवार कितने टी० जी० टी० और पी० जी० टी० नियुक्त किये गये और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अध्यापक हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) :

वर्ष	वर्ष/अवधि के अन्त में चालू पंजिका में दर्ज अध्यापकों की संख्या			
	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक		प्रशिक्षित स्नातकोत्तर अध्यापक	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
1	2	3	4	5
1970	22	—	27	—
1971	56	—	36	—
1972	84	1	65	1
1973 (जून)	95	3	65	2

(ग)

वर्ष		वर्ष के दौरान नियुक्त हुए अध्यापकों की संख्या	
		प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक	प्रशिक्षित स्नातकोत्तर अध्यापक
1		2	3
1970-71	(क) योग	205	51
	(ख) योग में सम्मिलित अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	6	5
	(ग) योग में सम्मिलित अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार	—	—
1971-72	(क) योग	166	50
	(ख) योग में सम्मिलित अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	4	7
	(ग) योग में सम्मिलित अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार	—	—
1972-73	(क) योग	833	41
	(ख) योग में सम्मिलित अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	52	9
	(ग) योग में सम्मिलित अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार	—	—

टिप्पणी : कुछ विषयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे और इसलिए नियुक्तियाँ नहीं की जा सकीं।

परम वीर चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों के ग्रामों को "आदर्श ग्राम" घोषित करना

4099. **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा सुझाव मिला है कि परम वीर चक्र प्राप्त करने वालों के गांवों को मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध में उनके द्वारा दिखाई गई बहादुरी को सम्मानित करने हेतु आदर्श ग्राम घोषित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) किस प्रकार की कार्यवाही की गई है।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) देश में परम वीर चक्र विजेताओं के गांवों को आर्दश ग्राम घोषित करने के लिए एक सुझाव प्राप्त हुआ है और वह सम्बंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों प्रशासनों के परामर्श में विचाराधीन है।

भूतपूर्व सैनिकों को मनीआर्डरों द्वारा पेंशन का भुगतान

4100. **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या **रक्षा** मंत्री भूतपूर्व सैनिकों को मनी आर्डरों द्वारा पेंशन भेजे जाने के बारे में 15 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3443 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने सरकारी खर्च पर मनी-आर्डरों द्वारा पेंशन के भुगतान की सुविधा का अब तक लाभ उठाया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): सशस्त्र सेनाओं के पेंशन पाने वालों की संख्या लाखों में है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर राज्यों और दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्रों में उनकी पेंशन का डाक-घरों तथा उप डाक-घरों के माध्यम से संवितरण किया जाता है। अन्य राज्यों में सेना पेंशनें खजानों तथा उप-खजानों के माध्यम से संवितरित की जाती है। उपर्युक्त विभिन डाक-घरों तथा खजानों के अतिरिक्त, पेंशनों का पेंशन पे-मास्टरों द्वारा भी संवितरण किया जाता है जो रक्षा लेखा (पेंशन) के नियन्त्रक इलाहबाद के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन होते हैं। अतः माननीय सदस्य द्वारा वांछित सूचना के लिए पेंशन का भुगतान करने वाली इन हरेक एजेन्सियों से सम्पर्क करना होगा और इसमें बहुत समय तथा प्रयत्न लगेगा और संभव है वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

सीमा सड़क डिवीजन द्वारा निर्माणाधीन सड़कों के नाम तथा किलोमीटरों में उनकी लम्बाई

4101. **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क डिवीजन द्वारा इस समय बनाई जा रही सड़कों के नाम तथा किलोमीटरों में उनकी लम्बाई क्या है ; और

(ख) इनके निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी और प्रत्येक सड़क के लगभग किस तारीख को बन कर तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) : सीमा के नाजुक क्षेत्रों में सड़क संचार की स्थिति के बारे में विस्तृत सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं है !

भूतपूर्व सैनिकों की समीपवर्ती स्थल सेना, वायुसेना तथा नौसैना के प्रशिक्षण स्कूलों के साथ सम्बन्ध करना

4102. श्री नारायण चन्द पाराशर: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के व्यापक अनुभव को युवा केड़टों में भाषाणों तथा सैमिनारों के माध्यम से बांटने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिकों को समीपवर्ती स्थल सैना, वायु सेना तथा नौसेना के प्रशिक्षण स्कूलों के साथ संबंध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तीनों सेनाओं में उन प्रशिक्षण स्कूलों के नाम क्या हैं जिनमें यह प्रबंन्ध कियें गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) क्योंकि युवा कैड़टों को भाषण देने के लिए वरिष्ठ कार्यरत अफसर और अन्य विशेषज्ञ उपलब्ध हैं अतः सेवानिवृत अफसरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए नियमित प्रबन्ध नहीं है ।

सिविल प्रयोजनों के लिये सेना का प्रयोग

4103. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1973 तक विधि और व्यवस्था बनाये रखने और राहत कार्यों सहित सिविल प्रयोजनों के लिए सेना का कितनी बार प्रयोग किया गया ;

(ख) सेना को कब-कब और कहां-कहां तैनात किया गया; और

(ग) क्या उनका व्यय संबंधित राज्य सरकारों ने वहन किया था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1 जनवरी, 1973 से 31 जुलाई, 1973 के बीच सिविल प्रयोजनों के लिए सेना को 53 अवसरों पर बुलाया गया था।

(ख) तारीख और स्थान का विवरण इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	स्थान	तारीख
	कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये	
1.	तेजपुर (असम)	21 अप्रैल 73 से 17 मई 73 तक
2.	नासिक (महाराष्ट्र)	23 और 24 अप्रैल 1973
3.	उत्तर प्रदेश	21 मई 73 से 13 जून 73 तक
4.	अरुणाचल प्रदेश (लोहित डिवीजन)	13 जून 73 से 18 जून 73 तक
5.	जयपुर (राजस्थान)	18 जुलाई 73 से 21 जुलाई 73 तक
6.	जयपुर तथा अलवर (राजस्थान)	24 और 25 जुलाई 73
7.	सिक्किम	अप्रैल 73 और मई 73

आवश्यक संस्थाओं को बनाये रखने के लिये

8. उत्तर प्रदेश	11 जनवरी 73 से 27 जरवरी 73 तक
9. आन्ध्र प्रदेश	7 फरवरी 73 से 17 मार्च 73 तक
10. राजस्थान	24 अप्रैल 73
11. बिहार	10 जून 73 से 21 जून 73 तक
12. दिल्ली	11 जून और 12 जून 73
13. पश्चिमी, उत्तरी, उत्तर-पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे	जून 73 और जुलाई 73
14. दिल्ली	26 जून 73 से 27 जून 73 तक
15. दिल्ली	5 और 6 जुलाई 73
16. केरल	31 जुलाई 73 से 3 अगस्त 73 तक
17. पश्चिम बंगाल	26 और 27 जुलाई 1973

प्राकृति और अन्य विपत्तियां

18. पुलगांव (महाराष्ट्र)	10 फरवरी 1973
19. आरवी (महाराष्ट्र)	18 और 19 फरवरी 1973
20. हिंगाघाट (महाराष्ट्र)	17 मार्च 73
21. अलमोड़ा (उ० प्र०)	2 अप्रैल 73
22. शिलांग (असम)	10 अप्रैल 73
23. अगरतला (त्रिपुरा)	8 मई 73 से 14 मई 73
24. संगरूर (पंजाब)	14 और 15 मई 73
25. हारा (महाराष्ट्र)	29 मई 73
26. उत्तरी लखीमपुर (असम)	18 जून 73 से 20 जून 73
27. डिबरूगढ़ (असम)	18 जून 73 से 21 जून 73
28. ग्वसलपाड़ा जिला (असम)	28 जून 73 से 11 जुलाई 73 तक
29. धुबरी (असम)	30 जून 73 से 11 जुलाई 73 तक
30. हरियाणा	21 और 22 जून 73
31. इलाहाबाद (उ० प्र०)	31 जुलाई 73 से 11 अगस्त 73 तक
32. हौशंगाबाद (म० प्र०)	22 जुलाई 73 से 24 जुलाई 73 तक
33. रामपुर (उ० प्र०)	30 जुलाई 73 से 2 अगस्त 73 तक
34. मुरादबाद (उ० प्र०)	26/27 जुलाई से 2 अगस्त 73 तक
35. जखालसांदा (नौगांव जिला)	28 जुलाई 73
36. दादूपुर (जगाधरी से छः मील) हरियाणा	28 जुलाई 73 से सहायता जारी है।

अन्य प्रकार की सहायता

37. राजस्थान	20 फरवरी 73
38. गुजरात	4 फरवरी 73
39. जम्मू और काश्मीर	अप्रैल 73 सहायता जारी है।

40. लद्दाख	मई 73 सहायता जारी है।
41. लद्दाख	मई 73 सहायता जारी है।
42. महाराष्ट्र	जनवरी 73
43. जम्मू और कश्मीर	जनवरी 73 सहायता जारी है।
44. हिमाचल प्रदेश	जून 73 सहायता जारी है।
45. सिल्चर करीमगंज मार्ग पर	7 जुलाई 73
46. वूलर नहर (जम्मू और कश्मीर)	23 फरवरी 73
47. धोलपुर (राजस्थान)	21 मार्च 73 से 25 मार्च 73 तक
48. उत्तर प्रदेश	6 मार्च 73 से मई 73 तक
49. दिल्ली	20 मार्च 73
50. धोलपुर	12 मई 73 से 10 जून 73 तक
51. नागालैंड तथा मणिपुर	अप्रैल 73 सहायता जारी है।
52. नई दिल्ली	12 अप्रैल 73 से 14 अप्रैल 73 तक
53. केरल	26 जुलाई 73 से 29 जुलाई 73 तक

(ग) वर्तमान पद्धति के अनुसार कानून तथा व्यवस्था के लिए नियुक्त की गई सशस्त्र सेनाओं का पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है, तथापि यदि राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र, चाहें तो इसमें अपना योगदान दे सकती हैं। जहां तक आवश्यक सेवाओं को बनाये रखना, प्राकृतिक विपत्तियों के दौरान और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर सेना द्वारा किये गए अतिरिक्त व्यय का संबंध है, केवल अतिरिक्त व्यय को वसूल किया जाता है। दूसरे प्रकार की सहायता के मामलों में सेनाओं द्वारा खर्च किया पूरा व्यय संबंधित प्राधिकारियों से वसूल किया जाता है।

गांव नांगलराया, नई दिल्ली में किराये पर ली गई भूमि

4104. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **रक्षा** मंत्री गांव नांगलराया, नई दिल्ली में किराये पर ली गई भूमि के बारे में 26 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8312 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली जनवरी, 1972 से आरम्भ होने वाले पांच वर्षों के लिए किराये की दरें निश्चित कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) सरकार भूमि मालिकों को कब तक किराया अदा कर देगी; और

(घ) क्या सरकार पहली जनवरी, 1972 के बाद के लिए जाने वाले किराये की राशि पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का विचार कर रही है जैसा कि भूमि मालिकों ने मांग की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अभी तक नहीं, क्योंकि बात-चीत अभी प्रगति पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बात-चीत पूरी हो जाने के पश्चात् सरकारी मंजूरी के मिलने पर किराए की अदायगी की जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि देय किराये पर ब्याज की अदायगी के लिए भूस्वामियों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

नई दिल्ली के नांगलराया गांव में 9.83 एकड़ भूमि

4105. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के नांगलराया गांव में 9.83 एकड़ भूमि को अधिग्रहण किया गया था और ये 1939 से लेकर अब तक रक्षा मंत्रालय के साल्वेज डिपों के अधिकार में हैं ;

(ख) क्या भूमि के इन गरीब मालिकों द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद सरकार ने इनको नकदी अथवा अन्य रूप में कुछ नहीं दिया है और न ही इनको भूमि का कब्जा दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने तथा भूमि के मालिकों को तुरन्त मुआवजा देने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नई दिल्ली के नांगलराया गांव में 9.83 एकड़ भूमि को वर्ष 1943 में आर्मी साल्वेज डिपों के लिए अधिग्रहित किया गया था। यह 1968 से रक्षा फायर अनुसंधान संस्थान के कब्जे में है। इस समय केवल 8.14 एकड़ क्षेत्र अधिग्रहणाधीन है, शेष 1.69 एकड़ भूमि अक्तूबर 1972 में छोड़ दी गई है।

(ख) कलक्टर द्वारा निश्चित 105.81 रुपये प्रति वर्ष की दर पर आवर्ति मुआवजा जून 1946 तक की अवधि के लिए पात्र व्यक्तियों को दिया गया था जिन्होंने बिना किसी विवाद के इसे स्वीकृत कर लिया था। पात्र व्यक्तियों को जून 1955 तक की अवधि के लिए आवर्ति मुआवजे की पेशकश की गई थी परन्तु उन्होंने इस तर्क पर इसे लेने से अस्वीकार कर दिया कि यह बहुत कम था। जून 1967 तक की अवधि के लिए देय आवर्ति मुआवजे की दोबारा पेशकश की गई थी और उनके द्वारा इसे, दोबारा अस्वीकार कर दिया गया। पात्र व्यक्तियों के इस प्रकार के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कल्कटर ने बाद के वर्षों के लिए उन्हें देय राशि का भुगतान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं।

(ग) संबंधित कानून के अधीन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा पहले निश्चित किए गए आवर्ति मुआवजे का संशोधन किया जाए: और पात्र व्यक्ति उन्हें देय मुआवजे का बकाया किसी समय भी कलक्टर से लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

गांव नांगलराया, नई दिल्ली की भूमि के लिये किराये के मुआवजे के भुगतान में विलम्ब

4106. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने गांव नांगलराया, नई दिल्ली की 18.39 एकड की किराए की भूमि में से भूमि मालिकों को उनकी भूमि के 37.10 बीघे के लिए किराया मुआवजा दिया है जबकि इसे भूमि मालिकों से प्रारम्भ में 50 बीघा भूमि के लिए दावे मिले थे और बाद में शेष 12.10 बीघे के लिए किराया उन्हें अभी दिया जाना है ;

(ख) क्या सैनिक सम्पदा अधिकारी, दिल्ली सर्किल ने इस बारे में मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी मांगी थी परन्तु उन्हें अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार इस भूमि के गरीब मालिकों को किराया कब तक अदा कर देगी ?

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हमने नंगलराया गांव में 10.64 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव किया था। रक्षा मंत्रालय के अधिकार में केवल 9.06 एकड़ भूमि है। इसमें से 8.46 एकड़ के लिए 31 दिसम्बर, 1971 तक किराया दे दिया गया है। शेष 0.6 एकड़ के लिए जो ग्राम समुदाय की है, इसका किराया इसलिए नहीं दिया जा सका है क्योंकि इस किराये को प्राप्त करने के लिए विधिवत प्राधिकरण से कोई व्यक्ति मनोनीत नहीं किया गया है। 158 एकड़ भूमि के लिए रक्षा मंत्रालय से कोई किराया देय नहीं है जो कि जून 1964 से मालिकों के अपने अधिकार में है।

(ख) से (घ) : जी हां, श्रीमन्। ज्यूहीं वर्तमान बात-चीत पूरी हो जाती है और सरकारी स्वकृति प्राप्त हो जाती है पहली जनवरी 1972 से किराया दे दिया जाएगा।

कुमाऊं की पहाड़ियों में लिग्नाइट, तांबा, अभ्रक, चूना तथा अन्य खनिजों के निक्षेप

4107. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुमाऊ की पहाड़ियों में लिग्नाइट, ताँबा, अभ्रक, चूना तथा अन्य खनिजों के मूल्यावन निक्षेप हैं ;

(ख) उन निक्षेपों की खोज और स्थान निर्धारण के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) ये खनिज किस प्रकार के हैं, और कितनी मात्रा में हैं तथा उनके खनन की क्या सम्भावना हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र में चूना, मैगनेसाइट, सेलखड़ी और कहीं कहीं अल्प मात्रा में ताम्र अयस्क के निक्षेप पाए गए हैं। अभ्रक और लिग्नाइट के किसी निक्षेप की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) : जहां तक समन्वेषण की प्रगति का प्रश्न है, विभिन्न खनिजों के अब तक अनुमानित भण्डार इस प्रकार है : पिथौरागढ़ जिले में सीमेंट ग्रेड का 500 लाख टन चूना और नैनीताल जिले में रासायनिक ग्रेड का 51 लाख टन चूना, अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में 38 से 45 प्रतिशत मैगनेशिया और 0.30 से 5.78 प्रतिशत चूने से युक्त लगभग 330 लाख टन मैगनेसाइट तथा अलमोड़ा जिले में 10 लाख टन सेलखड़ी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा चालू क्षेत्रगत सत्र में कुमाऊं पहाड़ियों में किए गए धरातलीय अधोधरातलीय अन्वेषणों में, पिथौरागढ़ जिले के अस्कोटे में आधार-धातुओं और आगलगड़ धान में चूनाश्म के लिए तथा अलमोड़ा जिले के कांड़ा मसौली क्षेत्र में मैगनेसाइट और सेलखड़ी के लिए अन्वेषण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में खनिजों के क्षेत्रीय निर्धारण के लिए भी भूवैज्ञानिक मानचित्रण भी किया गया है।

इस समय इस क्षेत्र में फास्फोराइट, मैगनेसाइट, चूनाश्म और स्टीटाइट खनिज किए जाते हैं। अलमोड़ा मैगनेसाइट निक्षेप का राज्य सरकार के संयुक्त सेक्टर उपक्रम अलमोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड

द्वारा विकास किया जा रहा है और फोस्फोराइट निक्षेप भारत सरकार के उपक्रम पा राइट्स, फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा खनिज किया जा रहा है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा लाभांश की घोषणा

4108. **श्रीमती सावित्री श्याम:** क्या **इस्पात और खान:** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में लिए जाने के बाद से इस कंपनी ने गत दो वर्षों से किसी लाभांश की घोषणा की है;

(ख) क्या इससे थोड़े शेयर रखने वाले व्यक्तियों पर, जोकि मध्यम आय वर्ग के हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है: और

(ग) यदि हां, क्या सरकार का विचार इस वर्ष लाभांश की घोषणा कर इन शेयरधारियों को कुछ राहत देने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) और (ग) : भारत सरकार ने 14 जुलाई, 1972 से इंडियन आयरन एण्ड स्टील लिमिटड का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था। कंपनी को हुई हानि को देखते हुए कंपनी ने 1971-72 के लिए किसी लाभांश की घोषणा नहीं की थी। 1972-73 का हिसाब-किताब अभी अन्तिम रूप से तैयार किया जाना है। लाभांश की घोषणा करने का निश्चय बहुत सी बातों जैसे कार्य परिणाम, आरक्षित निधि और पूंजीगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ख) इस बारे में सरकार के पास ठीक ठीक जानकारी नहीं है।

Implementation of Order for use of Hindi in Indian Army

4109. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government orders in regard to the use of Hindi in the Indian Army are not being properly implemented; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Government orders in regard to the use of Hindi in the Army are being progressively implemented.

(b) The Government have recently reinforced their instructions for the progressive use of Hindi in the Defence Organisation.

1971 की भारत-रूस संधि

4110. **श्री वयालार रवि:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 9 जुलाई, 1973 के न्यूज वीक में 'फलीटिंग ट्रीटी' शीर्षक से छपे समाचार को देखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित रिपोर्ट भ्रान्त धारणा का परिणाम है और अटकलबाज़ी पर आधारित है। इसलिए इसमें जो निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया गया है, वे निराधार हैं।

हैदराबाद में स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4111. **श्री रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1973 में हैदराबाद सर्किल में स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे;

(ग) हड़ताल का विस्तार क्षेत्र कितना था और उसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) उस समझौते की शर्तें क्या हैं जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल समाप्त हुई थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) : स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ यूनियन, हैदराबाद मण्डल के चार पदाधिकारियों के निलम्बन के परिणामस्वरूप, लगभग 6,000 कर्मचारी 2 जुलाई, 1973 को हड़ताल पर चले गये। यह हड़ताल 5 जुलाई, 1973 तक चली, जब ऑल इंडिया स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन और स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबन्ध-तंत्र के बीच हुए आपसी समझौतों के निलंबन आदेशों और हड़ताल की कार्यवाही को वापिस ले लिया गया। प्रबन्धतंत्र ने यह मान लिया कि स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ यूनियन और आल इंडिया स्टेट बैंक आफ स्टाफ फेडरेशन के किसी पदाधिकारी को किसी कदाचार के लिए पहले बैंक तथा यूनियन फेडरेशन की संयुक्त बैठक में विचार विमर्श और छानबीन किए बिना निलंबित नहीं किया जायेगा, जब तक कि जालसाजी चोरी करने अथवा फौजदारी मुकदमें की वजह से कर्मचारियों का इस प्रकार का निलम्बन आवश्यक न हो।

नये उत्पादन एकक

4112. **श्री रानेन सेन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा क्षमता का विस्तार करने और सप्लाई के विदेशी साधनों पर निर्भरता कम करने हेतु नये उत्पादन कारखानों की स्थापना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमन्। रक्षा के अन्तर्गत अनेकों नई उत्पादन लाइनों में वृद्धि करने की सम्भावना है जिससे पूर्ति के लिए विदेशी साधनों पर हमारी निर्भरता कम हो सके। इसमें भारतीय फील्ड गन, 7.62 एम एम मझेली मशीन गन, प्रणोदक तथा विस्फोटक हैं जिनकी विभिन्न प्रकार के गोला बारूद अर्मरड गाड़ियों तथा विशेष धातुओं तथा अति मिश्रातु के लिये आवश्यकता है। वायुयान में भेदी गनों के उत्पादन

के लिए क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई गई है तथा आयातित मझेली आर्टिलरी के लिए बैरल तथा गोला बारूद के निर्माण की क्षमता बनानी है । हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स ने एम आई जी-21 के सुधारे गए रूप का उत्पादन हाथ में लिया है तथा भारतीय वायुसेना के लिए हैलीकोप्टर की नई सीरीज का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया जायगा । एच एफ 24 तथा नैट के रूप में कुछ सुधार करने के इलावा भारत इलैक्ट्रानिक्स हवाई रक्षा के लिए गाजियाबाद में आधुनिकतम रडार तथा माइक्रोवेव उपस्करों के उत्पादन के लिए एक यूनिट स्थापित कर रहा है । डिफेंस शिपयार्ड में अभी फ्रिगेटों का निर्माण कार्य चल रहा है वह इसके अतिरिक्त गश्ती यानों का निर्माण कार्य हाथ में ले सकता है ।

हड़तालों और तालाबन्दियों के परिणामस्वरूप जनदिवसों की हानि

4113. श्री रानेन सेन : क्या **श्रम और पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों में हड़तालों और तालाबन्दियों के परिणामस्वरूप कुल कितने जन दिवसों की हानि हुई है; और

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों से इनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) : उपलब्ध अनन्तिम सूचना के अनुसार जनवरी से अप्रैल 1973 और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण क्षति हुए श्रम-दिनों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

अवधि	निम्नलिखित के कारण क्षति हुए श्रम दिनों की संख्या	
	हड़तालों	तालाबन्दियों
(i) जनवरी से अप्रैल 1973 (अनन्तिम)	2,465,915	1,637,911
(ii) जनवरी से अप्रैल (अनन्तिम)	4,143,350	1,844,745

तालाबन्दियों पर प्रतिबन्ध

4114. श्री रानेन सेन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजकों द्वारा तालाबन्दियों की एकतर्फी घोषणा के कारण औद्योगिक उत्पादन की बढ़ती हुई हानि और बिगड़ते हुए औद्योगिक सम्बन्धों को दृष्टि में रखते हुए सरकार का इन तालाबन्दियों पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु अध्यादेश जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) : अध्यादेश प्रख्यापित करने का भारत सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

पूर्वांतर क्षेत्रों में भारी उद्योगों की वर्तमान स्थिति

4115. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जिनमें, आसाम, मनीपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड तथा त्रिपुरा सम्मिलित हैं, भारी उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कमजोर आधार और कठिन औद्योगिक कारणों को दृष्टि में रखते हुए इन क्षेत्रों में भारी उद्योगों की स्थापना करने में प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाने आवश्यक हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर खण्ड के पिछड़े क्षेत्रों में भारी उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को रियायत देने की पहले ही घोषणा कर दी है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना करना अन्य बातों के साथ-साथ वन तथा खनिज संसाधनों की उपलब्धता, कुशल जन-शक्ति और अवस्थापना के विकास सहित संस्थागत प्रबंधों पर भी निर्भर करेगा ।

भारत के औद्योगिक विकास बैंक के एक संयुक्त संस्थागत अध्ययन दल ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण किया है । निदेशन समिति के जरिए रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू हैं :—

(1) परिवहन राज सहायता योजना, 1971, जिसके अन्तर्गत कच्चे माल/तैयार उत्पादों की परिवहन लागत का 50% राजसहायता के रूप में दिया जाता है (बागान, तेल परिशोधन और विद्युत जनित्रण संयंत्रों पर लागू नहीं होता) ।

(2) 10% (1-3-73 से 15%) केन्द्रीय एकमुश्त अनुदान या राज सहायता योजना, 1971 (विनियोजन के रूप में) ।

(3) पिछड़े क्षेत्रों में प्रारम्भ किए जाने वाले उद्योगों के लिए वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त देना ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारी उद्योग की विद्यमान स्थिति को बताने वाला विवरण

विद्यमान परियोजनाएं (केन्द्रीय)	**आसाम** (1) नामरूप में उर्वरक संयंत्र; (2) नूनमाटी में पेट्रोलियम रिफाइनरी; और (3) क्रूड पाइप लाइन ।
चौथी योजना में सम्मिलित परियोजनाएं	(1) नामरूप उर्वरक का विस्तार; (2) बोकाजन में सीमेंट संयंत्र की स्थापना ; (3) नौगोंग में एक लुगदी/कागज संयंत्र की स्थापना; (4) अतिरिक्त पेट्रोलियम परिशोधन क्षमता की स्थापना; और (5) आसाम पैट्रो-केमिकल कम्प्लेक्स ।

नागालैंड

विद्यमान परियोजनाएं (केन्द्रीय)	कुछ नहीं ।
चौथी योजना में सम्मिलित परियोजनाएं	नागालैंड लुगदी और कागज-मिल ।

मेघालय

विद्यमान परियोजनाएं	कुछ नहीं।
चौथी योजना में सम्मिलित योजनाएं	(1) चेरापूंजी में सीमेंट का कारखाना ; (2) जांच, सर्वेक्षण, संभाव्यतया रिपोर्टें तैयार करने आदि के लिए व्यवस्था की गई है ।

मणिपुर

विद्यमान परियोजनाएं	कुछ नहीं	
चौथी योजना में सम्मिलित परियोजनाएं	(1) खण्डसारी शुगर मिल, बंगबाल (2) सीमेंट फैक्टरी; (3) कागज मिल; और (4) स्पिनिंग मिल ।	प्रारम्भिक अध्ययन हेतु केवल नाममात्र प्रावधान किया गया है।

त्रिपुरा

विद्यमान परियोजनाएं	कुछ नहीं
चौथी योजना में सम्मिलित परियोजनाएं	(1) स्पिनिग मिल (गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजना की शेयर पूंजी में भाग लेना) कोई प्रगति नहीं । (2) जूट मिल (सम्भाव्यता अध्ययन के लिए नाम मात्र प्रावधान किया गया) ।

अरुणाचल प्रदेश

विद्यमान परियोजनाएं	कुछ नहीं ।
चौथी योजना में सम्मिलित परियोजनाएं	सर्वेक्षण करने और सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने आदि के लिए केवल नाममात्र-प्रावधान किया गया ।

भूतपूर्व सैनिकों को अतिरिक्त सुविधायें

4116. श्री एन० टोम्बी सिंह: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि करने सम्बन्धी उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त सुविधाओं की मूलभूत बातें क्या हैं और भूतपूर्व सैनिकों की मांगें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) तथा (ख) भूतपूर्व सैनिकों को सशस्त्र सेनाओं से सेनामुक्त/सेवा निवृत होने के उपारान्त सिविल जीवन में पुनर्व्यवस्थित होने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं । नियोजन के लिए रोजगार कार्यालय उन्हें वर्ग–III

में रखते हैं इसके अतिरिक्त रक्षा प्रतिष्टानों/अर्ध-सैनिक संगठनों में नियोजन के लिए उन्हें वरीयता दी जाती है जहा उनका प्रशिक्षण एवं अनुभव लाभदायक सिद्ध हो सकता है। चतुर्थ श्रेणी के 20% पद तथा तृतीय श्रेणी के 10% पद केन्द्रीय सरकार में आरक्षित किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में 17½% तृतीय श्रेणी के पद तथा 27% चतुर्थ श्रेणी के पद उनके लिए क्रमशः आरक्षित किए गए हैं ? वय तथा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं में शिथलन की गई है। इन सुविधाओं के अलावा केन्द्रीय सरकार ने तथा राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की हैं ?

भूतपूर्व सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से या उनकी सहकारी समितियों के द्वारा ऋण मंजूर किए जाते हैं। युद्ध हताहतों के लिए पेंशन को उदार बना दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का सदा पुनरीक्षण होता रहता है और जहां पर भी उनमें सुधार की आवश्यकता होती है, उसमें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाते हैं कि उन्हें उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो।

सेना के जवानों और अधिकारियों की विधवाओं को पेंशन का भुगतान न किया जाना तथा अन्य सुविधायें न दिया जाना

4117. **श्री एन० टोम्बी सिंह**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि सेना के जवानों और अधिकारियों की अनेक विधवाओं को प्रक्रिया संबंधी कुछ कठिनाइयों या कुछ अन्य रुकावटों के कारण जिन्हें केवल सरकार दूर कर सकती है, परिवार पेंशन तथा अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों को विधवाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) ऐसी प्रकार की कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए दिखाई नहीं देते हैं जिनमें उन प्रक्रियात्मक कठिनाइयों अथवा बाधाओं या जिक्र किया हो जिनके कारण जवानों और अफसरों की विधवाओं ने अपनी पारिवारिक पेंशन आदि प्राप्त न की हो वास्तव में, पहले ही विद्यमान अनुदेशो के अनुसार, पेंशन के मामलों से संबंधित सभी व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे मामलों के निपटाने में अत्याधिक विलम्ब न हो।

विलम्ब के जो विशिष्ट मामले ध्यान में आते हैं उनकी जांच-पड़ताल की जाती है और उपचारी उपाय किए जाते हैं। इस मामले पर 1971 के संघर्ष में हताहतों के विशेषसंदर्भ में विचार किया गया है। स्थिति यह है कि एक अफसर तथा एक जवान को छोड़ कर शेष सभी मामलों में पेंशन (अस्थाई लाभ सहित) पहले जारी कर दी है; इन दो अफसरों की विस्तृत परिस्थितियां रक्षा लेखा के नियन्त्रक (पेंशन) से प्राप्त की जा रही हैं।

Persons belonging to Various Categories Employed in Ministry of Heavy Industry.

4118. **Shri G. P. Yadav**: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to various categories employed in his Ministry during 1972-73; and

(b) the number out of them belonging to the backward classes and the steps being taken by Government to increase the representation thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddeshwar Prasad): (a) The Ministry of Heavy Industry came into being with effect from 7-2-1973. The number of persons belonging to various categories employed in the Ministry as on 31st March 1973 was 167.

(b) Does not arise as there is no classification as "Backward classes" in Government of India.

Proposal to raise status of Head of Indian Mission in Japan

4119. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration the issue of raising the status of Head of Indian Diplomatic Mission in Japan; and

(b) if so, the decision taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir. Ambassador is the highest status of a representative of a country accredited to another.

(b) Does not arise.

खेतड़ी परियोजना में कथित कुप्रबन्ध

4120. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "नीडल्स आई" पत्रिका के 15 मई, 1973 तथा 1 जून, 1973 के अंकों में "खेतड़ी कापर एन आइडियल डोंट बंगलिंग, मिसमेंनेजमैन्ट एण्ड रेड टेप अपसैट आल प्लैनिंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और खेतड़ी परियोजना के कार्यों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही के कार्यों में सुधार करने और उसके सुचारु कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और रुमानिया के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी संयुक्त निकाय का गठन

4121. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूमानिया आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधी एक संयुक्त निकाय का गठन करने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस निकाय की रचना और कृत्यों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए एक अन्तः सरकारी संयुक्त आयोग की स्थापना पर सिद्धांत रूप से सहमति हो गई है ।

(ख) आयोग का गठन तथा अन्य ब्यौरे विचाराधीन हैं ।

पश्चिम बंगाल में कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में छटनी, तालाबन्दी तथा उनके बन्द होने से बेरोजगार हुये श्रमिक

4123. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों के (एक) बंद होने (दो) तालाबंदी और उनमें छटनी होने से मार्च, 1972 से लेकर अब तक कितने श्रमिक बेरोजगार हुए हैं; और

(ख) उनमें से कितने श्रमिकों को अपने काम फिर से मिल गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नेताजी जांच आयोग के ताइवान सरकार से कोई सहायता न लेने के सम्बन्ध में अनुदेश दिये जाने का समाचार

श्री समर गुह : श्रीमान्, मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय में एक वक्तव्य दें :

"नेताजी जांच आयोग को ताइवान की सरकार या ताइवान की किसी गैर-सरकारी संस्था से किसी प्रकार की सहायता न मांगने के अनुदेश दिया जाने का समाचार ।"

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : नेता जी सुभाष आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो अपनी क्रिया-विधि स्वयं निश्चित करता है । आयोग ने जब ताइवान की यात्रा करने का विचार किया तो इस मामले में सरकार की सलाह मांगी । भारत सरकार ने आयोग को सूचित किया कि वह ताइवान को मान्यता नहीं देती इसलिए न तो सरकार और न सरकार द्वारा नियुक्त कोई न्यायिक-निकाय ही, ताइवान सरकार से प्रत्यक्ष अथवा औपचारिक सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि सरकार आयोग को यह सलाह देती कि वह ताइवान के अधिकारियों से कोई औपचारिक सम्पर्क न करें और स्वयं ही स्वतंत्र रूप से जांच का कार्य करे ।

सामान्यतः विदेशों की अपनी यात्राओं के दौरान, इस आयोग ने, विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों की सहायता से जांच का अपना कार्य किया था । ताइवान के मामले में यह सुविधा उपलब्ध

नहीं थी, इसलिए आयोग को अनिवार्यतः अनौपचारिक प्रबन्धों और निजी पक्षों की सहायता पर निर्भर करना पड़ा । हमें ज्ञात हुआ है कि श्री समर गुह ने आयोग को सक्रिय सहायता दी ।

सरकार को आयोग से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि उसकी सलाह से ताइवान में आयोग के जांच कार्य में किसी तरह की कोई रुकावट आई है । वास्तव में, ताइवान में अपने 9 दिन के प्रवास के दौरान आयोग ने उन सभी स्थानों को देखा जिन्हें वह देखना चाहता था और उन सभी गवाहों से भी जिरह की जो आयोग के सामने गवाही देने के लिए आए या श्री समर गुह द्वारा पेश किए गए । हमारी सूचना के अनुसार आयोग ताइवान में अपने कार्य से संतुष्ट है ।

श्री समर गुह : मैं ताइपेह में 11 दिन ठहरा और उन परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जिनमें नेताजी लुप्त हुए थे । ताइपेह में जो विमान दुर्घटना हुई थी उससे कोई ठोस प्रमाण ऐसा नहीं मिला जिससे नेताजी की कथित मृत्यु सिद्ध होती है । वहां उपलब्ध हुए तथ्यों, रिकार्डों, दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर मेरा यह विश्वास बना कि नेताजी की उक्त विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी । मैंने अपने विचारों से प्रधान मंत्री को अवगत कराया था । यदि विदेश मंत्री ने नेताजी जांच आयोग को ऐसा अनुदेश नहीं दिये होते जैसा कि ताइवान के सम्बन्ध में दिये गये थे, तो नेताजी से सम्बन्धित रहस्य अब तक खुल गया होता । मैंने प्रधान मंत्री से यह भी पूछा कि ऐसे अनुदेश क्यों दिये गये, तो उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया । एक पत्र में विदेश मंत्री ने लिखा था कि नेताजी जांच आयोग आपके और आपके दोस्तों के सहयोग पर बहुत हद तक निर्भर करता है । किन्तु खोसला आयोग ने मेरे से कोई भी सलाह नहीं ली है । मेरे से कुछ गवाहों के नाम पूछे गये थे और मैंने बता दिये थे । मैंने यह सफल प्रयास भी किया कि जांच आयोग ताइपेह का दौरा करें जहां वास्तव में विमान दुर्घटना हुई थी ।

मैं ताइवान गया । वहां के लोगों और सरकार ने जांच करने में हमारी अनौपचारिक रूप से मदद की और जो जानकारी उनके पास उपलब्ध थी वह आयोग को दी गई । विदेश मंत्री ने स्पष्ट लिखा था कि भारत सरकार ताइवान की सरकार अथवा उसके किसी विभाग के साथ किसी भी समय सीधा और औपचारिक सम्पर्क नहीं करेगी । साथ ही विदेश मंत्री ने अयोग को यह सुझाव दिया कि आयोग को ताइवान सरकार से औपचारिक सम्पर्क नहीं करना चाहिए और न हीं ताइवान की किसी सरकारी और गैर-सरकारी संस्था का सहयोग उसे औपचारिक रूप से लेना चाहिए । उन्हें यह जांच स्वतंत्र रूप से करनी चाहिए । जब मैंने ताइवान में अधिकारियों से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि इस जांच आयोग को सरकारी तौर पर कोई सहयोग नहीं दिया जायेगा । अनौपचारिक रूप से कुछ संसद सदस्यों ने सहयोग देने का आश्वासन दिया । फिर भी मैंने वहां की सरकार से अनुरोध किया और उनसे कुछ मदद प्राप्त की ।

एक ओर हमारी सरकार ताइवान की सरकार से सीधा संपर्क स्थापित करती, दूसरी ओर जांच आयोग को अनुदेश देती है कि वह ताइवान सरकार से औपचारिक संपर्क न करे । गत कुछ महीनों में सरकारी और गैर-सरकारी 69 भारतीय जहाज ताइपेह में ठहरे । हमारे राज्य व्यापार निगम और एम० एम० टी० सी० के अधिकारी और रेल बोर्ड के अधिकारी वहां नियमित रूप से जाते रहते हैं । हमारी सरकार का आयात-निर्यात व्यापार सम्बन्ध भी वहां की सरकार से है । यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया । सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि वह आयोग के लिए सुझाव मात्र था । किन्तु सरकारी अधिकारी के लिए लिखित सुझाव आदेश से कम नहीं होता । न्यायिक आयोग होते हुए भी उसने सरकारी

अनुदेशों के अनुरूप कार्य किया स्वतंत्र रूप से नहीं । मैं आयोग के जाँच कार्य से संतुष्ट नहीं हूं । चूंकि आयोग को वहां के सरकारी अधिकारियों की सहायता न लेने का आदेश था इसलिए विमान दुर्घटना स्थल के फोटो आदि लेने की अनुमति ताइवान सरकार से नहीं मांगी गई । वहां के मौसम विज्ञान अधिकारी से रिपोर्ट भी आयोग ने नहीं मांगी । जो मृत्यु प्रमाण पत्र वहां की पुरानी फाइल में मिले वे जापानी सैनिकों के हैं, नेताजी के नहीं । मैंने श्री खोसला से अनुरोध किया कि वह वहां तीन दिन और रुकें तो दस या पंद्रह ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनसे यह सिद्ध हो जायेगा कि इस स्थान पर विमान दुर्घटना 1944 में हुई थी, 1945 में नहीं । इतनी महत्वपूर्ण साक्ष्य भी आयोग के सामने नहीं रखी जा सकी । इन सब बातों के आधार पर मैं जांच आयोग के कार्य से संतुष्ट नहीं हूं । यह सब सरकारी अनुदेशों के कारण हुआ । हमारे राष्ट्र के एक महान नेता से सम्बन्धित रहस्य का पता लगाने के लिए हमारी सरकार ने उचित जांच तक कराने की परवाह नहीं की ।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने अपने भाषण में बहुत सी बातें कहीं हैं । उन्होंने कोई बात पूछी नहीं है जिसका मैं उत्तर दूं । उनका यह समझना भी गलत है कि देश में वही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो नेताजी के प्रति श्रद्धालू हैं ।

श्री समर गुह : आपने 27 वर्षों तक क्या किया ? आप विमान दुर्घटना के कथित स्थल को दौरा अब तक क्यों नहीं किया था ।

श्री स्वर्ण सिंह : ये बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा केन्द्रीय कक्ष में अच्छी प्रकार की जा सकती है, यहां नहीं । चूंकि माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं पूछा इसलिए मैं उत्तर क्या दूं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : क्या सरकार नेताजी जांच आयोम को दिये गये सुझाव को सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जी, नहीं । हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): A point of order, Sir, the Hon. Minister has refused to give certain information to the House. He has not said that it is not in public interest to give such an information.

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अपने वक्तव्य में भी बताया है कि तथा माननीय सदस्य के पत्र के उत्तर में भी आयोग को दिये गये सुझाव का सारांश बताया है । सम्पूर्ण विवरण नहीं बताया जा सकता है ——(व्यवधान)

Shri Madhu Limaye (Banka): What does he mean by customary? It is something else, if it is not in public interest.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं । कुछ बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक है । और वह स्पष्टीकरण उस पत्र व्यवहार पर आधारित है जो मंत्री महोदय हमें बताना नहीं चाहते । उस पत्र व्यवहार को देखे बिना यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि अमुक बात का स्पष्टीकरण हो गया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने ताइवान सरकार को मान्यता नहीं दी है । हमने आरम्भ से ही चीन जनवादी गणतंत्र को मान्यता दी है और ताइवान को उसी गणतंत्र का भाग मानते हैं । (व्यवधान) अतः

अतः हमने आयोग से यही कहा कि है यदि वे वहां जाते हैं तो भारत सरकर ताइवान में कोई सरकार नहीं मानती है । इसीलिये हमने आयोग को यह सुझाव दिया कि वे ताइवान सरकार से सरकारी रूप में बात न करें । ....(**व्यवधान**) ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, you are to decide this matter. May I know whether the Hon. Minister can refuse to place it on the Table of the House? He has not said that making the information public is against public interests.

अध्यक्ष महोदय: अब तक जो नियम, प्रक्रिया तथा प्रथा प्रचलित रही है वह यह है कि यदि मंत्री महोदय उचित नहीं समझते हैं तो सूचना पटल पर नहीं रखी जाती है । वह उसका सारांश बता सकते हैं । मंत्री महोदय ने पत्र व्यवहार का सारांश बता दिया है .... (**व्यवधान**) ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के इस नोटिस को स्वीकार किया तो हमारा यह विचार था कि सरकार कुछ कागजात पटल पर रखेगी । श्री गुह ने यह बात प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि ताइवान में कोई दुर्घटना नहीं हुई । अपने तर्क के प्रमाण में उन्होंने कुछ कागजातों से उद्धरण दिये हैं । मंत्री महोदय ने उनका उत्तर देते हुए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है ।

पहले भी सरदार इकबाल सिंह ने नेताजी की भस्मी भारत में लाने के लिये सदन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था । स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को विवादास्पद बताते हुए छोड़ दिया था । यह ठीक है नियम 368 के अन्तर्गत मंत्री केवल सारांश बता सकता है । परन्तु इस विशिष्ट मामले में क्या केवल सारांश बता देना ही पर्याप्त है ?

श्री स्वर्ण सिंह: यदि कोई साक्ष्य है, चाहे मौखिक है अथवा लिखित, तो आयोग समक्ष उसे प्रस्तुत करने के मामले में कोई बाधा नहीं आती है इस बात का निर्णय आयोग ही कर सकता है कि कौन सा दस्तावेज महत्वपूर्ण है ।

श्री श्यामानन्दन मिश्र: मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार ने ताइवान सरकार को मान्यता नहीं दी है । परन्तु इसके उपरान्त भी, इस ताइवान के साथ व्यापार कर रहे हैं । बहुत से सम्मेलनों में ताइवान के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है । इतना होने पर जांच के सम्बन्ध में ताइवान सरकार से सम्पर्क स्थापित क्यों नहीं किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय: इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । व्यवस्था का प्रश्न प्रक्रिया नियमों की व्याख्या के बारे में उठाया जा सकता है । आपने मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा है । आपको अध्यक्षपीठ से तर्क नहीं करना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, you decide yourself whether the statement of the Hon. Minister is a gist or not of the letter written to the Commission.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): यह प्रश्न सदन में तथा सदन से बाहर बार बार उठता है । इस मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिये कि आयोग को क्या सुझाव दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय: नियम पूर्ण रूप से स्पष्ट है । मंत्री सारांश बता सकता है । यदि आप समझते हैं कि मंत्री महोदय ने सारांश भी नहीं बताया है तो मैं मंत्री महोदय से लेकर उस पत्र को देखूंगा

और यदि ऐसी बात पाई जाती है कि मंत्री महोदय ने इस पत्र का सारांश सदन में नहीं बताया है तो मैं इसकी सूचना सदन को दूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1970-71 के लिये नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970–71 के प्रतिवेदन-केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक)–के निम्नलिखित भागों की एक-एक प्रति :—

भाग–चार–केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कार्यकरण का मूल्यांकन ।

भाग पांच–हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी–5463/73]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों के बारे में विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित चौदह विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

चौथी लोक सभा

1. विवरण संख्या 29 छठा सत्र, 1968
2. विवरण संख्या 31 आठवां सत्र, 1969
3. विवरण संख्या 29 नौवां सत्र, 1969
4. विवरण संख्या 32 दसवां सत्र, 1970
5. विवरण संख्या 19 ग्यारहवां सत्र, 1970
6. विवरण संख्या 22 बारहवां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

7. विवरण संख्या 23 दूसरा सत्र, 1971
8. विवरण संख्या 15 तीसरा सत्र, 1971
9. विवरण संख्या 14 चौथा सत्र, 1972
10. विवरण संख्या 8 पांचवां सत्र, 1972
11. विवरण संख्या 6 छठा सत्र, 1972
12. विवरण संख्या 5 सातवां सत्र, 1973
13. विवरण संख्या 6 सातवां सत्र, 1973
14. विवरण संख्या 1 आठवां सत्र, 1973

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 5464/73]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिएसंख्या एल० टी० 5465/73]

नौ सेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नौसेना औपचारिकता सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (चौथा संशोधन) विनियम 1973 ।

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (चौथा संशोधन) विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1973 में अधि-सूचना सा०नि०आ० 13 (उ०) में प्रकाशित हुये थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 5466/73]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सिंगरेनी कोलियरीस कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन की समीक्षा

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) सिंगरेनी कोलियरीस कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1971–72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीस कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गवा देखिए संख्या एल० टी० 5467/73]

नूनोदीह जीतपुर कीयला खान की जांच करने वाले न्यायालय का प्रतिवेदन लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (दूसरा संशोधन) नियम तथा एक विवरण ।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नूनोदीह जीतपुर कोयला खान में 18 मार्च, 1973 को हुई दुर्घटना की जांच करने वाले न्यायालय के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 5468/73]

(2) (एक) लौह-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत लौह-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 380 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया दखिये संख्या एल० टी० 5469/73]

संसद और राज्य विधान मंडलों के उपनिर्वाचन कराने के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER RE. BYEELECTIONS TO PARLIAMENT AND STATE LEGISLATURES

अध्यक्ष महोदय: श्री श्यामनन्दन मिश्र :—मद संख्या—9।

(व्यवधान)

श्री एस० एम० बनर्जी: मैंने बम्बई के बारे में नोटिस दिया है। दिल्ली की हड़ताल के बारे में नोटिस दिया है। यदि यह बात प्रमाणित होती है कि मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है तो मैंने जो कुछ कहा है उसे वापस ले लूंगा। मैंने दिल्ली की हड़ताल के बारे में नोटिस दिया है कृपया आप उसे कल के लिए स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय: मैं हड़ताल के बारे में जांच करूंगा कि कोई हड़ताल हुई है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: श्री श्यामनन्दन मिश्र।

आप कृपया बैठ जाइये। प्रत्येक बात को इस ढंग से तय नहीं करना चाहिये। हमें नियम और प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य करना है।

(व्यवधान)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): दिनांक 6 अगस्त, 1973 के उप-चुनाव सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मेरे एक प्रश्न के उत्तर में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उनमें कतिपय गलत तथ्य दिये गए थे। मैंने जो शिकायत की है उसके संदर्भ में यह कहना है कि जो स्थान श्री वी० आर० मोहन के असामयिक निधन के कारण रिक्त पड़ा है उसके चुनाव करने में अत्यधिक विलम्ब किया गया है, हालांकि उत्तर प्रदेश निर्वाचन कार्यालय ने चुनावों का कार्यक्रम देकर एक अधिसूचना जारी की थी। तत्पश्चात् मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन कार्यालय ने 12 अप्रैल को एक अधिसूचना परिचालित की थी कि 28 अप्रैल को नामांकन-पत्र लिये जाएंगे और चुनाव 11 मई को होगा। क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि यह केवल एक सुझाव था और इसे अधिसूचना के रूप में परिचालित नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि यह अधिसूचना नहीं थी। यह निर्वाचन आयुक्त द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सुझाव दिया गया था और तत्पश्चात् उसने उसे परिचालित किया और उसके बारे में आपत्तियां आई भी, मंत्री महोदय का यह दावा नितांत गलत है।

उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के महामंत्रियों को मुख्य निर्वाचक अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा भेजे दिनांक 12 अप्रैल, 1973 के पत्र में स्पष्ट, निश्चित और यथातथा कार्यक्रम अधिसूचित है जिसे भारत में निर्वाचन आयोग के अन्तिम रूप में निश्चित किया था।

दस्तावेज में कहीं भी किसी तरह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में यह नहीं बताया गया कि यह एक अस्थाई कार्यक्रम है जो राजनितिक दलों के सुझावों तथा सलाह या परामर्श पर निर्भर होगा। यदि ऐसा है तो मंत्री महोदय ने गलत तथा भ्रामक वक्तव्य दिया है।

दस्तावेज से स्पष्ट है कि (क) वे सुझाव उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नहीं था, (ख) उसे सुझाव अथवा आपत्ति आमंत्रित करने के लिये परिचालित नहीं किया गया था तथा (ग) यह एक निश्चित और अंतिम कर्यक्रम था, जिसे सब सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी के लिये परिचालित किया गया था।

इसी आधार पर मैंने यह मांग की है कि एक सुनिश्चित निर्धारित तथा अन्तिम कार्यक्रम के बिना किन्हीं कारणों क्यों रद्द किया गया। यह तर्क कि यह कार्यक्रम किसी विरोधी दल के अनुरोध पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया गया है, कार्यक्रम की निश्चयात्मकता और इस प्रकार के किसी पूर्वोदाहरण की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुये विश्वासोत्पादक नहीं है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): अध्यक्ष महोदय, श्री श्यामनंदन मिश्र, संसद्-सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि लोक सभा और विधान सभाओं के कतिपय उप-निर्वाचन कराने में हुए असामान्य विलम्ब के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान मैंने गलत और भ्रामक वक्तव्य दिया है।

2. मूल विषय, सदन की कार्यवाहियों से लिए गए निम्नलिखित कथनों से सम्बन्धित है, जो स्वयं श्री मिश्र द्वारा उद्धृत किए गए हैं।

"**श्री मिश्र**: ... क्या माननीय मंत्री का यह कथन है कि यह केवल एक सुझाव के रूप में था और यह कोई निकाली गई अधिसूचना नहीं थी?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी: यह अधिसूचना नहीं थी; ....."।

3. प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के सभी राजनैतिक दलों के महासचिवों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा तारीख 12 अप्रैल, 1973 को जारी की गई संसूचना, अधिसूचना नहीं थी, मैंने कहा था कि "**यह अधिसूचना नहीं थी**"। मैं सदन को अपनी ओर से पूरी तरह विश्वास दिलाना चाहूंगा यकि यह वक्तव्य देते समय कोई गलत या भ्रामक वक्तव्य देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। राज्य सभा के किसी स्थान को भरने के लिये उप-निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 और 56 के साथ पठित धारा 147 के उपबंधों द्वारा विनियमित किए जाते हैं। राज्य सभा में होने वाली किसी रिक्ति की दशा में, निर्वाचन आयोग द्वारा धारा 147 के अधीन एक अधिसूचना जारी की जाती है, जिसके साथ ही दो अन्य अधिसूचनाएं धारा 39 और धारा 56 के अधीन जारी की जाती है, जिनमें उप-निर्वाचन का कार्यक्रम और मतदान का समय उपदर्शित होता है। इन सबको राजपत्र में प्रकाशित करना होता है। उप-निर्वाचन के सभी मामलों में उपरोक्त प्रक्रिया का अनिवार्यतः अनुसरण किया जाता है और निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जाने वाले किसी उप-निर्वाचन के कार्यक्रम को केवल उसी बात से दृढ़ विधिक आधार प्राप्त होता है। अतः इस बात को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी से राजनैतिक दलों के महासचिवों को पत्र के रूप में जो संसूचना भेजी जाती है, उसमें यद्यपि "निश्चित" शब्द का प्रयोग होता है, तथापि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संबंधित धाराओं के अधीन विधिमान्य अधिसूचना की प्रतिस्थानी नहीं हो सकती है।

4. ऊपर बताए गए कारणों से ही मैंने उस समय यह कहा था और वही बात मैं अब दोहरा रहा हूं कि **मुख्य निर्वाचन अधिकारी वह संसूचना, जिसके प्रति श्री श्यामनन्दन मिश्र ने निर्देश किया है, निर्वाचन विधि के उपबन्धों के अर्थ में अधिसूचना नहीं है।**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्नों का स्पष्टीकरण नहीं किया है । उन्होंने कहा है कि यह एक प्रकार का सुझाव था किन्तु दस्तावेज से ज्ञात होता है कि यह कार्यक्रम अन्तिम रूप से निर्धारित था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तथा मंत्री महोदय अपनी अपनी बात कह चुके हैं ।

Shri Shyam Nandan Mishra : In reply to my question whether the Election Commission issues any notification regarding fixation of programme, the hon. Minister stated that it was in the nature of suggestion. Every programme is finalised after having consultation (*Interruptions*).

Shri Madhu Limaye (Bhanka) : On a point of order, Sir. If you are convinced that the hon. Minister has misled the House, you should pull up the Minister to avoid such wrong statements by the Ministers in future.

Mr. Speaker : I am not a judge here to give verdicts.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वरिष्ठ मंत्री से वक्तव्य देने तथा स्थिति को स्पष्ट करने के लिये कहिये ।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य दिया जा चुका है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि किन्हीं आशंकाओं का स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया जाता तो क्या अध्यक्षपीठ इस सम्बन्ध में आदेश नहीं दे सकते ?

अध्यक्ष महोदय : वह चर्चा की सूचना दे सकते हैं तथा शेष बात सदन के ऊपर छोड़ देनी होती है । (**व्यवधान**) यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो वह चर्चा की सूचना दे सकते हैं ।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : क्या इस स्थिति में हमें चुनाव आयुक्त को पत्र लिखने तथा उससे तथ्यों का पता लगाने का अधिकार है ?

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को इतना अधिकार न दो कि नियमों का उल्लंघन करके वह सब कुछ कर सके ।

Shri Madhu Limaye : Sir, you should ask the hon. Minister to apologise.

श्री पी० के० देव : महोदय, 1969 में श्री जवाहरलाल नेहरू ने मुझ से तथा सदन से क्षमा मांगी थी । यह रिकार्ड पर है ।

Mr. Speaker : An experienced person should not be made a speaker, I think.

नियम 377 के अधीन मामला

Matter Under Rule 377

केरल में बैगनों का उपलब्ध न होना

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं सदन का ध्यान देश के अकालग्रस्त क्षेत्रों में विशेषकर केरल में चावल ढोने के लिये माल डिब्बों की कमी की ओर दिलाना चाहता हूं । समाचार पत्रों के अनुसार

मान्यता प्राप्त एजेन्सियों ने नेपाल से लगभग 5 000 टन चावल खरीदा है किन्तु माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण उस चावल को नहीं लाया जा सका। केरल के नेता जनता को चावल उपलब्ध कराने का यथा सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं।

मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उत्तर बिहार में नेपाल की सीमा पर जगलानी नामक रेलवे स्टेशन पर व्यापारियों द्वारा चावल जमा किया जा रहा है। यह भी ज्ञात हुआ है कि उस स्टेशन को अलाट की गई बैगनों को किन्हीं अन्य स्टेशनों पर भेज दिया गया है। उससे स्थिति और गम्भीर हो गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले की यथा शीघ्र जांच की जाए तथा आवश्यक कदम उठाए जाएं।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : इसके लिये में माननीय सदस्य का आभारी हूं। खाद्यान्न ढुलाई के मामले में केरल के मुख्य मंत्री से बात चीत हुई थी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल को चावल ढुलाई के लिये बनाये गये कार्यक्रम को रेल मंत्रालय क्रियान्वित कर रहा है तथा कल तक केवल 50 माल डिब्बों की मांग पूरी नहीं की जा सकी थी जिसे आज पूरा किया जा रहा है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1973-74

Supplementary Demands for Grants (Railways), 1973-74

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये हमने दो घंटे का समय निर्धारित किया था जिसमें से एक घंटा व्यतीत हो गया है। मंत्री महोदय कितना समय लेगें।

श्री एल० एन० मिश्र : लगभग 25 मिनट।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gawalior) : Kindly, let me conclude my speach.

Mr. Speaker : Please conclude it in two minutes.

Shri Atal Bihari Vajpayee : In the democratic system council of Ministers is answerable to the Parliament. Members have the right to criticise the working of any Government Department. But it is not proper to make changes against the officers since they are not present here to defend themselves. During the discussion on the Railway Budget, Railway Board is generally attacked. But we should not discount the achievements of the Railway Board. (*Interruptions*) During the period of crisis in Bangladesh our Railways played a significant role and we congratulated that Ministry in this House. (*Interruptions*)

So far as the non-availability of wagons is concerned, there is no shortage of wagons in the country. It is the mismanagement which has created this problem. According to the Railways Convention Committee, "It would appear that the Railways have sufficient surplus lines and wagon capacity to handle additional traffic. The constraints would appear to be mainly the law and order problem, thefts of parts, labour troubles and operational in efficiency." I would like to lay more emphasis on operational inefficiency.

Government should take steps to see that sufficient number of wagons are manufactured by the private wagon manufacturers. Approval can also be given for the setting up of a new plant in public Sector for this purpose, if Government so desires.

I am opposed to the attitude adopted by the Railways Ministry in regard to giving recognition to the Trade unions in Railways. I would like to suggest in the connection that Trade union should be recognised in such a way that all the categories of service could be represented. Government should try to remove the difficulties faced by various categories of employees.

The priniciple of 'one industry one union' has already been abondoned. If two unions can be formed in railways, why not three. One union should be formed which should have representatives of all categories of employees. It should not be a federation on confederation. Those categories of employees who are scattered. cannot put their demands effectively. Hon. Minister should pay attention to it

कुछ माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा मैं एक घंटा समय बढ़ाता हूं । किसी भी सदस्य को तीन-चार मिनट से अधिक समय नहीं दिया जायेगा ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): Sir, I congradulate the Minister for bringing into existence a Railway Service Commission for N. E. Railway and for the statement that an over bridge will be constructed on Chhitauni Ghat.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Dy. Speaker in the Chair:

I request the Minister that broad gauge line should be extended to from Mujaffarpur to Motihari and from Motihari to Raxaual or Wagha. I also request the Minister to lay a railway line parallel to Gandak river from Gopalganj to Chappra *via* Sidhawalia. It will provide great facility to the people of Champaran and Mujaffarpur Districts. A railway bridge should be constructed over Ganges river so that there may be permanent link between North Bihar and South Bihar even in days of flood in the Ganges.

I want to suggest that we should represented in the Time Table Committee. I also suggest that some reservation of posts should be made for the people of backward areas. With these words I conclude.

श्री मोहनराज कलिंगरायर (पोलची) : कुछ सदस्यों ने सरकार मंत्रालय और नौकरशाही की आलोचना की और कुछ ने उनकी प्रशंसा की । किन्तु मंत्री की उपेक्षा करके नौकर शाही आदि या रेल व्यवस्था के कार्यकरण पर छींटाकशी करना मेरी समझ में नहीं आता । सदस्यों को मंत्री महोदय की कटु आलोचना करनी चाहिए । न कि कर्मचारियों की चूंकि मंत्री सभा के समक्ष उत्तरदायी हैं ।

मांग संख्या 2, 14 और 15 के सम्बन्ध में निवेदन यह है कि पूर्व रेलवे दक्षिण-पूर्व रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के लिये जो राशि रखी गई है, वह सांकेतिक अनुदान मात्र है । ऐसा लगता है कि रेलवे का विकास राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता बल्कि मंत्री विशेष की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है । एक मंत्री महोदय ने जयन्ती जनता एक्सप्रेस चलाई थी तो दूसरे ने आते ही उसे बन्द कर दिया । देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है देश में बैगनों की कमी है, दूसरी ओर

वर्तमान रेलवे मंत्री बिहार में राजनीति की गुत्थियां सुलझा रहे हैं – किसी को मुख्य मंत्री पद से हटा रहे हैं तो किसी को उस पर बैठा रहे हैं। श्री टी० ए० पाई ने एक बार कहा था कि यदि माल डिब्बे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों तो देश की आर्थिक समस्या पचास प्रतिशत हल हो सकती है। मैं इस विचार से सहमत हूं। अतः माल डिब्बों की कमी दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे पर भी माल डिब्बों की भारी कमी है। यह समस्या हल की जानी चाहिए। जिप्सम के मिल मालिकों का एक पत्र मेरे पास है जिसमें यह लिखा है कि यदि माल डिब्बों की समस्या हल न की गई तो 10,400 मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। ट्यूटीकोरन परियोजना तेजी से प्रगति पर है। यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसमें मीटर-गेज लाईन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए। मद्रास से तिरूलवेली तक की मीटर गेज लाइन को भी बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिए। कोयम्बटूर और मदुराई को बड़ी लाइन से जोड़ा जाना चाहिए। सलेम संयंत्र को निवेली से जोड़ा जाये। नीलगिरि एक्सप्रेस को डीजल से चलाया जाये। दक्षिण में मालडिब्बों की उपलब्धता पर अधिक ध्यान दिया जाये जिससे वहां लघु उद्योगों पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। इन शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे लिये समस्या यह है कि सभी ओर से मेरे पास चिटें आ रही हैं। समय कम है और सबको अवसर देना सम्भव नहीं है। अतः मैं अब उन राज्यों के सदस्यों को अवसर देना चाहूंगा जिसके सदस्य अभी तक नहीं बोले हैं। दूसरा अनुरोध यह है कि सदस्यगण अनुपूरक मांगों के विषय तक ही सीमित रहें।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, At the outset I would like to invite the attention of the hon. Minister towards the retrenchment being done in Jamalpur Workshop. There the strength has been reduced to eight or nine thousand from 22,000. I suggest that more jobs should be created there in order to avoid further retrenchment. I think the denial of bonus to the railways employees is resulting in justice to them, because railway is an earning industry. There is no railway line on our Western coast between Mangalore to Bombay. This place is backward but it has its strategic and commercial importance, so a line should be constructed here on a war footing. I also request that Mandar railway should be extended to Tumka and Deoghar as promised by him already.

Assurances had been given for running a train to Assam via Bhagalpur and Patna Daltonganj train there should be implemented. Gaya and Deogarh should be connected by train.

Some young men of Juhu prepared a blue-print for a Rapid Rail transit system for Bombay. I had written a letter to the Prime Minister in this regard. Railway officials had held discussions with these young people but now they have made a false point of prestige and refused to implement the plan. The hon. Railway Minister should personally look into it and implement it.

श्री तरुण गोगोई (जोरहट) : रेलों में सुविधाओं की दृष्टि से कुछ प्रगति अवश्य हुई है परन्तु देश की आवश्यकताओं के अनुसार यह प्रगति अपर्याप्त है। हजारों मील लाईनें बिछाई गई हैं मीटेर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला गया है परन्तु यह एकरूपता से नहीं हुआ है। इस दृष्टि से देश के पिछड़े क्षेत्रों को ओर, विशेष रूप से आसम, नागालैंड मेघालय मनीपुर त्रिपुरा और अरुणाचंल जैसे क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों का देश के लिये सामरिक महत्व भी है,। यह क्षेत्र संसाधनों से भी भरपूर

हैं। परन्तु फिर भी इन क्षेत्रों में व अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक अन्तर आता जा रहा है। इस स्थिति के लिये काफी सीमा तक रेलवे उत्तरदायी है।

प्रादेशिक असमानताओं को दूर करना हमारी नीति का प्रमुख उद्देश्य है परन्तु रेलवे सुविधाओं के विषय में रेलवे विभाग उक्त नीति के विरुद्ध चल रहा है। असमानताएं दूर करने के स्थान पर रेलवे की नीति से असमानताओं में वृद्धि हुई है। उदाहरणतया, असम राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है। वहां चाय का बहुत अधिक उत्पादन होता है, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस वहां पर उपलब्ध है कोयला वहां पर है। परन्तु फिर भी असम पिछड़ा प्रदेश है।

स्वाधीनता के पश्चात् से हम बड़ी लाईन की मांग कर रहे हैं। प्रत्येक रेल मंत्री द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा परन्तु इसे कभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया। जो भी सुविधायें उपलब्ध हैं अंग्रेजों के समय से ही चली आ रही हैं। देश में 60,000 किलोमीटर रेल लाईनें है इनमें से 30,000 किलोमीटर में बड़ी लाईन है। परन्तु असम का भाग इसमें से 100 किलोमीटर भी नहीं । असम, बिहार, बंगाल, मेघालय, अरूणाचल और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने रेल मंत्री को अभ्यावेदन दिया था तथा रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि असम के लिये बरास्ता फारखा एक नई रेलगाड़ी जुलाई से चलाई जाएगी। परन्तु अभी तक इसे नहीं चलाया गया है। इस संबंध में निश्चित रूप से बताया जाये कि गाड़ी कब से चलाई जायेगी।

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : उड़ीसा के लोग मांग करते रहे हैं कि निर्यात उद्देश्य से परादीप बन्दरगाह तक लौह अयस्क ले जाने के लिये जनेखुरा बांसपानी लाईन का निर्माण किया जाये। वर्तमान रेल मंत्री के अधीन जब विदेश व्यापार मंत्रालय था तो उन्होंने स्वयं भी इस की आवश्यकता को स्वीकार किया था परन्तु अभी तक बजट में इस के लिये व्यवस्था नहीं की गयी है।

उड़ीसा में दो छोटी लाईनें हैं। वहां की जनता तथा राज्य सरकार की मांग है कि इन्हें बड़ी लाईन में बदला जाय। जब तक इन्हें बड़ी लाईनों में नहीं बदला जाता तब तक व्यापार तथा उद्योग का विकास नहीं हो सकता। अब ऐसा सुना जा रहा है कि अलाभप्रद होने के कारण इन्हें बन्द किया जा रहा है। रायरंगपुर, गुनुपुर, और रायगौडा के आदिम जाति क्षेत्रों के विकास के लिये भी इन्हें बड़ी लाईन में बदलना जरूरी है।

उड़ीसा की डी० बी० के० लाईन का अधिकतर भाग कोरापुट जिले में से गुजरता है। यह क्षेत्र दुरूह व पहाड़ी है। रेलवे अधिकारियों ने अदूरदर्शिता दिखाकर इसे एकहरी लाईन बनाया परन्तु अब कोरापुट जिले के विकास की दृष्टि से यह अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। अतः इस जिले के खनिज एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से इसे दोहरा बनाया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : रेलवे हमारा सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। इस विभाग के मंत्रियों को शीघ्रतापूर्वक बदला जा रहा है जो कि उचित नहीं। रेलवे में आवश्यकता से अधिक पूंजी लगी हुई है। परन्तु किसी भी मंत्री ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

आज वैगनों की कमी की बात की जा रही है परन्तु कुछ समय पूर्व एक प्रस्ताव था कि ऐसे वैगनों का निर्माण किया जाए जिनकी छतें आवश्यकतानुसार हटाई जा सकें जिससे कि कोयला क्षेत्रों से कोयला ले जाने बाले वैगनों में वापसी पर अन्य वस्तुएं भरी जा सकें क्योंकि कोयला के लिये सामान्यता खुली छत की वैगन उपयोग में लाई जाती हैं और खाद्यान्न व अन्य माल के लिये छतदार। परन्तु इस

बारे में आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार आर्थिक तथा कार्य संचालन सुधार की दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब तक इस दिशा में पर्याप्त सुधार नहीं किये गये रेलवे द्वारा लाभ की आशा करना व्यर्थ है।

मार्टिन बर्न रेलवे का प्रतिदिन 35–40 हजार व्यक्ति उपयोग कर रहे थे। इनमें से अधिकतर समाज के कमजोर वर्गों के थे। परन्तु अब इस रेलवे को बंद कर दिया गया है। इस रूट पर बसें चलाई गई हैं। उन पर यात्रा के लिये 55 रु० मासिक किराया देना पड़ता है जबकि रेलगाड़ी की यात्रा पर 15 रु० से मासिक टिकट बन जाता था। इस बात की ओर ध्यान दिया जाये कि क्या 100–150 रुपये प्रतिमास कमाने वाला 55 रु० बस यात्रा करने पर व्यय करने का सक्षम है। क्या यही समाजबाद है? इस रेलवे को बन्द करवाने के लिये सड़क परिवहन के दलाल जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक उपक्रम होने के कारण रेल परिवर्तन को असफल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। हम मूक दर्शक बने बैठे हैं। पूर्वी रेलवे ने इस बारे में एक समिति का गठन किया है। उक्त समिति ने सिफारिश की है कि इस रेलवे को चालू रखा जाना चाहिये। इस समिति में अनेक विशेषज्ञ भी थे परन्तु रेलवे बोर्ड के गैर-तकनीकी अफसरों ने उक्त समिति के विशेषज्ञों की सिफारिशों को ताक में रख दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय क्षेत्र का बहुत विस्तार कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन और रेल परिवहन इन अनुपूरक अनुदानों से संबद्ध नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं चाहता हूं कि पूर्वी रेलवे की इस विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये जिससे कि उस पर चर्चा की जा सके। मैंने अनेक बार रेल मंत्री को डम-डम रेलवे लाईन के विस्तार के बारे में लिखा। इस क्षेत्र की आबादी बहुत अधिक है। कृषि संभावनाएं भी इस क्षेत्र की काफी है। अतः सरकार को अपना हठ त्याग कर बरास्ता नूरपुर और डायमंड हार्बर नायपाना तक इस का विस्तार करना चाहिये।

विदेश व्यापार मंत्रालय के एक भूतपूर्व सतर्कता अधिकारी को रेल मंत्रालय में विशेष पद पर नियुक्त किया गया है। इनके विरुद्ध अनेक आरोप हैं। इनके लड़के के नाम पर 150 तकुओं के लाईसेंस हैं। ये चार बार विदेश गये और चारों बार विदेशों से टेलीविजन लेकर आए। क्या ये आप के लिए इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं?

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : चार दक्षिणी राज्यों में वैगनों की बहुत कमी है। विभिन्न राज्यों के बीच इनका वितरण समुचित नहीं होता। दक्षिणी राज्यों में कहीं भी जाएं यही सुनने को मिलता है वैगनों की कमी के कारण खाद्यान्न, उर्वरक, कोयले और सीमेन्ट की कमी हो रही है। केन्द्र ने मैसूर राज्य को 10,000 टन माइलों का आवंटन किया है परन्तु उसे सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए वैगन उपलब्ध नहीं हैं। वैगनों के आवंटन के बारे में रेल अधिकारियों और मुनाफाखोरों के बीच गठजोड़ है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इस सदन के प्रति मंत्री महोदय उत्तरदायी हैं न कि उनके अन्तर्गत कार्य करने वाले अधिकारी। अतः मंत्री महोदय इन अधिकारियों पर ही विश्वास न करके महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं करने चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा मंगलौर-बम्बई लाईन की स्वीकृति की घोषणा कर देने के बाद भी इन अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि वे इस बारे में कुछ नहीं जानते।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : रेलवे के सामने इस समय बहुत सी कठिनाइयां व समस्याएं हैं इनमें से कुछ तो प्राकृतिक कारणों से हैं व कुछ हमारी स्वयं की बनाई हुई हैं। हमारे देश के सामने इस समय अनेक समस्याएं हैं अतः रेलवे कर्मचारियों और मजदूर नेताओं से मेरा अनुरोध है कि रेलों के संचालन आदि के बारे में और समस्याएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य को हाल ही में रेलवे मानचित्र में लाया गया है। यह कार्य बहुत ही गति से किया गया है। जो कि सराहनीय है। अनुपूरक मांगों में देश में विभिन्न भागों में सर्वेक्षण आरम्भ करने का उल्लेख है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री ने काश्मीर घाटी में मीटर गेज रेल लाईन बिछाने की संभावना का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने का आश्वासन दिया था। क्या यह सर्वेक्षण किया जायेगा अथवा नहीं ?

वैगनों के संचालन के बारे में रेलवे अधिकारियों और जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच एक विवाद खड़ा हो गया है। देश के विभिन्न भागों से कोयला लाने के लिये जम्मू-केश्मीर राज्य को दो-तीन रेक दिये जा रहे हैं। इस संबंध में रेल मंत्री को व्यक्तिगत रूप से जांच करके इसके कारण ज्ञात करने चाहिएं। रेलवे बोर्ड का सुझाव है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में कोयला ले जाने वाले वैगनों में वापसी पर कालाकोट खान का कोयला भर कर भेजा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोयले की कमी है। अतः देश के अन्य भागों के लिए वहां से कैसे कोयला भेजा जा सकता है ? रेल मंत्री को व्यक्तिगत हस्तक्षेप से इन कठिनाइयों को दूर करना चाहिए।

Shri Ramautar Shastri (Patna): Entire Railway System should be taken away from the control of Railway Board and entrusted to a new Corporation. When there are different corporations in the country for other purposes, there is no need to keep Railways under the Railway Board.

During the recent strike of the Loco Running Staff the hon. Minister took steps to undo the victimization to the staff. He should adopt similar attitude towards Station Masters of Western Railway also. More than a dozen employees have been suspended or dismissed from service at Danapur. In order to obtain co-operation from unions and labourers all such cases should be looked into.

Railway bridge has been demanded at Patna. This bridge can contribute much towards the development of North and South Bihar. Hence it should be constructed early. Railway track from Mughal Sarai to Asansol has not been electrified and it causes inconvenience to the public. This track should also be electrified. So long as it is not done, train should be run with diesel engines on this portion of the track.

There is a narrow-gauge line from Fatooha to Islampur and Agra to Sahasram in Bihar. These lines serve the public and running in profit. There has been agitation that these lines should be taken over by the Government and if possible converted into broad gauge.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): Madhya Pradesh is the most backward State in the country and one third of its population is that of the Harijans and Adivasis. From North to South, there is only one railway line upto Bombay which touches this State.

Bundel Khand is the most backward area of the State. 40 lakh of the people have been dacoit-affected since Independence. The problem of dacoity is there because there is no development of this area and also that there are no avenues of employment. No factories could be opened here for want of infra-structure, power, railway lines and roads. And Railway authorities refuse to lay any railway line until there are factories etc. I want to know why the proposals from the Government of Madhya Pradesh for the construction of a railway line from Lalitpur to Barda via Tikamgarh, Chhatarpur and Khajuraho and also one from Tikamgarh to Jabbalpur could not be taken up so that the areas could be developed and certain industries could be set up there.

A survey by the Central Government and also by the Govt. of Madhya Pradesh has established large deposits of Manganese, copper and lime stone at two places. Besides that Tikamgarh district has got plenty of wheat, fishes, green vegetables and timber wood. But despite that the people get no development facilities for want of transport means.

Then, the office-bearers in the Railway Employees Unions continue to hold this posts for even upto 10 years. They also exercise influence on the authorities. The employees who do not wish to join these unions are harassed and are transferred to very distant places. I would request that adequate steps should be taken to protect these employees.

The position regarding supply of wagons for transportation of foodgrains etc. and also the punctual running of passenger trains should be improved.

Shri Nagendra Prasad Yadav (Sitamarhi): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the demands for grants of the Ministry of Railway and also to thank you for the opportunity given to me to express my views.

My first request is that an express train should be run on 200 miles long railway line from Pahlejapat to Narkatiaganj via Darbhanga. Since it takes 18 hours for a passenger train to cover this distance. It would benefit 3 crores people of North Bihar and also one crore people of Tarai area.

Secondly, the project of laying a railway line between Muzaffarpur and Sonversa was dropped by the Britishers for the reason that the people of North Bihar took active part in 1942 movement. Let the hon. Minister now revive it as early as possible.

Thirdly, a road bridge is being constructed in Patna. If it is made a railway-bridge also, it would save a lot of time of the people of North Bihar to reach the capital of the State.

Shortage of wagon has resulted in the shortage of coal in North Bihar. Supply of wagons should, therefore, be improved there.

Butler Factory, which had been manufacturing wagon since long was closed a year back. Let this factory be taken over and run by the Government.

I thank the hon. Minister for the efforts of constructing a bridge on Chhatauni Ghat and request him to expedite the work thereon.

There are quite a number of discrepancies and irregularities in the Railway Time Table. I request that the MPs of the areas should be enrolled in the Time Table Committee for the areas, so as to enable them to give their opinion in the matter.

Thank you for the time given to me.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shehdol): I rise to support the Supplementary Demands for Grants of the Railways and also praise for the steps taken to construct new lines in place of old lines. But at the same time I request that this work should be done in all its completeness and in a better way.

Secondly, I would like to know the criteria for laying new lines and also whether there is any Cabinet Committee or only the Minister of Railway decides as to where the new lines should be constructed and the wagons allotted. I would urge that the backward areas with industrial potential should be given priority.

May I know whether the present broadening of the already closed Shahdara-Saharanpur line is due to the fact that the Congress has returned to power?

In Shahdol wooden material is equal to 25 lakh wagon loads has been lying there for want of wagons. This has resulted in the rise of prices of this material.

The people of Katri, Vyohari and Sirgranli have yet to see a passenger train. There are very backward areas. So, there should be passenger train between Katri and Sirgranli forthwith.

A demand for constructing an under-ground in Shahdol has been hanging for the last 30 years. Also there should be a new line from Shahdol Dindouri Mandala and Nainpur.

No results have come out of the survey for a new railway line in Vindhya Pradesh in 1956. It is a backward Tribal area which has not got seen a passenger train. Please arrange for a new line there immediately.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): I welcome and support the Railway Supplementary Budget.

Until the Railway's income increases and the expenditure is produced, it is very difficult to go on with the development work in the country. May I know the measures having taken up to make up the deficit of Rs. 30 crores in the Railway's income and also to arrange for the transportation of 300 million tonnes of goods during the next fifth plan period?

As regards compensation, it should be raised from Rs. 20,000 to at least Rs. 50,000 in case of death in a railway accident. Besides that electrification of railway lines should be expedited.

I would also like to know about the progress make in refund to recommissioning of Shahdara-Shaharanpur line since it passes through a densely-populated area and being mandis. Also what is being done in respect of the proposed railway line from Bhatani to Mudwadih and Banaras? May I know whether he would make efforts to extend the Gorakhpur Chhitoni line upto Bagaha and whether the bridge would have both the road and railway crossing facilities?

What is the present position in regard to railway lines between Gorakhpur to Navtanva and Gorakhpur to Gonda was Nepal Border? Do you propose to convert the same with broad gauge?

Finally, I would request the hon. Minister to reply to the points raised by me and also take up the work expeditiously.

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसीरहाँट) : मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

उड़ीसा विशेषतय: एक ऐसा राज्य है कि जहां रेलवे लाईन नहीं है और उसके विकास के लिये यह परमावश्यक है कि उसे मुख्य रेलवे लाईनों से सम्बन्द्ध किया जाये। त्रिपुरा में पटसन उद्योग तथा डाक जूट मिल की स्थापना हो रही है अत: जब तक अगरतला को एक मुख्य रेल लाईन के साथ नहीं जोड़ा जायेगा बहां के लोगों को अपने पटसन का लाभ नहीं मिल पायेगा। इसलिये त्रिपुरा को एक मुख्य रेल लाईन से जोड़ने पर गंभीरता से विचार किया जाये।

कलकत्ता से लेकर बंगला देश तक फैले मेरे चुनाव क्षेत्र के 16 लाख लोगों के लिये केवल 16 मील लम्बी रेल लाईन है तथा कलकत्ता तक कोई लाईन सीधी नहीं जाती। बहां 19वीं शताब्दी का डाक भांप इजन चलता है। मेरा सुझाव है कि उक्त रेल लाईन का विद्युतीकरण भी किया जाये।

त्रोनगांव के प्रतिदिन लाखों लोग कलकत्ता जाते है अत : वहां इकहरी लाइन को दोहरी लाइन बनाने के लिये लम्बी अवधि में अनिर्णित पड़े प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय किया जाये।

इस प्रकार सुन्दरवन भी कलकत्ता से जुड़ा हुआ नहीं है। यह प्रस्ताव भी लंबे समय से अनिर्णित पड़ा है। सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करके तुरन्त निर्णय करे।

Shri Ramkanwar (Tonk): The people as well as MPs of Rajasthan have been demanding a railway line in Tonk District since the very first elections in 1952 but nothing has so far been done in this connection. The hon. Minister has only pointed out that there are no industries there. Now who is to set up industries there? Only the Congress men can do it since they get funds for their party whereas my constituency having majority of Muslims and Sheduled Castes has been returning only an Opposition candidate. We have been demanding for a railway lines from Kota to Ajmer and from Parvatsar to Kighangarh in Tonk area which is District Headquarter also. I request the hon. Minister to look into these requests favourably.

Secondly, the percentage of employees from Scheduled Castes and Minority Communities is only 3.88 in class I, 3.25 in class II and 8.68 in class III and 17.61 in class IV services of Railways. Excepting class IV services, their quota is not complete. May I know how many promotions have been given to these employees in the rest of the services?

Finally, I once again request for a new railway line from Kota to Ajmer via Dyori Kekri.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोले ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : मैंने आपको लिखकर दिया था मुझे 5 मिनट भी बोलने को नहीं दिये गये । जो जोर से बोलते हैं आप लोग उन्हें ही समय देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम निर्धारित समय में भी आगे बढ़ गये हैं । वैसे बिहार के कई सदस्य बोल चुके हैं । आप कृपया बैठ जायें । (व्यवधान)

श्री डी० एन० तिवारी : आप मेरी बात सुनकर उसका उत्तर तो दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुन चुका हूं । आप कृपया बैठ जाइये । मैं किसी को यह समझने देना चाहता कि उसको बोलने का हक नहीं दिया गया है । बात तो केवल समय-सीमा की है । मुझे तो समय का ध्यान रखना है । वैसे सभा चाहे तो कुछ भी कर सकती है ।

डा० हेनरी आस्टिन : प्रश्न तो यह है कि श्री तिवारी ने आपको दिक्षा कर दिया था और वह प्रतीक्षा करते रहे कि आप उन्हें पुकारेंगे । मगर आपने नहीं बुलाया एक वरिष्ठ सदस्य की इस प्रकार उपेक्षा तो नहीं की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी की उपेक्षा नहीं करता मेरी कठिनाई यह है कि समय की सीमा है ।

कुछ माननीय सदस्य : आप समय क्यों नहीं बढ़ा देते ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा यही चाहती है तो मुझे क्या आपत्ति है । हम बढ़ा देंगे । श्री डी० एन० तिवारी बोले ।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj): The debate shows that not the Supplementary Demands for Grants but the General Budget of the Railways is being discussed and that is why I presume that the time limit exceeded has in discussing irrelevant issues.

My first point is as to why do you propose to have investigation for constructing bridges and railway lines. Why don't you first manage the existing lines, bridges and ships? Which you are not capable to manage at present? Yop had provided a transport ship (meant for carrying cattles and goods) for the use of passenger in North Bihar but that two has not been running regularly and punctually. People have to wait for 8 to 12 hours. You can well imagine the loss of man power and other things as a result thereof.

Now there is a new crises in respect of coach supply. 20 trains have been cancelled in Samastipur and still you claim the Railway Board and its Transport Members are working very efficiently.

The trains were cancelled as coal was not provided to the E Section of Samastipur Division. Thousand of passengers were compelled to be detained on stations like Chhapra due to cancellation of trains....

उपाध्यक्ष महोदय : यात्रियों की कठिनाइयां इन तीनों मांगों के विषय से बाहर हैं ।

Shri D. N. Tiwary: There is hardly any justification of laying new lines when you can not run the old ones properly. What are the reasons for not providing coal to the trains? Who is responsible for it?

उपाध्यक्ष महोदय : इन मांगों के विषय के बीच कोयला कहां से आ गया ?

श्री डी० एन० तिवारी : मैं केवल मंत्री महोदय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर ही बोल रहा हूं ।

The railways are not providing facilities to the common man. The condition of railway in Samastipur Division of North Bihar is most unsatisfactory.

I would request the hon. Minister to construct a bridge at Patna.

श्री नारायण चन्द्र पाराशर (हमीरपुर) : मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं ।

औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रो को रेलवे के मामले में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे नांगल से तलवाड़ा की रेलवे लाईन की ओर कुछ ध्यान दें । हिमाचल का हर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है । बिना रेलवे लाइनों के वहां औद्योगिक विकास सम्भव नहीं। मैं अनुरोध करता हूं कि कश्मीर मेल में दिल्ली से होशियार पुर तक प्रथम श्रेणी का एक कोच जोड़ा जाये । इस क्षेत्र से बहुत से लोग सैना में हैं जिन्हें बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । तलवाड़ा से मुकेरिया के बीच की प्रोजेक्ट रेलवे लाईन को भी सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये । भाखड़ा और नंग नांगल के बीच की रेलवे लाईन को भी सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये ।

Shri M. Satyanarain Rao (Karimnagar): I have been requesting for laying a railway line in a backward area of my constituency but the hon. Minister has not paid any attention towards this demand.

Our demand is that this railway line should be opened keeping in view the economic development of the area. Another survey should be conducted for this railway line. In addition, a direct train should be run from here to Hyderabad.

Shri Chandrika Prasad (Ballia): I support the Supplementary Demands of the Railway Ministry.

I had been requesting for laying new railway lines in my area but nothing has so far been done in this direction. Demand No. 2 deals with the construction of bridge over Ganga with a view to linking Kanpur with Mengayr. Such a broad guage line can connect Baksar with Ballia, Guzipur and Gorakhpur. All such steps can play a great role in industrialising this area.

....There should be an honourable and reciprocal agreement with railway employees with the condition that Government will accept their demands and they will not resort to strikes. The opposition parties incited the employees to agitation and strike.

Ministrial staff, commercial staff, trains clerks, signal staff and tele-communication staff has been neglected by the Government. They have also been neglected by the Third Pay Commission. (Interruptions)....

It falls under miscellaneous expenditure....(Interruptions)

The Opposition parties want to lower our image by way of strikes and lock outs. We should be vigilant.

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : मैं रेलवे की मांगों का समर्थन करता हूं ।

मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या हमारे देश में रेलवे विद्युत की तरह उपयोगार्थ बनायी गयी हैं अथवा यह एक व्यापारिक संस्थान है ।

गत 27 वर्षों से हम राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचते आ रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रासंगिक है ?

श्री बी० बी० नायक : मैं कहता हूं कि हमने एकता के लिये प्रयास किये थे । आप रूस की ही बात लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: कृत्यः इस माग तक ही सीमित रहें ।

श्री बी० बी० नायक: मैं पश्चिम तट पर 800 किलोमीटर रेलवे लाईन बनाने के बारे में कह रहा हूं जिसका राष्ट्रीय एकता से पर्याप्त सम्बन्ध है । यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है । और यहां रेलवे बिछायी जानी चाहिये ।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : इस चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाये गये, मैं संक्षेप से उनके बारे में कहना चाहूंगा ।

जयंती एक्सप्रेस बन्द नहीं की गयी । आन्ध्र आन्दोलन के दौरान इसे केवल स्थगित किया गया और अब यह चल रही है । अतः इसे बन्द करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

मैं आश्वासन देता हूं कि नरकतियागंज और पेहलेजाघट और के बीच एक फास्ट ट्रेन चलती है । चलायी जायेगी । भारत जैसे पिछड़े देश में अधिकाधिक रेलवे लाइनों का बिछाया जाना जरूरी है । तेलंगना, उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछानी पड़ेगी । सहररथ और मुज़फरपुर के बीच नई रेल बिठाने सम्बन्धी पुराने रिकार्ड को देखकर ही मैं कह सकूंगा कि रेल लाईन खुल सकती है अथवा नहीं ।

पटना के निकट रेल पुल बनाने पर बिचार हुआ था और यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रस्ताव लाभदायक नहीं । पटना में नया पुल बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है ।

आर्थर बटलर को पहले ही सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। वेगन बनाने वाले उद्योग भारी मंत्रालय के अधीन हैं, रेल मंत्रालय के अधीन नहीं ।

समस्तीपुर डिवीजन की संचालन कार्यकुशलहीनता के बारे मैं किसी कर्मचारी की निंदा नहीं करना चाहता । उत्तर पूर्व रेलवे की हमें काफी चिंता रही है । उस डिवीजन में अनुशासनहीनता है । मैं इस डिवीजन पर विशेष ध्यान दे रहा हूं । हम समस्तीपुर डिवीजन का काम देखने के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर रहे हैं ।

हिमाचल प्रदेश में नांगल से तलवाड़ा तक नई रेल लाईन के बारे मैं एक दम कुछ ही कह सकता। मैं इस पर विचार करूँगा । हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में नई रेल लाइन के लिये हम पांचवी योजना में प्राथमिकता देंगे । दिल्ली से होशियारपुर की ट्रेन में प्रथम श्रेणी का डिब्बा जोड़ दिया जायेगा। दक्षिण एक्सप्रेस के चलने के समय में कमी करने के सम्बन्ध में हम विचार करेंगे ।

पटना के निकट स्टीमर सर्विस सचमुच संतोषजनक नहीं है । अब यह स्टीमर बदला जा चुका है । जहां-जहां पुल नहीं वहां नए स्टीमर दिए जाने का प्रस्ताव है।

रेलवे बुक स्टालों को सहकारिता के आधार पर अशिक्षित बेरोजगारी को देने का प्रस्ताव हमारे विचाराधीन है । जयंती जनता के बारे मैं कह चुका हूं कि हम 1 नवम्बर से दिल्ली और समस्तीपुर, मुजफरपुर और लखनऊ के बीच इसे चालू कर रहे हैं ।

मंदारपुर–देवगढ़ रेलवे लाईन के बारे में हम विचार करेंगे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैं राजनीति में इतना भाग लेता हूं कि रेलवे प्रशासन के लिये मेरे पास कोई भी समय नहीं रहता । मैं सरकारी सेवा में 18 वर्षों से हूं और रेलवे में मैं कार्य-कुशलताहीन नहीं सिद्ध हुआ । रेलवे में सुधार लाने का मैं प्रयत्न करता रहूंगा । मैं सदन के लिये उत्तरदायी हूं । मैं रेलवे में सुधार लाने हेतु सदन से समय देने का अनुरोध करता हूं ।

आज भारतीय रेलवे आर्थिक संकट में है । वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान 22 करोड़ रुपये की आय हुई जो बजट अनुमान से कम है । जुलाई-अगस्त के महीने, बाढ़, लोको स्टाफ की हड़-ताल आदि-आदि के कारण ठीक नहीं रहे । लोको स्टाफ की हड़ताल से 12 करोड़ रुपये की हानि हुई। (**व्यवधान**)

इन दिनों माल, सीमेंट, पैट्रोलियम, तेल आदि-आदि के परिवहन में कमी हुई है । जिसका कारण यह है कि बहुत सी माल गाड़ियां विशेष परिस्थितियों में बन्द करनी पड़ी । रेलवे में इन्डेन्टों के रजिस्ट्रे-शन में भी कमी हुई है ।

इसी प्रकार मीटर गेज पर गत वर्ष की 1,95,000 की मांग की तुलना में 1,03656 की मांग थी । इस कमी का मुख्य कारण इस वर्ष सूखे और बिजली में कटौती की वजह औद्योगिक उत्पादन में कमी होना है। दिसम्बर 1972 से रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बढ़ा देने के कारण व्यापारियों द्वारा अनुमान के आधार पर इन्डेंट करने की प्रवृत्ति कम हो गई है, और रजिस्ट्रेशन में कमी का भी कुछ हद तक यही कारण हो सकता है । जैसा कि सभी को पता है मूल बजट में भी 9.80 करोड़ रुपये का अन्तर था । उसमें तीसरे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों से उत्पन्न दायित्वों के लिये और सरकार द्वारा हाल ही में घोषित मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । अतः चालू वर्ष में हमारा घाटा और बढ़ेगा । यह बड़ी चिन्ता की बात है । इस वर्ष की प्रथम तिमाही में भारी मात्रा में अनाज के लाने ले-जाने का भी हमारी आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । अनाज ढोने का काम काफी रियायती दरों पर किया जाता है । गत वर्ष अनाज की ढुलाई के कारण 26 करोड़ रुपये की हानि हुई थी । अतः जितने वैगन अनाज ढोने के काम पर लगाये जायेंगे उतनी ही अधिक हानि होगी । फिर अनाज को ढोने के लिये अनेक वैगन रोके रखे जाते हैं ताकि कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

रेलवे द्वारा विशेष उपाय किये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 1972-73 में खो जाने, अथवा क्षतिग्रस्त सामान के लिये मुआवजे की राशि में भी भारी कमी हुई है । इस वर्ष मुआवज़े के मामलों की संख्या में 40.000 की कमी हुई है और आशा है कि दावों के भुगतान की राशि में 40 लाख रुपये की कमी होगी ।

रेलवे सुरक्षा बल को पुनर्गठित करने के लिये कई निर्णय किये गये हैं । हम इस बल को केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के बराबर लाने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी शिकायतों को भी जांच की गई है और अब उनकी स्थिति में और सुधार किया जायेगा ।

जहां तक लाइनें बिछाने और कुछ लाइनों को पुनः चालू करने का सम्बन्ध है हम आगामी पांच वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान रखकर आवश्यक कार्यक्रम बनायेंगे। चालू वर्ष में भी अनेक नई रेलवे लाइनें बिछायी जा रही हैं। बाराबंकी-समस्तीपुर लाइन की ओर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और आशा है कि इस कार्य की संतोषजनक प्रगति होगी। अनुपूरक मांगों में भूतपूर्व शाहदरा –साहरनपुर लाइट रेलवे के क्षेत्रों में और बार गचिया–चटपडंगा सहित हावड़ा–आमता लाइट रेलवे और हावड़ा शेखाला लाइट रेलवे सम्बन्धी क्षेत्रों में बड़ी लाइनें बिछाने के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। जो नये सर्वेक्षण करने का विचार है उनमें कानपुर–इलाहबाद, मोकमेह–मुंगेर के बीच गंगा नदी पर दूसरा रेल पुल बनाने के लिये सर्वेक्षण तथा भिलाई-थाली-राजहरा सेक्शन के विद्युतीकरण के लिये अध्ययन एवं व्यवहार्य सर्वेक्षण भी सम्मिलित हैं। चालू वर्ष में निम्नलिखित सर्वेक्षण करने का विचार है।

(1) मोकमेह के निकट राजेन्द्र पुल के लिये पहुँच मार्ग को दोहरा बनाना;

(2) अनुपपुर और विलासपुर के बीच दोहरी लाइन बनाना,

(3) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिये यार्ड सुविधाओं का विस्तार करना तथा

(4) बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार के सम्बन्ध में अपेक्षित रेल सुविधाओं में अपेक्षित रेल सुविधाएं देना।

परित्यक्त लाइनों को पुनः चालू करने के लिये 48 लाख रुपये की पहले ही व्यवस्था कर दी गई है। इसी प्रकार नई लाइनें बिछाने के भी अनेक प्रस्ताव विचाराधीन है।

रेलवे ने कमी वाले क्षेत्रों में अनाज पहुँचाने के काम को सब से अधिक प्राथमिकता दी है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फालतू अनाज होता है। इस जोत से 1 मई से 20 अगस्त, 1973 तक बड़ी लाइन पर 1,12,284 वैगन लादे गये जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 79,371 वैगन लादे गये थे। इस प्रकार के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप देश के कोने-कोने तक अनाज पहुँचाया गया और भुखमरी को रोका गया।

अप्रैल से जुलाई, 1973 तक कोयला ढोने की औसत 7724 वैगन थी जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 7945 वैगन कोयला ढोया गया था। लगभग 200 वैगन लदान की कमी बंगाल–बिहार क्षेत्रों में थी। बार-बार बिजली के बन्द हो जाने के कारण कोयले के उत्पादन में कमी नहीं हुई अपितु रेल परिवहन में भी बाधा पड़ी थी। मुझे आशा है कि खान और रेलवे के समन्वित प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कोयले के लदान कार्य में सुधार होगा।

चालू वर्ष में भी सीमेंट उद्योग ने 132 लाख टन सीमेंट रेल द्वारा भेजने की पेशकश की थी। इस वर्ष के पहले चार महीनों में सीमेंट का उत्पादन आशा से कम हुआ था। विद्युत के अभाव के कारण सीमेंट के उत्पादन में भारी कमी हुई थी। अप्रैल, मई, जून और जुलाई में 35.7 लाख टन की बजाय केवल 30.7 लाख टन सीमेंट की ढुलाई हुई। रेलवे सीमेंट उद्योग की लगभग पूरी मांग को पूरा करने में समर्थ रहा है।

पैट्रोलियम उत्पादन के लदान कार्य की स्थिति लगभग संतोषजनक है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण डीजल की मांग में असाधारण वृद्धि की चुनौती का रेलवे ने पूरा मुकाबला किया और उस मांग को पूरा किया।

जहां तक नारियल जटा का सम्बन्ध है जनवरी से जुलाई, 1973 तक केरल से बड़ी लाइन पर 2154 और मीटर लाइन पर 661 वैगनों में नारियल जटा और उसके उत्पादनों का लदान हुआ। अगस्त, 1973 को केवल 58 वैगनों की शेष मांग थी। जहां तक वैगनों की आम स्थिति का सम्बन्ध है भारतीय रेलवे के पास बड़ी लाइन पर चलने वाले वैगनों की संख्या 3,78,351 है और मीटर लाइन पर चलने वालों की संख्या 1,20,092 है। वैगनों की संख्या बढ़ाने के लिए आर्डर दिये हुए हैं।

प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था की गई थी कि जब भी कोई व्यक्ति आरक्षण करवाना चाहे, करवा सकता है परन्तु अब इसको समाप्त कर दिया गया है। जहां तक डीजल से रेल गाड़ियां चलाने का सम्बन्ध है हम डीजल इंजन उपलब्ध होने के साथ साथ यह व्यवस्था करते जा रहे हैं।

महाप्रबन्धकों को अधिक शक्तियां देने के बारे में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसका प्रतिवेदन मिल गया है और मुझे आशा है कि आगामि सत्र में इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जायेगा।

रेलगाड़ियों को समय पर चलाने के लिये एक अभियान चलाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 80-85 प्रतिशत रेलगाड़ियां समय पर चलती हैं। यदि आन्ध्र आन्दोलन, छात्र आन्दोलन, उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के इंजिनियरों की हड़तालें और हाल ही में रेलवे में लोको कर्मचारियों की हड़तालें न होतीं तो इस स्थिति में सुधार हो सकता था। जिस अवधि में ये हड़तालें नहीं हो रही थी उस में समय पर चलने वाली रेलगाड़ीयां का प्रतिशत 81 और 82 था। हम बड़े कठिन समय से गुजर रहे हैं। मैं रेल कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे तीन वर्ष तक कोई हड़ताल, आन्दोलन अथवा सीधी कार्यवाही न करें। मैं उनके सहयोग से ही स्थिति में सुधार कर सकूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मंत्रालय की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following supplementary demands in respect of Ministry of Railways were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
2	विविध व्यय .	6,000
14	नयी लाइनों का निर्माण—	
	पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि	7,000
15	चालू लाइन निर्माण—पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि .	5,000
	जोड़	18,000

विनियोजन (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, 1973
APPROPRIATION (RAILWAY) No. 3 BILL, 1973

रेल मंत्री (**श्री एल० एन० मिश्र**) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री एल० एन० मिश्र : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्डवार विचार किया जायेगा । प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Ending Formula and the title were added to the Bill.

श्री एल० एन० मिश्र : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने नोटिस भेजा था । अतः मुझे इस पर बोलने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि उन्होंने नोटिस भेजा था । परन्तु बाद में वह इस बात पर सहमत हो गये थे कि वह सामान्य चर्चा के समय अपने विचार व्यक्त करेंगे । अतः अब उन्हें बोलने की जिद्द नहीं करनी चाहिये ।

प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर कथित अत्याचार के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : REPORTED ATROCITIES OF HARIJANS IN VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हरिजनों पर अत्याचार की समस्या समूचे देश के लिए एक ज्वलंत समस्या बन गई है । मैं कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इस समूचे मामले को सुलझाने में उसकी सफलता की अपेक्षा उसकी असफलता के कारण यह अधिक बढ़ी है ।

89 प्रतिशत अनुसूचित जातियां और 97 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियां गांवों में रहती हैं और इन दोनों जातियों के क्रमशः 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत से अधिक लोग खेतिहर मजदूर हैं । जहां तक साक्षरता की प्रतिशतता का सम्बन्ध है, गांवों में अनुसूचित जातियों के 10.27 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियों के 8.53 प्रतिशत लोग साक्षर हैं जबकि अखिल भारतीय औसत प्रतिशत 29.3 प्रतिशत है ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त प्रतिवेदन में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत निदेशक तत्वों के उस रूप में व्यवस्था की गई है कि राज्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा ।

संवैधानिक निदेशों का पूर्णतया उल्लंघन किया गया है । यद्यपि काका कालेलकर आयोग ने 1953 में विशिष्ट सिफारिशें की तथापि सरकार ने उन्हें क्रियान्वित करने की ओर ध्यान नहीं दिया ।

अब मैं अस्पृश्यता के बारे में बताता हूं जो अत्याचारों से सम्बन्धित है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पच्चीस वर्ष बाद भी अस्पृश्यता की प्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है । केवल 30 प्रतिशत कुंए और रेस्टॉरेन्ट आदि इन लोगों के लिये खुले हैं और 10 प्रतिशत धोबी तथा चमार उनका काम करते हैं ।

इसके पश्चात् मैं सामाजिक तनाव के बारे में कुछ बोलूंगा । गांवों में आज भी जमीनों के मामले में दासता की प्रथा बनी हुई है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि नवम्बर, 1971 में बिहार के पूर्णिया जिले के रुपासपुर गांव में भूमि-स्वामियों और किरायेदारों के बीच विवाद में संथाल जनजाति के 14 सदस्यों के मारे जाने और 3 के घायल होने का समाचार है ।

श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए

Shri S. A. Kader in the Chair.

परन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया । यह सरकार के उपेक्षापूर्ण बर्ताव को दर्शाता है ।

ऋणग्रस्तता और बंधक श्रमिकों के बारे में प्रतिवेदन में कहा गया है कि उड़ीसा के कोरापुर जिले में मैदानी सौरस और पहाड़ी सौरस में किये गये सर्वेक्षण से पता चलता कि पहाड़ी सौरस में 20 के पीछे 18 व्यक्ति ऋणग्रस्तता हैं । उनकी आर्थिक हालत के बारे में यह स्थिति है ।

वर्ष 1970, 1971 और 1972 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय को सूचना दिये गए अस्पृश्यता और तंग करने सम्बन्धी मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाले एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया था ।

मैं उसमें से थोड़े आंकड़े बताऊंगा कि यह मामले किस प्रकार बढ़ रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश, जो प्रधान मंत्री और गृहमंत्री का राज्य है, वहां अन्य राज्यों की तुलना में ये मामले 1970 में 94, 1971 में 164 और 1972 में 265 हुए ।

19 अगस्त, 1970 में इंडियन एक्सप्रेस में "1100 हरिजन इन टु डैथ इन 3 इयर्स" (तीन वर्षों में 1100 हरिजन मारे गये) शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ । इस समाचार में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 322 मामले हुए जो इस सूची में सबसे अधिक हैं ।

अब मैं इन लोगों पर पुलिस के अत्याचारों के बारे में कुछ बताता हूं । इलाहबाद के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय पुलिस को संगठित अपराधी गिरोह (गैंग स्टारेज्म) बताया ।

किसी एक विधान-सभा के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का उत्तर केवल न असंतोषजनक ही है अपितु शर्मनाक भी है । मुंगेर जिले के गहलौर के गांव वालों पर पुलिस अत्याचार से कथित सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था । श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि मुंगेर के डिप्टी-पुलिस सुपरिटेंडेंट के कहने पर जवानों और अधिकारियों ने आधी रात को हरिजनों और पिछड़े ग्रामिणों की झोपड़ियों के दरवाजे तोड़ दिये, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को निर्दयतापूर्वक पीटा, एक दर्जन से अधिक युवा महिलाओं के साथ बलात्कार किया और गांव वालों के पास जो कुछ नकदी या चीजें थीं, वे लेकर भाग गए । यह समाचार विदेशों के समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा ।

बिहार के मुंगेर जिले के गहलौर के हरिजनों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के प्रश्न पर मैंने अल्प सूचना प्रश्न दिखाया है। मैंने गृह मंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे इस मामले की जांच करने को कहा तो उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि बिहार विधान सभा के 11 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई है । समिति को अपना कार्य 22 जुलाई, 1973 को आरम्भ करना था । मंत्री महोदय मुझे वे तथ्य नहीं देना चाहते हैं जो सरकारी अभिलेखों में उपलब्ध है ।

इसके अलावा यही समाचार "हुडलम्स ट्रिप एन्ड ब्रान्ड 4 हरिजन वीमेन" शीर्षक से प्रकाशित हुआ है । अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने यह समाचार ले लिया है और जब हम विदेशों में जाते हैं तो हम अपने देश के बारे में ऐसे समाचार पढ़ते हैं ।

इसके अतिरिक्त "फ्री प्रेस जरनल", बम्बई में "10 हरिजन बर्न्ट एलाव" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मछरिया गांव में अदस हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया । मैं कहूंगा कि कांग्रेस शासन में अनुसूचित जातियां और जनजातियां न केवल सामाजिक भेदभाव की ही शिकार हैं अपितु हर प्रकार का अपमान और यातना सहते हैं ।

इसी प्रकार अन्य समाचार-पत्रों में भी हरिजनों पर ,अत्याचारों के समाचार आते रहते हैं ।

एक अन्य दिन हरियाणा में 200 हरिजनों को जमीन से बाहर निकाल दिया गया और खड़ी फसल को पुलिस, राज्य व्यवस्था द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया था। उसके बाद वे प्रधान-मंत्री के पास गये। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया परन्तु वे जान गए कि प्रधानमंत्री के आश्वासन की कोई वैधता नहीं है क्योंकि उन्हें राज्य में उनकी भूमि से राज्य तंत्र ने स्थायी रूप से विस्थापित कर दिया है।

यहां तक कि सरकारी कार्यालय भी जातिवाद से मुक्त नहीं हैं।

मिस कानफडे ने आयुक्त को एक ज्ञापन में शिकायत की कि उस पर जातिवाद में पूर्वाग्रह से प्रेरित राजनीतिक दबाव डाला जाता है।

श्री दीक्षित ऐसे दल के सदस्य हैं जो इस कुरीति को कभी भी दूर नहीं कर सकता क्योंकि वह जातिवाद के बल पर फलता-फूलता है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर किये जा रहे इस नृशंस अत्याचार को रोका जाये।

सभापति महोदय: यह चर्चा 6 बजे तक समाप्त होनी है.....

कुछ माननीय सदस्य: इसके लिये समय बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या हम थोड़ी देर और बैठ सकते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया) : हम इसे एक घंटा और बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय: क्या आप इसे आज ही समाप्त करना चाहते हैं ?

श्री के० रघु रामैया: जी हां।

सभापति महोदय: श्री नवल किशोर शर्मा।

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA (Dansa): I would like to request the leaders of the Opposition not to bring in politics in this matter. It is not good for the Opposition to look at every issue with political angle. It aggravates the issue instead of solving the problem. Shri Jyotirmoy Bosu has said that the cases relating to atrocities on Harijans have taken place due to Congress party and its policies.

Undoubtedly this problem is serious. Every now and then atrocities are committed on the Harijans. We shall have to do something to sort out this problem. I admit that the Government is responsible and it should fulfil its responsibilities. Some steps have been taken by the Government in this direction but they have not proved as fructuous as they should have been.

I think there are two aspects of this problem viz. economic and social. So far as the reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is concerned. the quota for Harijans has not been utilized fully. All the reserved post should be fulfiled and not lapsed.

The quota reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should not be allowed to lapse and it should be carried forward, if at anytime candidates from there castes are not available. The Government should issue instructions that in no case a person other than the Scheduled Caste will be recruited for the reserved post.

The surplus land should be distributed among Harijans. The Government should also see that they are not evicted from the allotted land by the Caste Hindus.

The Government should issue instructions to nationalized banks to fix some percentage for giving loans to Harijans and other backward classes.

Separate Colonies should not be built for Harijans. In new colonies, they should be allotted plots or houses alongwith others. For that allotment, Government can fix some percentage.

Harijans should be provided free legal help. Sections 107 and 151 should be enforced for protecting Harijans. Necessary instructions to this effect should be issued to administration.

Electric and water facilities should be provided to Harijans on priority basis in villages. The Government should uplift, their economic conditions.

सभापति महोदय: इस ओर के माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे टिप्पणियां न करें। इसमें सभा में गड़बड़ होती है। अध्यक्षपीठ के बोलने के बाद आप कुछ भी कह सकते है परन्तु उसके बोलते हुए आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : No body can deny the fact that incidents of atrocities on Harijans have increased. It is confirmed by the figures released by the Ministry of Home Affairs.

This problem is prevailing in our country for the last so many centuries. This system is wrong and it should be abolished. There is a need to launch a campaign against it in the country.

Arya Samaj did a wonderful job to eliminate untouchability prior to independence. Mahatma Gandhi also played a constructive role in this regard. But now all the non-Governmental efforts to eliminate this evil have stopped.

The Government should take steps to improve the economic condition of these backward classes. Some posts should be reserved for them in the industries also.

Most of the landless labourers are Harijans. The Government should look into this aspect also. Some facilities should be provided to them in all spheres so that they may come at par with others.

The political aspect of this problem is that whosoever is in power is not prepared to share political power with others. The Government should try to give representation to Harijans in the administration.

The cases of atrocities on Harijans should be reported immediately and culprits punished. For this purpose, the administration should be strengthened. All those officers who fail to do their duty in this regard should be dealt with severely.

The various offices of the commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been closed. It has resulted in difficulty in getting information from various regions. The Home Ministry should review its decision in this regard.

In the end I would like to say that it is a national problem and should be solved at national level.

SHRI BUTA SINGH (Rupar): Sir, Shri Jyotirmoy Basu has played his typical game through the issue raised by him here today. He did not offer any solution

of his own. He only took advantage of this opportunity for propaganda purposes. It would have been better had this Marxist Leader given some Marxian solution. But he, as is the way of his party, only Maligned the Government. I would ask him whether these very things did not happen where his party was in power in Kerala and West Bengal ? (*Interruptions*)

Shri Krishna Chandra Halder (Osgram): There is no such casteism in West Bengal (*Interruption*)

Shri Buta Singh: I have figures.

He did not offer any suggestion or solution of this. But as usual he gave statistics and simply enumerated these sad incidents.

There are no two opinions as far as these are concerned. As pointed out by Shri Vajpayee just now, it is not a party issue, nor an issue between Government and the opposition. It is a national problem as admitted by our leader, Smt. Indira Gandhi.

Shri Vajpayee analysed it beautifully—It is neither a question of Government nor of any opposition party. It is a national issue and therefore its solution lies at national level.

Its roots lie in the caste system. There are no two opinions about it. It is a blot on the society and we are smarting under it even today.

'Only the wearer knows where the shoe pinches.' Our living conditions are bad. We have read in mythological tales that the tongue of a Harijan was cut off for uttering the name of Rama. The hands of another were severed for touching a caste Hindu. Even today such narrowing incidents are taking place. After all when such feelings would die. The Acharyas of big religious Maths openly preach casteism and untouchability and they claim and they have religious sanction behind them. This feeling should be opposed with all the might by the entire nation and such preachings should be repudiated, however respectable they might be. It is also true that the work which was being done by non-Government organisation has been suspended after independence and it has been given up considering it to be Government job. The society has washed its hand off this responsibility and they do not feel any way responsible and that it is entirely Government's responsibility. The framers of the Constitution had granted us some protection as a tonic to the sick so that we may recoup quickly to join others. This does not mean that it was a permanent solution. It was only to remove their weakness. I am very sorry to say that the amount spent in our Plans on Harijans, Adivasis and backward classes during the Fourth Plan as an instance—works out to be rupees twelve only per annum. How can you remove their backwardness with this paltry amount.

The amount allocated in the plans and the way they are implemented is deplorable and we have seen this in our tours throughout the country. We cannot say with pride about any plan having been implemented fully. By probing further into this problem we find that certain schemes are that of the Centre directly, known as Centrally sponsored schemes and the money allocated therefore is decreasing progressively i.e. it is left to the State Governments to spend more on Harijan welfare Schemes. It has been seen that whereas some progress has been made in the case of Central Schemes, but the State Government Schemes are utter failure.

My request to the hon. Minister is to provide maximum funds for at least the Centrally sponsored schemes and take over their responsibility if he really wants the backwardness of Harijan and Adivasis to be removed, Shri Vajpayee in his analysis mentioned the contemporary, economic and political aspects of the problem. Regarding the Social aspect, I feel that if democracy has been undermined, in villages it is due to Panchayats. What is happening in Panchayats today? Though there are Harijan Members in Panchayats so to say, he is given some facility in elections in the shape of reservation, but when he is chosen in Panchayat, he is shown the door. Inside, the Panchayat functions and takes decision and later he is asked to append his signatures thereon. This is not fiction but hard fact. We have given such instances in our Reports, where Harijan Members were not allowed to sit with others in Block Samitis and Zila Parishads. Where they were allowed they were asked to sit on the floor whereas others sat on chairs or cots. This is how democracy is functioning in villages.

Our esteemed leader, Shri Dikshit had said in Rajya Sabha in reply to a question :—

> "The police alone cannot curb the brutal mal-treatment of Harijans unless the social atmosphere changes."

Regarding this, as stated by Shri Vajpayee—Mordhaji had stated in his reply that that would be particularly considered in the steering Committee meeing of the National Integration Council Scheduled for the next day. We hope concrete steps would be taken and Centre would take the responsibilty of implementation rather then leaving its to the State Government.

Just now, Shri Jyotirmoy Bosu referred to two incidents of Bihar. Undoubtedly, they are shameful. The way our children were treated is without parallel and that to in a State where the Governor is a Harijan. . . . *Shri Shambhunath (Saidpur)* : He is a Buddhist. *Shri Buta Singh* : At least the Chief Minister belongs to a minority Community. It is trange and what is needed today? It is true that after 1969 crimes have gone up and they had to suffer atrocities, yet credit goes to Smt. Gandhi for pleading the cause of the poor after 1969 and she made them conscious of their rights and they should get them. Shri Vajpayee is right that they have woken up and through this consciousness, they have started ascerting themselves and are now demanding their rights but it is regrettable that when atrocities are perpetrated on them, it is a one sided affair and in most cases in the very presence of the police and society. In the incident involving four girls, thousands of people were mutespectators. I would have even liked some Harijans Youths dying in saving them and opposing the oppressors. The slogan of 'Ahinsa' given by Mahatma Gandhi is not due to timidity but of bravery. When such helpless and weak persons are attached, they have full rights to oppose and prevent such attachks. I am waiting for the day when all and every member of the backward classes to unite against the oppressors of casteism. Dr. Ambedkar is still remembered only because his voice was heard throughout the country and he could organise them well. Today there is not even a single such leader in the country who could organise them *interruption.* I would therefore request through you that they should be educated as to how they should demand their rights. They should be so organised as to stand together to fight against atrocities.

Mention was just made here of the law and it was said that they have been given protection under the law. I need not dilate upon how real it is. According to the Perumal Committee Report of 1969 regarding untouchability offences in 70 per cent of the cases where prosecution was launched fines of Re. 1/- to Rs. 3/- were realised and the convicts were let off (*interruption*)

Today these people are looking forward to the lead given by Smt. Gandhi and they expect that given the consciousness, they would get relief also. I, therefore, request Shri Dikshit not to delegate any power to States in this regard because the Constitution has put special responsibility on the centre. You have to say them. You may evolve a machinery through Governors or otherwise in States but we do not expect much from Chief Minister, because they have to leen for support on those very persons who tolerate if not encourage such excesses. I, therefore, request you to keep the reins in your own hands in regard to this matter.

Regarding the Commissioner of SC & ST, we were very happy when Shri Mane took over, but alas! at a time when all the powers had been taken away from his office.

One Zonal Director is incharge of as many as even States say from Patna to Shillong. He has neither a vehicle nor any other means to maintain a channel of communication. In these circumstances what power remains with him? He is not treated at par with even an ordinary IAS Officer. They looked barrowed when they sat with us in Committee meetings and when we wanted some clarification from them they would say that they did not want to say anything as they wanted to continue in their jobs. Moreover, Zonal Directors are not under the Commissioner but under the Home Ministry. I mean to say that the institution of Commissioner is under the Constitution and as we had desired in our First Report, it should be parallel to the Election Commissioner having the same powers and facilities. He should have the right to elicit information from States. Not only this but also report to the Centre after fixing responsibility for lapses. What is the use of presentation of his Report to the House? First, it is three years old, then it is not known which of his recommendations have been accepted by Government. Therefore, implementation Report should also be there so that we may be able to see how far Government has implemented it and what they do not want to accept. It has been reduced to a mere ritual an annual show. Much has been said about U.P. where most of the 50 Harijan I.P.S. Officers are either in Traffic or in PAC and none is incharge of a police station except one or two. We came across many cases here in Delhi. Just recently there was case of an S.I. who was killed only because he asserted himself. He was killed because he was a Chamar. I am mentioning all these things because normally no action is taken in such cases. I, therefore, request the hon. Minister to set up a machinery under him at the Centre as he thinks fit to look into the such cases.

Regarding the question of Justice, it has become so costly that we cannot buy it. You can realise the state of affairs regarding administration of Justice. You would be astonished at the decision of Madras High Court involving the life of 43 persons.

जिन 23 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया उन्हें उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रिहा कर दिया कि धनी जमींदारों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इस प्रकार के अपराध व्यक्तिगत रूप से करेंगे, सामान्यतः वे स्वयं पीछे रह कर ऐसा करने के लिए पैसा दे कर अन्य लोगों को आगे करेंगे।

On the other hand the pleaders of the country are prepared to cut the finger if it is pointed at the antonomy of judiciary because lawyers and judges are one at that, I therefore, request that you might grant every liberty to the judges but they should be under some control as far as backward section are concerned.

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : 25 नवम्बर, 1949 को श्री अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हमें यथासंभव शीघ्र असमानता को दूर कर देना चाहिए अन्यथा हमारा राजनैतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा।

डा० सरदीश राय पीठासीन हुए।

[Dr. Saradish Roy in the Chair.]

उन्हें आशा थी कि स्वतन्त्र भारत में हरिजनों से सामाजिक न्याय होगा परन्तु आज हम देख रहे हैं कि उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अत्याचारों की घटनाओं में प्रतिदिन वृद्धि ही हुई है। मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा था कि इस वाद-विवाद को सत्तारुढ़ दल और विरोधी दलों में आपसी विवाद नहीं समझना चाहिए बल्कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और हरिजनों के संरक्षण के मामले में हम सब एक है। राजनीतिज्ञ हरिजनों तथा आदिवासियों के सम्मान का संरक्षण करने में असफल रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि हम सब उनके दुखों को खत्म करने में विफल हुए हैं।

18 अगस्त, 1970 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा था कि 1100 हरिजन मारे गए हैं; परन्तु मेरे विचार में यह आंकड़े गलत हैं। बास्तव में बहुत अधिक लोग मारे गये हैं, अनेक हरिजन अपने ऊपर होने वाले अपराधों की सूचना पुलिस को नहीं देते क्योंकि वे समझते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं होगा।

बिहार के एक गांव में हरिजन महिलाओं को गर्म सलाखों से पीटा गया था। इस मामले की जांच कराई गई थी। महाराष्ट्र राज्य में एक हरिजन लड़के की हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने उसको आत्महत्या का मामला बनाया था। जब अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने मौके पर जाकर पता किया और एक स्पष्ट वक्तव्य दिया तो इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक पुलिस इंस्पैक्टर को भी पकड़ा गया। मैं केवल यह बताना चाहता था कि हमारा प्रशासन किस प्रकार कार्य करता है।

इसी प्रकार महाराष्ट्र में परचनी स्थान में हरिजन महिलाओं को नंगा कर दिया गया था। पटियाला में हरिजनों पर अत्याचार किये गये तथा उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, क्योंकि उन्होंने एक उम्मीदवार विशेष को अपने वोट दिये थे।

आंध्र प्रदेश में भी इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटी है। मैं जानना चाहता हूं कि अब जबकि वहां पर राष्ट्रपति का शासन है ऐसी घटनाओं के घटने के क्या कारण हैं?

जगतगुरु शंकराचार्य देश में भ्रमण कर अस्पृश्यता का प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ युवकों ने उनके विरुद्ध प्रदर्शन किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु शंकराचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी मानव समान हों। हरिजनों को न केवल समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए बल्कि उनके साथ वरीयता का व्यवहार भी किया जाना चाहिए ताकि वे अन्य वर्गों के समान खड़े हो सकें। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने से ही हरिजनों और आदिवासियों में यह विश्वास उत्पन्न होगा कि उनका जीवन, इज्जत तथा सम्पत्ति सुरक्षित हैं, मुझे आशा है कि यह सभा हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करेगी।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): This subject has national importance. It was the contention of Gandhiji that without the upliftment of suppressed and backward harijans, the country could not gain independence. Now, our post independence leaders have the same feeling that the safeguard of our independence lies in giving proper place to backward classes of our society.

Quoting the statistics from the report of Shri Mirdha, the hon. Member Shri Vajpayee claimed that the number of incidents of perpetration of atrocities on harijans has decreased. He should know that it is all due to the great efforts of Gandhiji, our sacrifices, programmes of the Congress Party and laws enacted by the Government and the instructions from the Government that the Police Stations now entertain complaints lodged by harijans which they formerly used to ignore.

May I know whether Shri Vajpayee has ever raised voice against Shankaracharya who is preaching untouchability? Will he ask caste hindus to remove except regarding untouchability from hindu scriptures? The Congressmen are engaged in the upliftment of harijans as before. The suggestion of Shri Vajpayee regarding reopening of regional offices of Scheduled Castes Commissioner in States is worth consideration unless the work of upliftment of harijans is undertaken in a collective way, we cannot achieve the objects enshrined in our Constitution.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): There cannot be two opinions about it that perpetration of atrocities on harijans should be stopped. We all know that this problem is very old. During the emergence of federal system a class was created whose job was only to plough land. This class was deprived of the right of learning and running of the administration. The other class that is the ruling class moulded the system in their favour. Before this system, there was no class system and there was a feeling co-operation among all the people. The society was not divided created different rules for the working class and debarred them from the pursuit of created different rules for the working class and debarred them form the pursuit of learning. Today, the same system exists but in a different way. The children of working class are denied of educational facilities whereas the gates of learning are open for rich people. This is the characteristic of a capitalistic society.

Some hon. Members have pointed out that the number of atrocities on harijans has increased. Yes, this has increased and the reason is that now more people are resisting it. The harijans are coming forward with new hopes.

Today, many landlords are committing atrocities on harijans. In the village Godipalli of Andhra Pradesh, harijans set up a colony after the name of Indira Gandhi but it was set on fire and gutted. It is a fact, that people with excessive land holdings commit such crimes and to remove this evil, we will have to bring about a change. Without a sense of equality, this blot on our society cannot be eliminated.

In reply to a question of dated 8th August, the hon. Home Minister had stated that in a village near Motihari, a group of people tried to uproot a harijan basti. The S.P. of the area reached there with his force and saved the situation. Now it has come to our knowledge that the S.P. is being transferred from there after having been degraded for his action in saving the situation.

In my area, more than two dozen people lost their lives. Out of them ten were harijans and the rest non-harijans. People were killed while attempting to save them. In this area, we will not allow harijans to be killed. In Madhubani, harijans are being persecuted and killed.

The remeady for this situation is to establish self cultivating tenancy system. One who ploughs a piece of land, will get ownership of that land. In this way, the harijans and the non-harijans will do manual work side by side and will rightly claim the ownership of their land.

Vested interests are infiltrating into the Congress. The poor harijans and farmers have lost hope in the Congress. The dismal conditions prevailing before 1969 have again appeared. Unless this is checked, no one can say where it will lead to. The situation demands stern action on the part of this House and the Government.

श्री कार्तिक उरांव (लोहार डगा) : साधारणतया राजनीतिक दल तथा विशेषकर विपक्षी दल हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों से अपना हित साधन करते हैं। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। उनको देश में इस प्रकार की स्थिति बनानी चाहिए जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों की समस्याओं को जाना जा सके।

मैं आज विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि जब कुछ राज्यों में उनकी अपनी सरकारें बनी थी तब क्या उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए कोई अनुकरणीय कार्य किया था? आज स्थिति यह है कि वे इन लोगों में विश्वास की भावना पैदा नहीं कर सके हैं।

हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में हमें कोई बहाना नहीं ढूंढ़ना चाहिए। राजस्थान में हरिजनों के साथ बड़ी निर्दयता का व्यवहार किया गया था। हमें इन पर सविस्तार चर्चा करने की बजाए इसके मूल कारण को जानना चाहिए।

हम एक समाज के सदस्य हैं और यह समाज अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के विरुद्ध वातावरण बनाने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रश्न सामाजिक असंतुलन का है। इसको दूर करने के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग अपेक्षित है। हमने अमरीका तथा ब्रिटेन में रंगभेद किये जाने के बारे में सुना है, परन्तु वे अन्य देशों के निवासियों के साथ ही ऐसा करते हैं। यहां तो अपने ही देशवासियों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। अनुसूचित जातियों तथा आदिम-जातियों के सदस्यों के लिए एक संसदीय समिति तथा उनके कल्याण के लिए एक आयुक्त होने के बावजूद, हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई है और हम यहां इस विषय पर

उसी पुराने ढंग से चर्चा करते आ रहे हैं। हमें मिलकर यह सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।

किसी भी देश में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड की व्यवस्था अत्यावश्यक है। इसी प्रकार हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के लिए दंड साधारण मामलों की अपेक्षा अधिक कठोर होने चाहिए। यही एक समाधान है।

अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति आयुक्त को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि इस विभाग को गृह मंत्रालय ने अपने अधीन ले लिया है, सभी राज्यों में उप-आयुक्त तथा सभी जिलों में सहायक आयुक्त होने चाहिए। यदि किसी विशेष जिले में अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के सदस्यों पर अत्याचार होता है तो वहां के संबंधित अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी दी जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के किसी भी सदस्य के साथ अत्याचार होने की स्थिति में अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति आयुक्त को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए, हमें इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आज जिला मजिस्ट्रेट तथा उप-आयुक्त हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने की स्थिति में नहीं है, परन्तु फिर भी उनकी पदोन्नति की जाती है। ऐसी स्थिति में हम संसद सदस्यों का और गृह मंत्रालय का इस दिशा में विशेष कर्त्तव्य हो जाता है। आशा है कि कुछ समय उपरान्त हमें हरिजनों पर अत्याचार करने की घटनाएं सुनने को नहीं मिलेंगी, यदि कहीं इस प्रकार का अत्याचार होता है तो यह अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के सदस्य पर न होकर एक भारतीय पर हुआ माना जाना चाहिए तथा उसे दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए।

श्री आर० पी० उलगनम्बी (बैल्लौर) : क्या यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है कि वह स्वतन्त्रता के 25 वर्षों के उपरान्त भी हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को रोक नहीं सकी है? हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में दो रायें नहीं हैं। हर कोई अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों की भलाई के बारे में बात करता है परन्तु उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया जाता।

हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की संख्या में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है, साथ ही ऐसी घटनाएं किसी एक स्थान में होने के बजाए समूचे देश में हो रही हैं। इसका क्या कारण है? गृह मंत्रालय ने इनके कल्याण के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश दिए हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति आयुक्त प्रति वर्ष रिपोर्ट भेजता है। इनके लिए एक संसदीय समिति भी है, परन्तु इन सबके बावजूद हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जब तक सभी राजनीतिक दल मिल कर इस पर विचार नहीं करते हैं तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है।

जातिवाद ही अस्पृश्यता का मूल कारण है। जातिवाद को समाप्त किये बिना अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता। हम तब तक अस्पृश्यता को दूर नहीं कर सकते और समाज में समानता नहीं ला सकते जब तक हम इसके मूल कारणों का पता न लगायें। समाज से अस्पृश्यता को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक सरकार, राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता आगे नहीं आयेंगे और जातिवाद को दूर करने के लिये प्रयास नहीं करेंगे। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को लागू करने मात्र से ही अस्पृश्यता समाप्त नहीं की जा सकती।

Shri M. C. Daga (Pali): Atrocities are being perpetrated on Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I want to know what action Government intend to take in this connection? The Government has not implemented the law strictly. Today, simply passing an Act is not sufficient. I want to know the number of police officers and Magistrates who have been suspended for not giving protection to Harijans and how many persons have been prosecuted under Section 107 of I.P.C.? The Government should also give the details of the lands distributed amongst Harijans after implementation of land ceiling scheme. The Land Ceiling Act should be implemented strictly.

We must be told the number of persons punished in this regard. The Government should make such arrangements that the offenders may be punished immediately. Day-to-day hearings should be arranged in this regard. Merely preparing of schemes would not do.

The Government should take measures to protect the lives and properties of Harijans. Land Ceiling laws should be implemented strictly. Practice of carrying night soil over heads should be abolished.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : देश में प्रतिदिन हरिजनों पर अत्याचार किये जाने के समाचार सुनाई पड़ते हैं। महात्मा गांधी और डाक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये प्रशंसनीय कार्य किया था। हरिजनों पर अब भयंकर अत्याचार किये जा रहे हैं। वे अत्याचारों को खामोशी से सह रहे हैं और उनके पास इसके विरुद्ध आवाज उठाने का कोई साधन नहीं है।

हरिजनों पर किये जाने वाले अत्याचारों के समाचार दिल दहलाने वाले हैं। कभी-कभी ऐसा आभास होने लगता है कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें कानून और व्यवस्था का नामो निशान तक नहीं रहा।

1970 में तमिलनाडु में 42 हरिजन युवकों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की गई। गुजरात में 62 हरिजनों की हत्या की गई और आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में एक हरिजन की पत्थर मारकर हत्या की गई। बिहार में हरिजन महिलाओं के साथ दिल दहला देने वाले अत्याचार किये गये। गृह मंत्री से इस बारे में एक वक्तव्य देने का अनुरोध किया गया था लेकिन उन्होंने अब तक इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

देश के सब भागों से हरिजनों को परेशान करने और उन पर अत्याचार करने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सभ्य लोगों की भावनाओं को उभारती हैं और ऐसी घटनाओं की संसद तथा विधान सभाओं में भी चर्चा होती है, लेकिन यह दुख की बात है कि फिर भी हरिजनों की जान-माल की रक्षा के लिये कोई ठोस काम नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है।

राज्य सरकारों को यह निदेश दिये जाने चाहिएं कि हरिजनों पर किये गये सब अत्याचारों संबंधी मामलों की पूरे तौर पर जांच की जाये और यदि आवश्यक हो, तो इसके लिये विशेष पुलिस दस्ता नियुक्त किया जाये। दोषी व्यक्तियों को सख्त सजा दी जानी चाहिये।

हरिजनों पर अत्याचार करने में सहायता देने वाले अधिकारियों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये तथा बिना भय अथवा पक्षपात के अपना कार्य करने वाले अधिकारियों को उचित पुरस्कार दिया जाना चाहिये ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अत्याचार संबंधी मामलों में जांच करने की कार्यकारी शक्तियां दी जानी चाहियें तथा उन्हें इस बारे में सरकार को बिना विलम्ब सूचना देनी चाहिये ।

आवश्यकता होने पर हरिजनों पर अधिक अत्याचार करने वाले गांवों पर दण्डात्मक कर लगाया जाना चाहिये ।

केन्द्रीय और राज्य मंत्रियों को अपने दौरों के दौरान हरिजनों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिये ।

इन सभी सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये श्री जगजीवन राम की अध्यक्षता में एक विभाग की स्थापना की जानी चाहिये ।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur): Problems relating to atrocities perpetrated on Harijans should be effectively dealt with. Very little interest has so far been shown in this matter.

Such religions books should not be given any encouragement as propogate casteism. People like Shankaracharya, who propogates casteism, should be declared guilty.

The question of providing employment to Harijans and backward classes is of great importance. There should be an increase in their reservation quota. If Harijans are appointed as chief ministers in all the States, then only they will look into the difficulties of Harijans.

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । सभी दलों ने इस मामले को दलगत राजनीति से ऊपर रखने का सुझाव दिया है। सदन में इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है कि हरिजनों पर अत्याचार किये गये हैं ।

जहां तक मुख्य विषय का संबंध है, अस्पृश्यता के विद्यमान रहने और इसके परिणामस्वरुप होने वाली बुराइयों के संबंध में किसी को कोई संदेह नहीं है । यह प्राचीन काल से चली आ रही बुराई है । विधान में दण्डात्मक उपबन्धों को और कठोर बनाने के हम बहुत इच्छुक हैं । इस गंभीर समस्या के प्रति हमें गलत रुख नहीं अपनाना चाहिये । ईसाइयों में भी अनेक जातियां हैं । हरिजनों में आपस में भी अस्पृश्यता विद्यमान है । उनमें आपस में विवाद नहीं होते तथा उनमें आपस में सामाजिक मेल-जोल नहीं है । मुसलमानों में भी ऐसा ही होता है ।

इस देश में जातिवाद विद्यमान रहा है और इसके साथ ही शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन भी रहा है। इसके विरुद्ध गांधीजी ने अभियान चलाया और हिन्दुओं पर इसका सबसे अधिक प्रभाव हुआ। दूसरे जहां तक कांग्रेस का संबंध है... (**व्यवधान**) श्री ज्योतिर्मय बसु पहले मेरी बात सुनलें, फिर उस पर जो जी चाहे टिप्पणी करें। उन्होंने स्वयं तो एक भी ठोस सुझाव इस समस्या को हल करने के लिए नहीं दिया है...(**व्यवधान**) जबकि अन्य विरोधी सदस्यों ने अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और वे बधाई के पात्र हैं। अस्पृश्यता के अभिशाप को दूर करने के लिए स्वयं संविधान में इसके निर्माताओं ने उपबन्ध किए थे। मेरा निवेदन है कि इसे दलगत मामला न समझा जाये, अपितु राष्ट्रीय प्रश्न समझ कर हल करने का प्रयास किया जाय।

जैसा कि श्री वाजपेयी जी ने सुझाव दिया है, इस समस्या पर राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा विचार किया जा सकता है जो हरिजनों की स्थिति सुधारने और सभी अल्पसंख्यक विवाद हल करने के प्रश्नों पर विचार करे। यदि किसी कारण यह संभव न हो तो मेरा सुझाव है कि ऐसा ही एक निकाय इनके लिए भी बनाया जाये जिसमें सरकारी सदस्य भले ही हों परन्तु मुख्य पात्र गैर-सरकारी सदस्य ही होने चाहियें। मेरा अभिप्राय हरिजन सेवक संघ जैसी संस्था से है जिसका एकमात्र उद्देश्य हरिजनों का उत्थान और अस्पृश्यता दूर करना है।

अस्पृश्यता एक प्रकार से तो समाप्त हो ही चुकी है। मुख्य प्रश्न हरिजनों का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। समाजवाद श्रेणी-रहित समाज की नहीं जाति-रहित समाज की स्थापना से ही प्राप्त होगा। संबंधित अधिनियम में चाहे जितनी भी कड़ी सजा के उपबन्ध रखे जायें, यह बुराई तब तक दूर न होगी जब तक कि उसके विरुद्ध भावना नहीं जागती जबकि दूसरी ओर स्थिति यह है कि कुछ हरिजन भी जो आर्थिक और अन्य प्रकार से सम्पन्न हैं, दूसरे हरिजनों की उपेक्षा करते हैं।

यह आरोप कि इस क्षेत्र में सरकार ने कुछ नहीं किया है, निराधार है क्योंकि उदाहरणार्थ 1947 से पूर्व अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या 114 जबकि इस वर्ष में यह संख्या 3 लाख है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि क्या मंत्री महोदय इस चर्चा का उत्तर देने की अपेक्षा नई-नई बातें ला सकते हैं? क्या उन्हें केवल सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का ही उल्लेख नहीं करना चाहिये?

सभापति महोदय: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है?

श्री उमा शंकर दीक्षित: संसदीय प्रक्रिया में मंत्री उन सभी बातों की चर्चा करते आये और कर सकते हैं जिनको अन्य सदस्यों ने उठाया हो।

तो जैसा मैं कह रहा था, इस अधिनियम के कठोर उपबन्ध करने ही होंगे। स्वामीजी जैसे व्यक्तियों का कड़े शब्दों का प्रयोग भी न्यायोचित ही है क्योंकि इससे उनका आक्रोश और क्षोभ स्पष्ट झलकता

है। आवश्यकता इस बात की है कि जनता के नेता और सरकार यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं पुनः न घटें। हमें सबसे पहले शिक्षा में सुधार लाना होगा और हरिजनों को अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। यह समस्या धैर्य और लगन से ही हल होगी और इसमें समय लगेगा। यह बात भी समझ लेनी होगी कि अकेले सरकार से कुछ नहीं होगा। इस के लिए तो वातावरण तैयार करना होगा और जनता का सहयोग अनिवार्य होगा। प्रत्येक संसद-सदस्य और विधायक को चाहिये कि उसके निकटवर्ती क्षेत्र में जब भी ऐसी कोई घटना हो, वह वहां जाकर उसे रोकने का प्रयास करें और यदि यह संभव न हो तो वे अपराधियों को बदनाम करें और पीड़ितों की सहायता दें और उन्हें सांत्वना दें। यदि निरन्तर ऐसे प्रयास होते रहेंगे तो मेरा विश्वास है कि ये घटनाएं अवश्य कम होंगी और भारत सरकार भी हर संभव प्रभावी कदम उठाएगी—इसका मैं वचन और विश्वास दिलाना चाहता हूं।

तत्पश्चात, लोक सभा शुक्रवार 24 अगस्त, 1973 2 भाद्र, 1895 (शक) को 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha adjourned till eleven of the clock on Friday, the 24th August, 1973/Bhadra 2, 1895 (Saka).

MGIPRRND—24 LSS/73—I-(D)—10-11-73—490

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]